

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

**SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF**

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session



सत्यमेव जयते



[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 43—बुधवार, 20 अप्रैल, 1966/30 चैत्र, 1888 (शक)

No. 43—Wednesday, April 20, 1966/Chaitra 30, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1217	शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत	Talks with Sheikh Abdullah .	6915-18
1218	कालिज के अध्यापकों के वेतन	Pay of College Teachers . . .	6918-23
1219	इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन	India Office Library, London .	6923-25
1220	पूर्वी पाकिस्तान से ईसाइयों का आप्रव्रजन	Immigration of Christians from East Pakistan .	6925-27
1223	आई० ए० एस० सेवाओं के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों की दुर्लभता	Dearth of Candidates for I.A.S. Services . . .	6927-28
1224	कालिज आफ आर्ट्स में चोरी	Theft in College of Arts . . .	6928-30
1225	आपातकाल	Emergency	6930-32

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1221	भारत और रूस के बीच अनुसन्धान के मामले में सहयोग	Indo-Russian Research Collaboration	6932-33
1222	शिक्षा संबंधी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्	National Council of Educational Research and Training . . .	6933
1226	मकान-निर्माण समितियां	House-Building Societies	6933-34
1228	पुलिस के दस्ते पर नागाओं का हमला	Naga Attack on Police Convoy . .	6934
1229	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की घटनाओं सम्बन्धी जांच आयोग	Enquiry Commission on B.H.U. Incidents	6934
1230	राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के संबंध में संकल्प	Resolution on National and Emotional Integration	6934-35
1231	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द केरल के संसद् सदस्यों की लोक-सभा के आय-व्ययक सत्र में भाग लेने के लिये सशर्त रिहाई (पैरोल पर रिलीज) की प्रार्थना	Request from Kerala Members detained under D.I.R. for Release on Parole to attend the Budget Session of Lok Sabha	6935

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न के सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

(i)

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1232	उड़ीसा के सौदों के बारे में विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	Special Audit Report on Orissa Transactions	6935
1233	विद्रोही मिजो नेताओं का इंडो-नेशिया के राष्ट्रपति को पत्र	Letter from Mizo Relel Leaders to President of Indonesia . .	6936
1234	केरल में बागान श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने की धमकी	Strike threat by Plantation Workers in Kerala	6936
1235	मिजो पहाड़ियों से निष्क्रमण	Exodus from Mizo Hills	6937
1236	आयल इंडिया लिमिटेड के मेहतर	Sweepers of Oil India Ltd	6937
1237	एक कांस्टेबल के लड़के की मृत्यु	Death of a Son of a Constable . .	6937-38
1238	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों का काट दिया जाना	Disconnection of Telephones in Delhi	6938
1239	लालडेंगा की गतिविधियां	Activities of Laldenga	6938-39
1240	दलों के सचेतकों को ब्रिटेन की यात्रा का प्रस्ताव	Proposal regarding Visit of Party Whips to U.K.	6939
1241	भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान	Indo-U.S. Education Foundation . .	6939
1242	डाक्टर की सम्मानार्थ उपाधि	Degree of Doctor <i>Honoris Causa</i> . .	6940
1243	महाराष्ट्र के लिए लाइट डीजल तेल	Light Diesel Oil for Maharashtra. . .	6940
1244	उत्तर प्रदेश में जासूसों का गिरोह	Spy Ring in U.P.	6941
1245	भारतीय विश्वविद्यालयों में सैन्य-शिक्षा (मिलिटरी साइंस) के विशेष पाठ्यक्रम का आरम्भ किया जाना	Institution of Special Courses in Military Science in Indian Universities	6941
1246	राष्ट्रीय कार्य के लिए विद्यार्थियों की सेवा का उपयोग	Mobilisation of Students for National Work	6941-42
अता० प्र० संख्या			
U. Q. Nos.			
3931	तेल-शोधक कारखाना	Refinery Works.	6942
3932	केरल में उद्योगों के लिये बिजली की सप्लाई में कटौती	Power-Cut for Industries in Kerala . .	6942-43
3933	क्विलोन में आरा मिलों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Saw Mill Workers in Quilon	6943
3934	वुड वर्कशाप, कालीकट में हड़ताल	Strike in Wood Workshop, Calicut . .	6943-44
3935	न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड	Minimum Wage Advisory Board . . .	6944-45
3936	खेतिहर मजदूरों का कल्याण	Welfare of Agricultural Labour . . .	6945
3937	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में डाक-टिकट	Stamp in Memory of Acharya Mahabir Parshad Dwivedi . .	6945
3938	बाल पुस्तक न्यास	Children's Book Trust	6945-46

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3939	भारतीय अध्यापकों की अमरीकी यात्रा	Indian Teachers' Visit to U.S.A.	6946
3940	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था	Central Training Institute . . .	6946
3941	कण्णनूर सेन्ट्रल जेल में पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking Water in Cannanore Central Jail	6947
3942	अध्यापकों का निर्वाचन-क्षेत्र	Teachers' Constituency . . .	6947
3943	सूरत जिले में छिद्रण कार्य	Drilling in Surat District . . .	6947-48
3944	उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in U.P. . . .	6948
3945	केरल के राज्यपाल के सलाहकारों के भत्ते	Allowances to Advisers to Government of Kerala	6948
3946	बड़गरा में जूनियर टेक्निकल स्कूल	Junior Technical School at Badagara	6948
3947	केरल में नये स्कूल	New Schools in Kerala . . .	6948-49
3948	केरल में सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों का वेतन	Pay of Aided-School Teachers in Kerala	6949
3951	सभी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि	Devanagari Script for All Languages	6949
3952	उद्योगपतियों तथा वैज्ञानिकों का सम्मेलन	Conference of Industrialists Scientists	6950
3953	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	Social Security Programme . . .	6950
3954	पी० एल०-480 के अन्तर्गत विश्व-विद्यालयों के लिये अमरीकी सहायता	U. S. Aid for Universities under P. L.-480	6950-51
3955	दिल्ली में भूमि के दाम	Land Prices in Delhi	6951
3956	पैनिसिलिन की कीमत	Cost of Penicillin	6951-52
3957	बोनस का भुगतान	Payment of Bonus	6952-53
3958	दिल्ली में टेलीफोन	Telephone Connections in Delhi . . .	6953
3959	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange in U.P. . . .	6953
3960	विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रणाली	University Education System . . .	6953-54
3961	शेख अब्दुल्ला को दी गई सुविधायें	Facilities Provided to Sheikh Abdullah	6954
3962	पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद	Translation of Books in Foreign Languages	6954-55
3963	देश में रोजगार की स्थिति	Employment Situation in the Country	6955
3964	इंजीनियरी संस्थाओं में छात्रों के समय की बर्बादी	Student Wastage in Engineering Institutes	6955
3965	नई अखिल भारतीय सेवा	New All-India Services	6956
3966	दण्डकारण्य में भूमि की उर्वरता	Fertility of Soil in Dandakaranya . . .	6956-57
3967	केरल में प्रकाशकों के विरुद्ध मुकदमा	Case against Kerala Publishers . . .	6957

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3968	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories	6957-5
3969	उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति तथा खण्ड विकास कार्यालयों के लिए टेलीफोन	Telephones for Panchayat Samitis and Block Development Offices in U.P.	6958
3970	चाय बागानों का बन्द किया जाना	Closure of Tea Gardens	6958
3971	कोलार स्वर्ण क्षेत्र के श्रमिकों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Kolar Gold Field Workers	6959
3972	पंजाब में डाक घर	Post Offices in Punjab	6959
3973	पंजाब में रेलवे डाक सेवा कार्यालय	R.M.S. Offices in Punjab	6659-60
3974	पंजाब में चलते-फिरते डाक घर	Mobile Post Offices in Punjab	6960-61
3975	लोक-सभा में सदस्यों को अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की भावनाये व्यक्त करने का अवसर	Opportunities to M. Ps. in Lok- Sabha to voice the feelings of their Constituents	6961
3976	टेलीफोन और टेलेक्स का शुल्क	Telephone and Telex Rates	6961-62
3977	शिक्षित लोगों में बेरोजगारी	Unemployment among the Edu- cated	6962
3978	कोहीनूर हीरा	'Koh-i-noor' Diamond	6962-63
3979	महिला न्यायाधीश	Women Judges	6963
3980	एक हैड कांस्टेबल का अपहरण	Abduction of a Head Constable	6963
3981	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारी	P.T.I. Employees	6964
3982	प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद	Translation of Standard Works	6964
3983	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बोनस का भुगतान	Payment of Bonus in Public Indus- tries	6964-65
3984	खेतिहार मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Agricultural Labour	6965
3985	व्यापार प्रबन्ध (बिज़िनेस एड- मिनिस्ट्रेशन) उपाधि	Business Administration Degree	6965
3986	अशोधित तेल की कमी तथा उसका काले बाजार में बिकना	Shortage and Blackmarketing in Crude Oil	6966
3987	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertiliser Factory	6966-67
3988	उत्तर भारत के राज्यों के मालिकों तथा श्रमिकों की बैठक	Meeting between Employees and Employers in Northern States	6967
3989	भारत में बिजली तथा इलेक्ट्रानिक इंजीनियर	Electric and Electronic Engineers in India	6967
3990	युनेस्को द्वारा निरक्षरता का दूर किया जाना	Eradication of Illiteracy by UNESCO	6967-68
3991	उड़ीसा में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories in Orissa	6968
3992	उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा	Girls' Education in Orissa	6968-69
3993	उड़ीसा में प्राइमरी स्कूल	Primary Schools in Orissa	6969

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3994	उड़ीसा में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति	Unemployed Technical Persons in Orissa	6969
3995	उड़ीसा में बकाया टेलीफोन राजस्व	Outstanding Telephone Revenue in Orissa	6969-70
3996	छम्ब-जोरियां के विस्थापित व्यक्तियों की मांगें	Demands of D.Ps. from Chhamb-Jaurian Sector	6970
3997	अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र	Failure of Students in English	6970
3998	पुस्तकाध्यक्षों के वेतनक्रम	Pay Scales of Librarians	6971
3999	सहायता-प्राप्त स्कूलों के सेवा-निवृत्ति की आयु	Retirement Age in Aided-Schools	6971
4000	सहकारी समितियों के लिये भूमि	Land for Cooperative Societies	6971-72
4001	साहित्य रत्न की उपाधि	Sahitya Ratna Degree	6972
4002	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योग	Chemical and Pharmaceutical Industry	6972-73
4003	मद्रास में पोलिस्टर प्लांट	Polyster Plant at Madras	6973
4004	बिक्री कर की वसुली	Recovery of Sales Tax	6973
4005	पंजाब में स्कूलों तथा कालिजों में औडिटोरियम (श्रोतृशाला)	Auditoria in Schools and Colleges in Punjab	6974
4006	पंजाब में जिला गजेटियर	District Gazetteers in Punjab	6974
4007	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में खोपरा के दाम	Copra Prices in Andaman and Nicobar Islands	6974
4008	निकोबार में मिट्टी के तेल की कमी	Kerosene Oil Scarcity in Nicobar	6974-75
4009	केरल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति	Appointment of Vice-Chancellor of Kerala University	6975
4010	अध्यापकों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर	Summer Camps for Teachers	6975
4011	वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापक	Varanasiya Sanskrit University Teachers	6975-76
4012	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत राजस्थान में गिरफ्तारियां	Arrests in Rajasthan under D.I.R.	6976
4013	इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी मजदूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry	6976-77
4014	भारतीय सर्वेक्षण विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Class III & IV Employees of Survey of India	6977
4015	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट	Confidential Reports of Survey of Indian Employees	6977
4016	जनरल पोस्ट आफिस, काश्मीरी गेट, दिल्ली में चोरी	Theft in G.P.O., Kashmere Gate, Delhi	6977-78

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता० प्र० संख्या U. S. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4017	पाकिस्तानियों द्वारा उठा ले जाई गई सम्पत्ति	Property taken away by Pakistanis	6978
4018	पाटस्कर आयोग का प्रतिवेदन	Pataskar Commission Report .	6978
4019	श्री नम्बूदिरिपाद की रिहाई	Release of Shri Namboodiripad .	6978-79
4020	भाषाओं के लिये सहायता	Assistance for Languages . .	6979
4021	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme	6979
4023	प्रसूति के लिये सुविधायें	Maternity Benefits	6980
4024	दण्डकारण्य में गांव	Villages in Dandakaranya . .	6980
4025	बोलचाल को स्थानीय त्रिपुरी भाषा का विकास	Development of Tripura Dialect	6980-81
4026	बिहार की जेलों में वर्दियां	Uniforms in Bihar Jails . . .	6981
4027	त्रिपुरा में झुमियां पुनर्वास बस्तियां	Jhumia Rehabilitation Colonies in Tripura	6981
4028	डा० त्रिगुण सेन की अमरीकी यात्रा	Dr. Triguna Sen's Visit to U.S.A.	6982
4029	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षणार्थी	Trainees in N.P.L.	6982
4030	सरकारी प्रपत्रों पर शीर्षक	Headings on Government Forms .	6982-83
4031	काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak Infiltration in Kashmir .	6983
4032	अन्दमान द्वीपसमूह में तामिल माध्यम वाले स्कूल	Schools with Tamil Medium in Andamans	6983
4033	टेरिलीन का उत्पादन	Terylene Production	6983-84
4034	शिक्षकों को पुरस्कार	Awards to Teachers	6984
4035	अफ्रीकी एशियाई विज्ञान विचार-गोष्ठी	Afro-Asian Science Symposium .	6984-85
4036	नजरबन्द संसद सदस्यों को परिवार भत्ता	Family Allowances to M. Ps. Detenus.	6985
4037	शिमोगा से किसानों की बेदखली	Eviction of Peasants from Shimoga	6985-86
4038	ग्राम्य संस्थाओं का दर्जा	Status of Rural Institutes . . .	6986
4039	कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का उद्योगों में लगाया जाना	Investment of Provident Fund of Employees in Industry	6986-87
4040	मणिपुर की पुलिस चौकी पर हमला	Attak on Police Post of Manipur .	6987
4041	आपातकालीन सहायता शाखा की स्थापना	Establishment of Emergency Relief Branch	69 7
4042	जोरहाट प्रयोगशाला में अखबारी कागज का निर्माण	Manufacture of Newsprint at Jorhat Laboratory	6987-88
4043	नागालैंड सरकार की जीप से हथियारों और गोला बारूद का बरामद होना	Arms and Ammunition recovered from Jeep of Nagaland Government	6988

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4044	पुनर्वास विभाग में नियुक्तियां	Appointments in the Department of Rehabilitation	6988-89
4045	दिल्ली में अवैध शराब निकालने वाले लोगों की गिरफ्तारी	Arrest for Distilling Illicit Liquor in Delhi	6989-90
4046	मनीपुर के अखरूल सब-डिवीजन में निगरानी-चौकीयों पर आक्रमण	Attack on Check Posts in Ukhrul Sub-Division of Manipur	6990
4047	उड़ीसा में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए अनुदान	Grants for Children of Political Sufferers in Orissa	6990
4048	पारलाखेमंडी (उड़ीसा) के उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Sub-Post Office Parlakhemandi, Orissa	6991
4049	पारलाखेमंडी (उड़ीसा) में डाकखाने की इमारत	P.O. Building at Parlakhemandi, Orissa	6991
4050	उड़ीसा में केन्द्रीय स्कूल	Central Schools in Orissa	6991-92
4051	उड़ीसा के लिये मिट्टी का तेल	Kerosene Oil for Orissa	6992
4052	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965	6992
4054	पंजाब में एक उप-कुलपति की नियुक्ति	Appointment of a Vice-Chancellor in Punjab	6992-93
4055	आजाद काश्मीर के मुक्त कराये गये क्षेत्र	Liberated Areas of Azad Kashmir	6993
4056	कोजीकोड में पुस्तकालय	Library in Kozhikode.	6993
4057	केरल में गर-सरकारी कालिज	Private Colleges in Kerala	6993-94
4058	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड में उत्पादन बन्द होना	Stoppage of Production in F.A.C.T.	6994
4059	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड	F.A.C.T.	6994
4060	औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल	Industrial Training Schools	6994-95
4061	इंजीनियरी के डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति	Diploma holders in Engineering	6995
4062	पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Kerosene Oil Supplies to West Bengal	6995-96
4063	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर	I.T.I. Ltd., Bangalore	6996
4064	मिजो व्यक्तियों द्वारा आसाम में घुसपैठ	Infiltration of Mizos into Assam	6996-97
4065	फरीदाबाद में इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट	Engineering Institute at Faridabad	6997
4066	पोलैंड के साथ वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान	Exchange of Scientists with Poland	6997

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अ.प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4067	शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषायें	Regional Languages as Medium of Instruction	6998
4068	रिहायशी स्कूलों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ	Scholarships for Study in Residential Schools	6998
4069	पनवेल में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Panvel	6998-99
4070	दिल्ली में दंगे	Disturbances in Delhi	6999
4071	नाडिया में सशस्त्र पाकिस्तानियों का आक्रमण	Attack by Armed Pakistanis in Nadia	6999
4072	नेफा में स्कूल तथा कालिज	Schools and Colleges in NEFA	6999-7000
4073	नेफा के लिये योजना में नियत धनराशि	Plan Allocation for NEFA	7000
4074	दिल्ली में पाया गया शिलालेख	Rock Inscription found in Delhi	7000
4075	तेल का उत्पादन	Oil Production	7000-01
4076	सुच्चासिंह के विरुद्ध अभियोग	Case against Sucha Singh	7001
4077	महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान	Campaign against Eve-teasers	7001
4078	नागाओं का मिजो लोगों के साथ सहयोग	Nagas' Collaboration with Mizos	7001-02
4079	दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन व्यवस्था	Televisions in Delhi Schools	7002
4081	काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में पंजीकृत उम्मीदवार	Candidates on Live Register of Employment Exchanges	7002-03
4082	केन्द्रीय जांच विभाग में सब-इन्स्पेक्टर के पद के लिये अर्हता	Eligibility for the Post of Sub-Inspector in C.B.I.	7003-04
4083	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में असफलताएँ	Failures in Higher Secondary Schools	7004
4084	चौकीदार की हत्या	Murder of Watchman	7004
4085	उखरूल-संगसक सड़क पुल	Ukhrul-Sangsak Road Bridge	7004-05
4086	मिजो पहाड़ियों में राजनैतिक स्थिति	Political Situation in Mizo Hills	7005
4087	महाराष्ट्र में सरकारी उपक्रमों में रिक्त पद	Vacancies in Public Undertakings in Maharashtra	7005
4088	माध्यमिक स्कूलों में भारत के संविधान का पढ़ाया जाना	Study of the Constitution of India in Secondary Schools	7005-06
4089	महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Maharashtra	7006
4090	केन्द्रीय भूमि सुधार संगठन	Central Reclamation Organisation	7006
4091	टेलीफोन केन्द्र, बदरपुर	Telephone Exchange, Badarpur	7007
4092	कालीगंज में टेलीफोन तथा तार कार्यालय	Telephone and Telegraph Office at Kaliganj	7007

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4093	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी	Students Opting for Higher Education	7007
4094	टेलीफोन तिरुवण्णमलाई केन्द्र की इमारत	Telephone Exchange Building at Tiruvannamalai	7007-08
4095	तिरुवण्णमलाई में टेलीफोन केन्द्र का बोर्ड	Telephone Exchange Board, Tiruvannamalai	7008
4096	तिरुवण्णमलाई में टेलीफोन	Telephone Connections at Tiruvannamalai	7008
4097	गुरु गोविन्द सिंह के जीवन पर पुस्तक	Book on Guru Govind Singh's Life	7009
4098	भारत का अवैध मानचित्र	Clandestine Maps of India	7009
4099	नरेला क्षेत्र (दिल्ली) के लिये नया कालिज	New College for Narela Area (Delhi)	7009-10
4100	दिल्ली में अध्यापकों के वेतन की देय बकाया राशि	Arrears of Pay of Teachers in Delhi	7010
4101	खेतिहर मजदूरों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for Agricultural Labour	7010
4102	विद्रोही मिजो द्वारा एक भूतपूर्व विधान-सभा सदस्य का अपहरण	Kidnapping of Former M.L.A. by Mizo Hostiles	7010-11
4103	कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली को विकास योजना	Development Plan of Kotla Mu- barakpur, New Delhi	7011
अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
प्रधान मंत्री तथा छिपे नागाओं के बीच हुई बातचीत के परिणाम		Outcome of talks between Prime Minister and Underground Naga Leaders	7011-14
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	7015-17
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—		Committee on Public Undertakings—	
अठाइसवां और उनतीसवां प्रतिवेदन		Twenty-eighth and Twenty-ninth Reports	7017
गुजरात के पंचमहल जिले में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य—		Statement re: Police Firing on Adi- vasis in Panchmahal District of Gujarat—	
श्री नन्दा		Shri Nanda	7017-18
लाल डेंगा द्वारा राष्ट्रपति सुकर्नो को लिखे गये कथित पत्र के बारे में		Re. Alleged Letter from Lal Denga to President Sukarno	7018-19
समिति के लिये निर्वाचन—		Election to Committee—	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम		Employees State Insurance Cor- poration	7019

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation—	
श्री दि० सि० चौधरी	Shri D. S. Chaudhuri . . .	7019-20
श्री करुथिरमण	Shri Karuthiruman . . .	7020-21
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh . . .	7021-22
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . . .	7022
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida . . .	7022-23
श्री रंगा राव	Shri Ranga Rao . . .	7023
श्री केप्पन	Shri Kappen . . .	7024
श्री बसवन्त	Shri Baswant . . .	7024
श्री ह० प० चटर्जी	Shri H. P. Chatterjee . . .	7024-25
श्री योगेन्द्र झा	Shri Yogendra Jha . . .	7025
श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy . . .	7025
श्री महेश दत्त मिश्र	Shri Mahesh Dutta Misra . . .	7025-26
श्री श्यामधर मिश्र	Shri Shyam Dhar Misra . . .	7026-28
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . . .	7028-30
श्री तु० राम	Shri T. Ram . . .	7030
श्री स० ब० पाटिल	Shri S. B. Patil . . .	7031
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kaccha- vaiya . . .	7031-32
श्री राजेश्वर पटेल	Shri Rajeshwar Patel . . .	7032-33
श्री सुमत प्रसाद	Shri Sumat Prasad . . .	7033-34
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . . .	7034-36
श्री मुहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir . . .	7036
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha . . .	7036-37
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
छियासीवां प्रतिवेदन	Eighty-sixth Report . . .	7037
अनुसूचित जातियों को अनुसूची से निकाले जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re. De-scheduling of Scheduled Castes—	
श्री दे० शि० पाटिल	Shri D. S. Patil . . .	7037
श्रीमती चन्द्र शेखर	Shrimati Chandrasekhar . . .	7038

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 20 अप्रैल, 1966/30 चैत्र, 1888 (शक)
Wednesday, April 20, 1966/Chaitra 30, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत

+
*1217. श्री किशन पटनायक :

श्री मधु लिमये :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर की आन्तरिक स्थिति के बारे में शेख अब्दुल्ला के साथ पुनः बातचीत करने तथा समझौता करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का आधार क्या होगा ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ;

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Kishen Pattnayak : The honourable Prime Minister has stated in her Press Conference that the question of release of Sheikh Abdullah is being considered. If this is a fact, then on what grounds the matter is being considered?

Shri Hathi : The question is regarding settlement with him.

Shri Kishen Pattnayak : Release can also be a part of settlement.

Shri Hathi : There is no proposal for settlement. What the Prime Minister had said was in connection with the statement of Shri Jai Prakash Narain. But there is no such proposal for settlement yet.

Shri Kishen Pattnayak : On what grounds it was said ?

Shri Hathi : It was said in connection with what Shri Jai Prakash Narain had said.

Shri Kishen Pattnayak : In view of the fact that the Tashkent agreement is being violated both in letter and spirit, as if a house of cards is falling down, does Government think that the Kashmir issue can be raised again? Is Government making diplomatic preparations by way of foresight, specially in view of the fact that not only pressure from the U.S.A. but also that from the U.S.S.R. can also be made to bear upon India ?

Shri Hathi : What is happening with regard to the Tashkent Agreement is well-known to all and all of us know about it, too, but there is no such thing that we may act in a particular manner simply because of somebody's pressure.

Dr. Ram Manohar Lohia : Did Government or anybody on behalf of Government make a proposal to Sheikh Abdullah that after his release he should not do or say anything regarding the Kashmiri issue but take action for Hindu-Muslim unity and Indo-Pak confederation? If no such thing has been done, will Government find this out for Sheikh Abdullah and will any private persons go to him and talk about this matter ?

Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : Private persons have already met with Shri Sheikh Abdullah. In reply to the rest of the question, I would say that there is no such proposal from Government.

Mr. Speaker : Did the private persons who met Sheikh Abdullah, have such a talk with him ?

Shri Nanda : The reports given by the private persons who met him, show that there has not been any change in his attitude.

Dr. Ram Manohar Lohia : Please get me an answer to this pointed question. Whether any private person has made a proposal to Sheikh Abdullah that after his release, he should not do any thing regarding the Kashmir issue, but should only work for Hindu-Muslim Unity and Indo-Pak Confederation ? If not, will Shri Nanda make efforts in regard thereto ?

Shri Nanda : This is a good suggestion. There cannot be a difference of opinion about this.

Dr. Ram Manohar Lohia : After all, what is the use of our coming over to this Home? Either Shri Nanda should say that he is not doing or he should say that he will be prepared for it. It will be useful if he is prepared for it and in that case, a person like me also can be of service.

Mr. Speaker : He has stated that there was no such proposal. Secondly, those who met Sheikh Abdullah, say that there is no such change in his attitude. He says he would consider the suggestion made by Dr. Lohia.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार है कि शेख अब्दुल्ला द्वारा काश्मीर के झगड़े को हमेशा के लिये सुलझवाने के लिये, उनको रिहा कर दिया जाए ?

श्री नन्दा : मैंने इन अच्छे इरादों तथा सुझावों को नोट कर लिया है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सत्य नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के दौरान स्वर्गीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि जिसमें कहा गया था कि वह प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों में भारत का पूर्ण समर्थन करने का वचन देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने शेख अब्दुल्ला से निश्चित रूप से यह पता कर लिया है कि काश्मीर के बारे में उनके राजनैतिक विचारों में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं ?

श्री नन्दा : जैसा कि मैंने कहा है अनौपचारिक रूप से उनसे सम्पर्क किये जाने पर यह ज्ञात हुआ था कि उनके रुख में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : चूँकि शेख अब्दुल्ला की रिहाई के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और माननीय प्रधान मंत्री ने भी उसके बारे में संकेत किया है, यह स्पष्ट है कि काश्मीर के सम्झौते के बारे में शेख अब्दुल्ला के उपस्थित होने के कारण जो कठिनाई महसूस की जा रही थी वह पुनः पैदा हो जायेगी । इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सभा को आश्वासन दे सकती है कि वह इमानदारी से काश्मीर के झगड़े को सुलझाने के लिये यत्न कर रही है और क्या इसी सिलसिले में शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री नन्दा : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि हम ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री ही ना मुकर्जी : उन्होंने कहा था कि उनको छोड़ने का विचार है ।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने ऐसा नहीं कहा था ।

श्री श्यामलाल सराफ : माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ गैर-सरकारी लोग शेख अब्दुल्ला से मिले थे । यह कहाँ तक सत्य है कि उनके भतीजे—शेख अब्दुल्ला रसीद उन से मिले थे और काश्मीर सरकार ने उनको वहाँ भेजा था ? क्या वही उन व्यक्तियों में से एक है जिनको शेख अब्दुल्ला ने अपने मन की बात बताई थी—उन्होंने अपने मन की बात निश्चित रूप से नहीं बताई है—और यदि ऐसा है, तो उसके पश्चात् क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं ?

श्री नन्दा : पिछली बार की बैठक से जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह निष्कर्ष निकला है कि उनके रुख में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a fact that according to the reports received from the government and private sources that Sheikh Abdullah is still what he was before, and he still challenges the unity of India and does not regard Kashmir as part of India ? I want to know whether his ideas are definitely what they were before ?

श्री नन्दा : अब तक मैंने अपने उत्तर में यही कहा है कि उनके रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री बी० चं० शर्मा : श्री जयप्रकाश नारायण कई पत्र लिखते हैं तथा कई वक्तव्य देते हैं। वह भारत की प्रत्येक समस्या के बारे में तथा चीन और नागालैंड के बारे अपना वक्तव्य देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखे गये पत्र पर मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किये जाने का क्या कारण था और मंत्रिमण्डल ने बिना कोई निर्णय लिये उस पर समय क्यों नष्ट किया था ?

श्री नन्दा : जहाँ तक मुझे याद है मंत्रिमण्डल में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ कि मंत्रिमण्डल में जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री बी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री समाचार पत्र सम्मेलन की रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

Shri Raghunath Singh : Is Sheikh Abdullah's party still active in the Kashmir Valley ? If it is active, has there been any change in its policy since the arrest of Sheikh Abdullah ?

Shri Nanda : The activities have decreased but nothing can be said about its policy.

कालिज के अध्यापकों के वेतन

+	
*1218. श्री सुबोध हंसदा :	श्री त्रिविब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :	श्री मधु लिमये :
श्री भागवत झा आजाद :	श्री जसवन्त मेहता :
श्री म० ला० द्विवेदी :	श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरुआ :	श्री सिंहासन सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस विषय में सरकार को कोई अभ्यावेदन भी दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी, हाँ।

(ग) भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) की सिफारिशें मान ली हैं।

श्री सुबोध हंसदा : इन सिफारिशों को स्वीकार करने पर केन्द्रीय सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

श्री मु० क० चागला : 22 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सिफारिश केवल विश्वविद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होती है अथवा निजी अध्यापकों पर भी लागू होती है ?

श्री मु० क० चागला : यह सिफारिश विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा निजी अध्यापकों दोनों पर ही लागू होती है ।

श्री स० च० सामन्त : क्या राज्य सरकारोंको इस खर्च का कुछ अंश सहन करना पड़ेगा? यदि हां, तो कितना ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप बढ़े व्यय का 80 प्रतिशत भाग सहन करेगा तथा 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को सहन करना पड़ेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : I am glad to learn that Government has accepted the recommendations of the University Grants Commission. By what date new pay-scales will come into effect ? Since the State Governments had not paid the earlier increase in pay, has Government made sure that this time the State Government will positively pay according to the new increased pay-scales ?

श्री मु० क० चागला : नये पुनरीक्षित वेतन-क्रम को 1 अप्रैल से लागू करने का इरादा है । हम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकार किय जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जहाँ तक बकाया का प्रश्न है, यदि वे योजना को कार्यान्वित करेंगे तो केन्द्रीय सरकार उसमें अपने अंश को सहन करेगी ।

Shri M. L. Dwivedi : Are the University and College teachers satisfied with the increase in pay scales as recommended by the U.G.C. ? If not, what are their demands and what steps are being taken by Government to fulfil them ? Will these pay scales apply to colleges, only or also to the hundreds of Schools.

श्री मु० क० चागला : स्कूलों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव केवल विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के अध्यापकों के बारे में ही हैं । जहाँ तक अध्यापकों के संतुष्ट होने का प्रश्न है पश्चिमी बंगाल में उन्होंने नई मांगे पेश की हैं परन्तु उन्होंने परीक्षाओं के सम्बन्ध में अपनी हड़ताल समाप्त करने का निश्चय किया है । अभी नये प्रस्ताव हमारे पास नहीं भेजे गये हैं अतः मुझे ठीक ठीक पता नहीं कि उनकी नई मांगे क्या हैं । परन्तु मेरी यह आशा है कि सम्पूर्ण देश में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे । मैं यह भी आशा करता हूँ कि राज्य सरकारें इन प्रस्तावों को 20 प्रतिशत अंश सहन करके कार्यान्वित करेंगी ।

श्री प्र० च० बरुआ : विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में वृद्धि कर दी गई है परन्तु देश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 100 घंटे वार्षिक का शिक्षा काल रहता है । क्या सरकार का विचार है कि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के कार्य करने के काल में कुछ वृद्धि की जाए ताकि शिक्षा का स्तर तथा दक्षता बढ़ सके और "आराम हराम है" की कहावत भी लागू हो सके ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूँ कि भारत में अध्यापक पर्याप्त समय काम नहीं करते । अवकाश-काल तथा छुट्टियाँ बहुत अधिक होती हैं । उनके पास बहुत अधिक खाली समय रहता है ।

श्री हेम बरुआ : इसके कुछ कारण हैं जो कि माननीय मंत्री को पता हैं । आप चाहते हैं कि अवकाश-काल में अध्यापक अपनी बौद्धिकता को बढ़ाये ।

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि कारण क्या है। वे बुरे कारण ही होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहा है कि अध्यापकों की सेवाओं का किस प्रकार और अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके।

श्री जसवंत मेहता : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस योजना के सम्बन्ध में कब सूचना दी थी? क्या सरकार को किसी राज्य सरकार की प्रक्रिया के बारे में कोई सूचना मिली है? कितनी राज्य सरकारों ने अभी तक बकाया नहीं दिया है और सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है?

श्री मु० क० चागला : मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य सरकार को योजना के बारे में पूर्ण सूचना भेज दी है। यह पत्र 7 अप्रैल 1966 को भेजा गया था। अभी तक हमारे पास किसी राज्य सरकार की प्रक्रिया के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। मैं समझता हूँ कि पश्चिमी बंगाल सरकार इसको स्वीकार कर लेगी परन्तु अभी तक हमें उनकी औपचारिक रूप से स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी।

श्री जसवंत मेहता : बकाया के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं इस सम्बन्ध में कुछ उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मु० क० चागला : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य एक प्रश्न रखेंगे तो मैं जानकारी दे सकूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के बीच भेद के मामले में जो संभ्रान्ति है उसका स्पष्टीकरण होना है तथा वेतन-क्रम के बारे में कोई निर्णय होता है यदि किन्हीं अध्यापकों के सवाहाल को भी शामिल किया जाएगा। 1960 से अध्यापकों की यह शिकायत है कि वे उस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण और निदेशों के लिये पत्र व्यवहार कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने कुछ संतोषजनक बात कही है परन्तु यह सदैव से संभ्रान्ति में पड़े हुए मामले अभी तक ज्यों के त्यों हैं। क्या सरकार इन विषयों का स्पष्टीकरण करने का विचार कर रही है ताकि पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में अध्यापकों का फिर से आन्दोलन किये जाने का विचार समाप्त हो जाए।

श्री मु० क० चागला : हम स्पष्टीकरण से भी कुछ और अधिक करने जा रहे हैं। ऐसी संस्था बनाई जा रही है जिसके अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ साथ ऐसा उपाय निकालेगा जिस से महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विभिन्न अध्यापकों पर यह वेतन-क्रम लागू किये जा सकें।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय मंत्री को विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों को इन रियायतों को दिये जाने के लिये बधाई देता हूँ क्योंकि इसमें काफी विलम्ब हो चुका है और काफी समय से आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। परन्तु बात यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक निर्धारित अवधि के लिये 5 वर्षों के लिये रुपया देता है और कहता है कि शेषकाल के लिये राज्य सरकारों तथा अन्य निकायों की जिम्मेदारी होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो वेतन-क्रम घोषित किया गया है वह हमेशा के लिये है अथवा पांच वर्षों की अवधि के लिये और क्या बाद में इन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों को राज्य सरकारों की इच्छा पर जो शिक्षा के लिये धन नहीं देना चाहती, निर्भर करना पड़ेगा?

श्री मु० क० चागला : यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि केन्द्रीय सरकार पांच वर्षों तक बढ़े हुए व्यय का 80 प्रतिशत अंश सहन करेगी। पांच वर्षों के पश्चात् राज्य सरकारें जिम्मेदारी संभाल लेगी। राज्य सरकारों को इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि वित्त आयोग हर पांच वर्षों के बाद नियुक्त किया जाता है और यह वचनबद्ध व्यय होगा और इस लिये वे वित्त आयोग के सामने अध्यापकों को बढ़ा हुआ वेतन देने के कारण होने वाले अधिष खच की बात रख सकते हैं।

श्रीमती सवित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों की दैनिकीय अवस्था के बारे में पता है? यदि हां तो क्या उनको भी कुछ लाभ होगा और उनको भी कम से कम उतना वेतन मिलेगा जो अन्य महाविद्यालयों तथा विश्व-विद्यालयों के अध्यापकों को पुराने वेतन क्रम अनुसार दिया जा रहा था ?

श्री मु० क० चागला : जी हां। मैंने सभा को पहले ही बताया दिया है कि योजना से केवल विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को ही नहीं अपितु सभी महाविद्यालयों के अध्यापकों को लाभ होगा। चाहे वे सरकारी महाविद्यालयों में हों अथवा गैर-सरकारी महाविद्यालयों में हों।

Shri Prakash Vir Shastri : Has the Uttar Pradesh Government expressed its inability to pay salaries according to the revised pay scales ? If so, the reasons therefor and the reactions of Government thereto ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं। जैसा कि मैंने सभा को पहले ही बताया है। हमारे पास किसी राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य की प्रतिक्रिया की सूचना नहीं मिली है।

Shri Prakash Vir Shastri : It was reported in the press that Uttar Pradesh Government had expressed its inability to meet the increased expenditure on account of payment of higher salaries.

श्री मु० क० चागला : मेरे पास कोई सरकारी सूचना नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि नये वेतन-क्रमों के कारण बढ़े हुए व्यय का 80 प्रतिशत भाग पांच वर्षों तक केन्द्रीय सरकार सहन करेगी। क्या सरकारी राय के अनुसार यह वेतन क्रम स्थायी होने चाहिये अथवा आस्थायी और क्या सरकार ऐसा कुछ करना चाहती है जिससे कि अध्यापकों में असंतोष की भावना पुनः आन्दोलन में न बदल जाये और इन अध्यापकों को बकाया भी शीघ्र दे दिया जाए ?

श्री मु० क० चागला : मैंने प्रश्न के प्रथम भाग का पहले ही उत्तर दे दिया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अस्थाई अंशदान नहीं होगा। यह केवल पांच वर्षों के लिये है। राज्य सरकारों को इस बारे में जो पत्र भजे गये हैं उनमें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको केन्द्र से सहायता केवल पांच वर्षों को ही मिलेगी और इस के पश्चात् उन्हें ही यह जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी।

श्री प्रिय गुप्त : क्या वेतन क्रम स्थायी है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां।

श्री मथिया : पहले भी कई अवसरों पर राज्य सरकारों द्वारा अनुदान न दिये जाने के लिये अनिच्छा को देखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सहायता-प्राप्त महाविद्यालयों को दी जाने वाली इस विशेष सहायता का कम से कम 50 प्रतिशत भाग पांच वर्षों के बाद भी चालू रखे ?

श्री मु० क० चागला : चूँकि हम 80 प्रतिशत की जिम्मेदारी ले रहे हैं ? राज्यों को जो 20 प्रतिशत राशि देनी होगी वह बहुत कम है। जहाँ तक पांच वर्षों के पश्चात् जिम्मेदारी संभालने का प्रश्न है। मुझे खेद है कि मैं उस से सहमत नहीं हूँ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : The steps taken by the honourable Minister is praiseworthy, but teachers of primary and higher secondary schools have been completely left out. Is Government taking any steps to increase their scales of pay ?

श्री मु० क० चागला : प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों की जिम्मेदारी राज्यों की है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक राज्य का विषय है।

जहां तक विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के अध्यापकों का संबंध है सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि 66 के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा के अच्छे स्तर को बनाये रखने की जिम्मेदारी हमारा है और इस प्रकार एक तरीके से विश्वविद्यालय और कालिज अध्यापकों के लिये हमारी जिम्मेदारी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है, परन्तु राज्यों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये और देखना चाहिये कि उनकी हालत में सुधार हो।

श्री कृ० चं० पन्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले वर्षों में वेतन क्रम निर्धारित किये थे और उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि वर्तमान वेतन क्रमों को वास्तव में सब राज्यों में क्रियान्वित किया जायगा। क्या सरकार कोई अतिरिक्त उपाय करना चाहती है?

श्री मु० क० चागला : और क्या उपाय किये जा सकते हैं? हम राज्यों को 80 प्रतिशत सहायता देने के लिये तैयार है जबकि उनको केवल 20 प्रतिशत इससे देना होता है और 5 वर्षों के बाद उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री स० मो० बनर्जी : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है चूंकि राज्य सरकारों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है और इन अध्यापकों ने अनेक बार संघ शिक्षा मंत्री से अपील की है क्या सरकार इन अध्यापकों की दयनीय दशा की जांच कराने के लिये कोई वेतन आयोग या अन्य कोई आयोग नियुक्त करेगी?

श्री मु० क० चागला : इस समय हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संविधान के अन्तर्गत शिक्षा स्तर को बनाये रखने के लिये सरकार की जिम्मेदारी होते हुए भी सरकार प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर पाई है क्या सरकार यह अनुभव करती है कि शिक्षा के उच्चतर तथा अनुसन्धान के स्तर पर योग्य व्यक्ति भारी संख्या में इस देश को छोड़ कर विदेशों में प्रव्रजन कर रहे हैं और शिक्षा के निचले स्तर पर लोगों में निराशा और असंतोष है? क्या सरकार अध्यापकों, विशेष रूप से कालिजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये उनके वेतनों और काम करने की हालतों में सुधार करना चाहती है?

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र ने हमारी शिक्षा पद्धति की कई एक त्रुटियों का उल्लेख किया। मैं मानता हूं कि अध्यापकों को अच्छा स्थान मिले, उनको अच्छा वेतन और सम्मान मिले। अध्यापकों को ये सब देने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के अध्यापकों ने यह मांग की है कि वरिष्ठ लेक्चरर तथा कनिष्ठ लेक्चरर में जो भेद है उसे समाप्त किया जाये और कालिज अध्यापकों की सभा श्रेणियों के लिये 350-950 रु० का एक समान वेतन क्रम निर्धारित किया जाये, यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री मु० क० चागला : पश्चिम बंगाल के अध्यापकों द्वारा की गई इस विशिष्ट मांगों से मैं अवगत हूं। मेरा उत्तर सरल है। वरिष्ठ लेक्चरर तथा कनिष्ठ लेक्चरर के हमारे दो वेतन-क्रम हैं। हम वरिष्ठ लेक्चरर को ऊंचा वेतन देना चाहते हैं क्यों कि उनकी अर्हताएं ऊंची होंगी। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस व्यवस्था को स्थापित करता है और विभिन्न वेतन क्रमों का समायोजन करता है तो यह वरिष्ठ लेक्चररों और कनिष्ठ लेक्चररों की अर्हताओं को ध्यान में रखेगा। यह अन्तरमनमाने ढंग से नहीं किया गया है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगाना चाहती है।

श्री मु० क० चागला : हमने इस पर विचार नहीं किया है। निजी ट्यूशन पर रोक लगाना बहुत कठिन है।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन

+

* 1219. श्री श्रीनारायण दास :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री भागवत झा आझाद

श्री सुबोध हंसदा :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री यशपाल सिंह :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान तथा ब्रिटेन के बीच हुए सम्झौते के अनुसार लंदन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के विभाजन के लिये न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या न्यायाधिकरण द्वारा इस कार्य के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी नहीं।

(ग) क्योंकि अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में तीनों सरकारें किसी करार पर नहीं पहुंची हैं।

श्री श्रीनारायण दास : न्यायाधिकरण को जो मामला सौंपा जा रहा है उसका निश्चित स्वरूप क्या है ?

श्री म० क० चागला : मामला इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के स्वामित्व का है।

श्री श्रीनारायण दास : यह कहा गया था कि ब्रिटेन सरकार इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लंदन को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करने के लिये सहमत हो गई है। परन्तु माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि उस प्रश्न पर भी अभी निर्णय नहीं किया गया है। अतः न्यायाधिकरण इस बात का निणय करेगा ?

श्री मु० क० चागला : ब्रिटेन सरकार ने एक समय यह रुख अपनाया था कि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी उसकी है। हमने यह स्पष्ट कर दिया कि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी भारतीय राजस्व में से बनाई गई थी, हमारे राजस्व में से भूमि खरीदी गई थी हमारे राजस्व से ही इमारत सैठार की गई थी और बड़ी कठिनाई और लम्बी बातचीत के पश्चात् वहां की सरकार अन्त में इस बात के लिये सहमत हो गई कि स्वामित्व का प्रश्न न्यायाधिकरण को सौंप देना चाहिये। अतः मामला अब भी वही है कि स्वामित्व किसका है।

श्री श्रीनारायण दास : यदि न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कोई मतभेद हुआ तो उसका किस तरह फैसला किया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : मैं बातचीत के स्वरूप को प्रगट नहीं करना चाहता क्योंकि बातचीत अभी चल रही है। परन्तु मैं सभा को रूढ़ बता देना चाहता हूँ कि न्यायाधिकरण को जिस प्रश्न का निर्णय करना है उसके बारे में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। निर्देश पदों के संबंध में कठिनाई थी और एक विषय जिस पर अभी बातचात चल रही है यह है कि स्वामित्व के प्रश्न का फैसला न्यायाधिकरण किस कानून के अनुसार करे।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the points on which India, Pakistan and U. K. have agreed, the points on which India and Pakistan are agreed and the points on which no agreement could be reached and which will be referred to the Tribunal ?

श्री मु० क० चागला : मुझे खुशी है कि कम से कम एक बात पर तो भारत और पाकिस्तान राजी हैं कि इन्डिया आफिस लाइब्रेरी हमारा है और हमें अपने दावों के लिये जोर डालना चाहिये। मतभेद एक ओर भारत और पाकिस्तान और दूसरी ओर ब्रिटेन में है और जैसा कि मैंने बताया जिस विषय पर समझौता वार्ता चल रही है वह यह है कि न्यायाधिकरण किस कानून के अनुसार अपना फैसला दे।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस लाइब्रेरी की अनुमानित आस्तियां कितने मूल्य की हैं और लाइब्रेरी के विभाजन के लिये न्यायाधिकरण के लिये क्या आधारभूत कसौटी रखी गई है?

श्री मु० क० चागला : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि उस लाइब्रेरी का मूल्य क्या है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि चूंकि ब्रिटेन इस के स्वामित्व को छोड़ना नहीं चाहता था और भारत और पाकिस्तान के संयुक्त दबाव के कारण वह एक न्यायाधिकरण के लिये राजी हो गया था; अब वह इससे निकलने के लिये एक से एक दलील दे रहा है?

श्री मु० क० चागला : इस विशिष्ट मामले में मैं नहीं समझता कि ब्रिटेन पीछे हटने का प्रयत्न कर रहा है। आप जानते हैं कि एक उपयुक्त न्यायाधिकरण बनाने में क्या वैधिक कठिनाइयां हैं। मुझे विश्वास है कि मैं थोड़े ही समय में न्यायाधिकरण के गठन की घोषणा करूंगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस बीच कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की फोटोस्टेट या लिथोग्राफ प्रतियां तैयार की गई हैं और यदि हां तो क्या उनका वितरण किया गया है?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझता कि उस लाइब्रेरी की किसी भी पुस्तक की प्रतियां लेने में कोई कठिनाई है; यदि कोई व्यक्ति नकल करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।

Shri Vishwanath Panedy : What is the number of books in this Library ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास संख्या नहीं है।

Shri Yashpal Singh : By what time this matter will be decided ? Pakistan did not even know it and England prompted Pakistan. Last year it was stated that a Film would be prepared but even that has not been done so far. For how long this matter will be kept pending ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने बताया समझौता होने वाला है और मुझे आशा है कि मैं थोड़े ही समय में निर्णय की घोषणा कर दूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने कहा कि अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि न्यायाधिकरण किस कानून के अनुसार निर्णय देगा। यह विलम्ब हमारी प्रभुसत्ता पर आक्षेप नहीं तो और क्या है? हमारी सरकार ब्रिटेन सरकार से यह क्यों नहीं कहती है कि इस प्रकार का उसका रवैया अमित्रता का रवैया है?

श्री मु० क० चागला : जब से मैं लन्दन में उच्चायुक्त था उसी समय से इस विषय पर निर्णय के लिये जोर डालता रहा हूं। सारा विलम्ब केवल ब्रिटेन की ओर से ही नहीं हुआ है अपितु पाकिस्तान की ओर से भी हुआ है। पत्र लिखे गये थे और महीनों तक उनका कोई उत्तर नहीं आया। विलम्ब के लिये मैं अकेले ब्रिटेन को दोष नहीं दे सकता। विभिन्न परिस्थितियों के कारण विलम्ब हुआ है। पाकिस्तान के आक्रमण से भी देरी हुई है।

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्रीने कहा कि मुख्य कठिनाई यह है कि लाइब्रेरी के स्वामित्व के निश्चयन के लिये किस प्रक्रिया का पालन किया जाये। यदि इस प्रश्न का समुचित हल निकल आता है तो लाइब्रेरी की आस्तियों के बटवारे का आधार क्या हो क्या इस संबंध में कोई समझौता है ?

श्री मु० क० चागला : स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी ने एक बार कहा था कि इसका आधार यह होना चाहिये। 20 प्रतिशत पाकिस्तान को और शेष हमें। यदि किसी महत्वपूर्ण पुस्तक की दो प्रतियां हों तो एक पाकिस्तान को मिलनी चाहिये और शेष हमारे देश को। जिन पुस्तकों की केवल एक ही प्रति है उनकी प्रतियां बनाई जानी चाहिये। विभाजन न्यूनाधिक इस आधार पर होना चाहिये। हमारे बीच इसका निपटारा होने से पूर्व हम चाहते हैं कि स्वामित्व की घोषणा हो जाये। अब हम एक तीसरे पत्र से लड़ रहे हैं जो हमारे स्वामित्व के दावे को नहीं मानता।

श्री त्यागी : क्या सरकार के पास उस पुस्तकालय की पुस्तकों की पूरी सूची है और यदि हां तो क्या उसको संसद् पुस्तकालय में रखा जायेगा ताकि हमें पता चल सके कि वहां पर किस प्रकार की पुस्तकें हैं।

श्री मु० क० चागला : यह एक बहुत ही कठिन कार्य है। यदि इन्डिया आफिस लाइब्रेरी के पास इसकी सूची हुई तो मैं एक सूची लेने का प्रयत्न करूंगा और मैं समझता हूं कि इससे सदस्यों को निश्चय ही संतोष होगा।

पूर्वी पाकिस्तान से ईसाइयों का आप्रवजन

+

*1220. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री काजरोलकर :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् बहुत बड़ी संख्या में ईसाई लोग पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गये थे ;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1966 तक कुल कितने ईसाई भारत आ चुके थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी, नहीं। अगस्त, 1965 से 31 जनवरी, 1966 तक की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से केवल 964 ईसाई भारत आये हैं।

(ग) अब स्थिति कुछ सुधर गई प्रतीत होती है और प्रव्रजन की गति धीमी पड़ गई है। ताशकन्द घेरावा को ध्यान में रखते हुये यह आशा की जाती है कि पाकिस्तान द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न की जायगी जिससे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बिना किसी भय से अपने सामान्य व्यवसाय को कर सकेंगे।

Shri Vishwanath Pandey : May I know the places in India where the Christians coming from E. Pakistan have been Rehabilitated and also the facilities given to them ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह प्रश्न उन व्यक्तियों के बारे में है जिनके अप्रैल, 1965 के बाद किसी निश्चित अवधि के लिये भारत में आने की संभावना है। वास्तव में भारत में केवल वही व्यक्ति आ सकते हैं जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज हों और उनको ही पुनर्वास संबंधी तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। फिर ऐसे मामलों में जिनमें भी विपत्ति पैदा होने की संभावना हो राज्य सरकारों को विवेक दिया गया है और राज्य सरकार इस प्रकार के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

Shri Vishwanath Pandey : As is reported in the Press that the Christians who have come from E. Pakistan contain such element also as takes part in sabotage activities against India since they are having the backing of foreign missionaries ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में जो व्यक्ति आते हैं उनकी छानबीन के लिये सरकार द्वारा दल नियुक्त किये गये हैं और लगभग 48,000 परिवारों की छानबीन की गई है यह पता लगाने के लिये कि क्या किसी राष्ट्रने कोई शरारत की है।

श्री काजरोलकर : ये लोग पाकिस्तान में क्या व्यवसाय करते थे और क्या उन्हें यहां उनके व्यवसाय के अनुसार रोजगार दिया गया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री हेम बरुआ : अभी उपमंत्री महोदय ने बताया है कि पाकिस्तानी आक्रमण के बाद केवल 900 ईसाई भारत आये हैं। क्या पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान अथवा उसके दौरान कोई ईसाई पाकिस्तान गया और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस ओर पाकिस्तान का ध्यान दिलाया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा चुका है। श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हमारी जानकारी में कोई अल्पसंख्यक पाकिस्तान वापिस नहीं गया है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है यह वैदेशिक कार्य मंत्री महोदय से पूछा जाना चाहिये।

श्री अन्सार हरवानी : मंत्री महोदय ने कहा जो लोग भारत आये हैं उनके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल की जा रही है। क्या केवल इसाईयों की ही जांच पड़ताल की जा रही है अथवा भारत आने वाले अन्य लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं बता चुका हूं कि इसके लिए एक जांच पड़ताल समिति बनाई गई है जो प्रत्येक शिविर में जाकर हिन्दू, मुसलमान तथा इसाई सभी लोगों की जांच पड़ताल करती है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि अधिकांश पश्चिमी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान की समस्या हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न समझते हैं तथा पाकिस्तान द्वारा इसाईयों पर किये जानेवाले अत्याचार के बारे में पश्चिमी देशों में भारत का प्रचार प्रभावहीन रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इसाईयों के हितों के प्रति विदेशों में उनकी मिशनरियां पूरी तरह जागरूक हैं। हम इस बात को अधिक तूल देने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। हमने इस सम्बन्ध में कोई प्रचार नहीं किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बता चुके हैं कि मिशनरियां स्वयं प्रचार का कार्य कर रही हैं। इस लिये हम इस ही आवश्यकता नहीं समझते हैं।

Dearth of Candidates for I. A. S. Services

***1223. Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for some time past there has been a dearth of candidates possessing proper mental inclination for I.A.S., I.F.S., and I.P.S.;

(b) whether Government's attention has been drawn to the advice regarding the method of recruitment given by Shri Denis Brogan during his lecture delivered under the aegis of the Indian Council of Cultural Affairs and the Indian Institute of Public Administration in December, 1965 ; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No Sir.

(b) Government have seen a brief press report on Shri Denis Brogan's lecture.

(c) According to the press report, Shri Brogan's comments were mainly based on the British experience. Government have recently set up an Administrative Reforms Commission which is also expected to report on recruitment policy and training of civil servants in order to make public administration a fit instrument for carrying out the economic and social policies of the Government and to achieve social and economic goals of development.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या भारतीय प्रशासन सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मामलों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे प्रत्येक उत्तरदायित्व को निभा सकें ?

श्री हाथी : उनके चुनाव के बाद उन्हें इन विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या साक्षात्कार के समय प्रतिभाशाली छात्र भी कभी कभी प्रभावित नहीं कर पाते हैं और वे नहीं छांटे जाते हैं ?

श्री हाथी : अब ऐसा नहीं होता है। पहले व्यक्तित्व की परीक्षा के अंक पृथक् गिने जाते थे और यदि उम्मीदवार उसमें सफल नहीं होते थे, तो उन्हें नहीं चुना जाता था। किन्तु अब दोनों के अंकों को जोड़कर उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : चूंकि निकट भविष्य में पंजाबी राज्य और हरियाना राज्य बन जायेंगे, अतः क्या और भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध है।

Shri Sidheshwar Prasad : Is it not a fact that there has been no change in the attitudes of the I.A.S. and I.P.S. Officers after independence and if so the steps taken by the Government to initiate any change in their outlook ?

Shri Hathi : The Administrative Reform Commission has been entrusted with this work.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, क्या उन्हें कोई कृषि प्रधान सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है ?

श्री हाथी : उनके चुनाव के बाद उन्हें गांवों में भेज कर कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या यह सच है कि विवाहित महिलाएं इन परीक्षाओं में नहीं बैठ सकती हैं अथवा यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है ? क्या यह सच नहीं है कुछ महिला भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी काफी दक्ष साबित हुई हैं ?

श्री हाथी : इस प्रश्न का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या स्तर गिर रहा है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? विवाह का इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध मूल प्रश्न से भले ही कोई सम्बन्ध न हो किन्तु मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिये ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : आप भारतीय समाज के किसी एक वर्ग को इस परीक्षा में बैठने से वंचित कर रहे हैं । यह भी स्तर गिराना ही है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अब उत्तर देना ही चाहिये अन्यथा सभी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी ।

श्री हाथी : भारतीय प्रशासन सेवा में प्रवेश पाने के बाद महिलाएं शादी कर सकती हैं ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या इस बात की अच्छी तरह जांच की गई है कि इन परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों का स्तर उत्तरोत्तर क्यों गिर रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री हाथी : जो लोग इन सेवाओं में लिये जाते हैं वे आम तौर पर परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में सबसे योग्य होते हैं । किन्तु यह दो बातों पर निर्भर है । पहले 30 से लेकर 50 उम्मीदवार छांटे जाते थे । उसमें सभी योग्य व्यक्ति होते थे । किन्तु अब यह संख्या बढ़ कर 160 तक हो गई है अतः पहले जैसा स्तर नहीं रहता है ।

Theft in College of Arts

+

*1224. **Shri Hukam Chand Kachhavaia :** **Dr. L. M. Singhvi :**

Shri Prakash Vir Shastri :

Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is fact that in the last week of March, 1965, a statue worth Rs. 15,000 to 20,000 approximately was stolen from the College of Arts, Delhi;

(b) whether this statue was recovered in Connaught Place and if so, the number of persons arrested in this connection;

(c) the name of the present possessor of this statue and whether attention has been drawn to several other statues of this College sold by the officers of this College; and

(d) whether it is also a fact that statues were sent by the College to different exhibitions held from time to time and if so, the number thereof and the number of statues returned ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). A statue of an approximate value of Rs. 1,000/- was stolen from the College of Arts. This was recovered by the Police from Connaught Place and returned to the College. No arrests were made. No statue belonging to the College has been sold so far.

(d) Yes, Sir. 13 statues were sent on 27-9-65 to All India Fine Arts & Crafts Society. All have been received back.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : The hon. Minister has stated in part (d) that thirteen statues were sent. I have got proof with me. This is the *Illustrated Weekly* of April. There are many photos of these statues in it. Along with these is receipt No. 36 which shows that according to Nos. 2501 to 6000 many statues have been taken out from the college on gate pass. There are other proofs also in support of this contention that many statues have been sent from there to various exhibitions and have not been received back and the Principal has sold them out on his own. I want to know whether Government will enquire into this matter. What action has been taken against the persons who have sold these statues ? Why these statues have not been received back yet ?

श्री मु० क० चागला : सरकारी सूचना के अनुसार 13 मूर्तियां 27 सितम्बर को अखिल भारतीय ललित कला तथा शिल्प सोसाइटी को भेजी गई थी और सभी वापिस आ गई हैं। यदि माननीय सदस्य के पास और अधिक जानकारी है तो वे उसे मुझे दे दें। मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री रंगा : इस संस्था का नाम क्या है ?

श्री मु० क० चागला : कला कालेज (कालेज आफ आर्ट्स) जिसे दिल्ली प्रशासन चलाता है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Has Government's attention been drawn to this fact that the Principal of this college went on a tour of America in the month of December recently and he took with him statues prepared in the College which were worth thousands of rupees. First he took them to Calcutta and from there to America and has returned after selling them at high prices ? If so, what action Government has taken in this matter ? He has deposited the money received from such sale in post offices in the names of his relations and not in his own name. Will all these things be enquired into ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य ने मुझे एक पत्र भेजा है और उसका मैंने उत्तर दिया है। यदि उनके पास और अधिक जानकारी है तो मुझे भेज दी जानी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : How much cost was incurred on the manufacture of these stolen statues and for how much these were sold ?

श्री मु० क० चागला : बरामद हुई इस मूर्ति के 1000 रुपये की होने का अनुमान था।

Shri Prakash Vir Shastri : How much did it cost ?

श्री मु० क० चागला : वे केवल प्रदर्शन के लिये भेजी गई थी और वे सभी वापिस लौटा दी गई हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस बारे में जो विभिन्न आरोप लगाये गये हैं मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु माननीय मंत्री लोगों की इस धारणा का समाधान किस प्रकार करेंगे कि जिन हालात में ये मूर्तियाँ बेची गई या इनकी चोरी हुई या इनको बेचने से प्राप्त हुई धन राशि का गबन किया गया उनकी पूरी तरह जांच नहीं की गई थी और सारा मामला प्रशासन के कुछ लोगों की सांठगांठ से दबा दिया गया था? हम केवल यही चाहते हैं कि इस धारणा का समाधान कर दिया जाये और मंत्री महोदय से हम इस बारे में आश्वासन चाहते हैं।

श्री मु० क० चागला : श्री कछवाय ने मुझे लिखा और मैंने तत्काल उसकी जांच कराई। उसके बाद मैंने उन्हें उत्तर भेजा जिसमें जांच का परिणाम बताया गया था। यदि किसी माननीय सदस्य के पास और कोई जानकारी है तो वह मुझ भेज दी जाये। उसकी अवश्य ही जांच कराई जायेगी।

आपातकाल

+

* 1225. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री बाजी :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री लिंग रेड्डी :

श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपातकाल को समाप्त करने के लिये अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) इस मामले पर राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के सम्पूर्ण सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक जांच करने की जरूरत है। एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जांच और इसके बारे में फैसला करने में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

श्री स० मो० बनर्जी : देश में सभी वर्गों के लोगों ने इस जन विरोधी आपातकाल को जारी रखने के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किये हैं। क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के दबाव के कारण ही आपात-काल को नहीं हटाया जा रहा है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह किसी व्यक्ति की राय का प्रश्न नहीं है कि प्रायः आपात-कालीन शक्तियों का प्रयोग जारी रहे अथवा नहीं। यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। माननीय सदस्य ने लोगों द्वारा व्यक्त की गई राय की ओर निर्देश किया है। इस सभा में तथा बाहर व्यक्त किये गये विचारों को सबसे अधिक महत्ता दी जाती है। उस राय तथा देश में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। हमें आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्रियों के दबाव के कारण इसमें देरी जा रही है।

श्री नन्दा : किसी के दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार के अनिश्चित दृष्टिकोण के कारण यह निर्णय करने में देरी हो रही है और पिछले दो वर्षों से आपातकाल के कारण भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये लोग जेलों में सड़ रहे हैं जबकि उनको नजरबन्दी गैरकानूनी है। क्या आपातकाल हटाने के बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाने से पहले राज्य सरकारों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी जायेंगी कि गैरकानूनी रूप से नजरबन्द व्यक्तियों को छोड़ दिया जाये ?

श्री नन्दा : गैरकानूनी नजरबन्दी का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य राय तथा बदली हुई परिस्थितियों को सदैव ध्यान में रखा जाता है। माननीय सदस्य को पता है कि अभी हाल में ही इस सभा में एक वक्तव्य दिया गया था जिससे इस बारे में काफी तब्दीली आ गई है कि भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों को कैसे इस्तेमाल करना है; अर्थात् केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ही इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है और वह भी किन्हीं विशेष मामलों में ही। यहां तक कि इन्हें प्रयोग करने के निर्णय उच्चतम स्तर पर लिया जायेगा। इन सभी बातों पर अमल किया जा रहा है। मैंने यह भी कह दिया था कि हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि और क्या कर्ष-वाही की जानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री नन्दा : पुनर्विचार के आधार पर लोगों को रिहा किया जा रहा है और ऐसा पहले ही किया जा चुका है।

श्री दाजी : सरकार ने यह कहा है और प्रधान मंत्री ने भी कल अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि देश में हो रही घटनाओं से—शायद वे इन बन्दों अथवा आन्दोलनों की ओर निर्देश कर रही थी—आपातकाल के प्रश्न पर पुनर्विचार करना कठिन हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार की सोची हुई राय है कि सभी फौजदारी कानूनों तथा निवारक निरोध अधिनियम, जो ब्रिटिश सरकार के लिये वर्षों तक पुनरुज्जीवित हुए तथा लडाकू भारत पर शासन करने के लिये काफी रहे हैं, वे कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार के लिये लोमों को दबाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ?

श्री नन्दा : मुझे आशा है कि निवारक निरोध अधिनियम भी प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।

श्री नन्दा : दिल्ली बन्द जैसे शांतिपूर्ण आन्दोलन के मामले में तथा अन्य मामलों में इन असाधारण शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। हम (अन्तर्बाधा)

श्री दाजी : सरकार संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों को क्यों दबाना चाहती है ?

श्री नन्दा : केवल किसी बाहरी खतरे के मामले में ही अन्दरूनी स्थिति पर विचार करना जरूरी हो जाता है। इसलिये उसी महत्वपूर्ण बात पर विचार किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, इसपर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और मेरी राय में शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether this assessment is being made in consultation with State Governments and what has been the reaction of State Governments in this matter so far ?

Shri Nanda : State Governments do express their opinions, and they have agreed to these relaxations.

Dr. Ram Manohar Lohia : Is there any case for releasing persons, detained under the emergency and the D.I.R., in Delhi which even include persons connected with labour movement, who are being kept under detention on the plea of their being hard core people ? Is the hon. Minister not aware that under this many people are being used to settle their personal enmities ? I can even disclose their names. In Delhi trade union worker Agrawal is under detention, then there is Shri Lakhan Pal. There are eight or ten left Communists also including Shri Gopalan. There are about 20 persons in all.

Shri Nanda : If someone is detained due to personal enmity it is something quite indefensible. There is no justification for it. Excepting it this thing is covered under whatever I have said here that these extra-ordinary powers cannot be used in labour cases. If these powers have been used and somebody has been detained thereunder he should be released. I am prepared at once to see that this is done.

Dr. Ram Manohar Lohia : I may inform him that I had written to his Ministry about this matter at least 10 times. The hon. Minister says that he will see that this is done. But actually nothing is done.

Mr. Speaker : Order, Order.

Dr. Ram Manohar Lohia : They have rotting in jail for the last so many years and the hon. Members are laughing.

श्री ही० ना० मुकर्जी : बहुत ही सौम्य तथा सन्माननीय व्यक्तियों ने जिनमें उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं उनके सामने प्रस्तुत किये गये मामलों की जांच के आधार पर यह विचार व्यक्त किये हैं कि आपातकाल को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और वर्तमान सांवैधानिक तानाशाही की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार के अनुमान के अनुसार अभी भी यह आपातकाल बनाए रखना जरूरी है और क्या उन व्यक्तियों को जिन्हें सभा में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार रिहा कर दिया जाना चाहिये था विभिन्न राज्यों द्वारा नजरबन्द रखा जाना जरूरी है ?

श्री नन्दा : मैंने इन सब बातों का उत्तर दे दिया है। मैं उसमें अधिक वृद्धि नहीं कर सकता परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि न्यायिक राय का केवल एक पहलू से ही सम्बन्ध है। अन्य पहलू पर विचार किया जायेगा और, जैसा मैंने कहा, इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है और निर्णय करने में अधिक समय नहीं लगेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और रूस के बीच अनुसन्धान के मामले में सहयोग

* 1221. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के 6 वैज्ञानिकों ने, जो जनवरी, 1966 के प्रथम सप्ताह में भारत आये थे, यह विचार व्यक्त किया है कि भारत तथा रूस के वैज्ञानिकों के बीच अनुसन्धान के मामले में निरन्तर सहयोग रहना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) यह बताया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अग्रिम अध्ययन-परियोजना के केन्द्रों के लिये तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1965/जनवरी, 1966 के दौरान भारत आए रूस के 6 वैज्ञानिकों में से एक ने सुझाव दिया था कि भारत तथा रूस के वैज्ञानिकों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को निरन्तर शक्तिशाली बनाने के लिये कोशिशों की जानी चाहिये।

(ख) हमारा सोवियत संघ के साथ सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक विनिमय का कार्यक्रम है, और हम दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को निरन्तर सशक्त करने के सुझाव का स्वागत करते हैं।

शिक्षा संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्

*1222. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री धर्मलिंगम :

श्री रामसेवक यादव :

श्री रामपुरे :

श्री बागड़ी :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के विशेषज्ञ द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर शिक्षा संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस परिषद् के प्रशासन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राष्ट्रीय परिषद् के भावी कार्य के विकास के लिये यूनेस्को के विशेषज्ञ डा० हेडन की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) अनुसंधान परियोजनाओं, प्रसार सेवा केंद्रों, ग्रीष्म संस्थाओं तथा गोष्ठियों आदि के जरिए विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क बढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद् सहायता के आधार पर विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की सेवाओं को भी सुरक्षित कर रही है।

(ग) शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के लिये व्यापक-कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है और परिषद् की प्रकाशन-यूनिट बढ़ाई जा रही है।

मकान-निर्माण समितियां

*1226. श्री बागड़ी : क्या गृह-कार्य मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर तथा उसके संबंध में दिये गये आश्वासन के अनुपालन में 15 फरवरी, 1966 को सभा पटल पर रखे गये विवरणों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मकान निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिनके नक्शे (ले आउट प्लान) अभी तक पास नहीं किये गये हैं और देरी होने के क्या कारण हैं;

(ख) जिन समितियों को भूमि आवंटित की गई है परन्तु उन्होंने अपने नक्शे पेश नहीं किये हैं उनके क्या नाम हैं, और इसके क्या कारण हैं और नक्शों को पास कराने के लिये कितनी अवधि निश्चित की गई है; और

(ग) दिल्ली प्रशासन के पास विकसित किये गये ऐसे प्लानों की संख्या कितनी है जो कम आय-वर्ग के लोगों को दिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सम्भवतः प्रश्न का इंगित 8-11-65 को अंतरांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर की ओर है :—

(क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटलपर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6088/66।]

(ग) 350।

Naga Attack on Police Convoy

*1228. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 10th March, 1966, nearly 200 Naga rebels attacked armed Policemen proceeding towards Nungavi in Ukhrul Sub-Division consequent to which the Driver and policemen were injured ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to check such activities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A platoon of C.R.P. proceeding to Nungbi police post in Ukhrul Sub-Division was ambushed on 9-3-1966 by Naga hostiles numbering 200-300, but the convoy reached the destination safely except that one civilian driver of a jeep was injured.

(b) Security measures have been strengthened.

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की घटनाओं सम्बन्धी जांच आयोग

*1229. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री दाजी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने 3 फरवरी, 1966 को विद्यार्थियों और पुलिस के बीच हुई भिड़न्त के बारे में जांच करने के लिये बनाये गये एक सदस्यीय जांच आयोग का बहिष्कार किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने तीन-सदस्यीय जांच आयोग की मांग की है जिस के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों; और

(ग) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) इस बारे में राज्य सरकार को विचार करना है।

Resolution on National and Emotional Integration

*1230. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether his Ministry has considered the Resolution on National and Emotional Integration unanimously adopted by the House on the 25th February, 1966; and

(b) if so, the steps taken so far to implement the said Resolution ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, sir.

(b) Government had already taken steps towards the implementation of various recommendations made by the National Integration Conference, National Integration Council and the Committee of Vice Chairman of Zonal Councils. The progress achieved so far is now under review whereafter Government would take further necessary steps in the matter. In the mean time the Planning Commission and the Ministry of Education have been requested to assess the impact of measures adopted by them to reduce economic imbalance among various regions and to promote feelings of National Integration through a positive educational policy, respectively.

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द केरल के संसद्-सदस्यों की लोक सभा के आय-व्ययक सत्र में भाग लेने के लिये सशर्त रिहाई (पैरोल पर रिलीज) की प्रार्थना

*1231. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये केरल के किन्हीं लोक-सभा सदस्यों ने संसद् के चालू सत्र में भाग लेने के लिये सशर्त रिहाई (पैरोल) की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस मामले में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां, इस सम्बन्ध श्री ए० के० गोपालन से एक प्रार्थना मिली थी।

(ख) उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है।

उड़ीसा के सौदों के बारे में विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

*1232. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री 23 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के विधान-मंडल का लोक-लेखा समिति ने इस बीच विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा सभा में 16 मार्च, 1965 को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : लोक लेखा समिति, बिहार द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात् ही आगामी कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

विद्रोही मिजो नेताओं का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को पत्र

* 1233. श्री हेम बरुआ :

श्री बालकृष्ण सिंह :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री राजदेव सिंह :

श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री 25 मार्च, 1966 के ध्यानाकर्षक सूचना के उत्तर में उन के द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्रोही मिजो नेताओं द्वारा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लिखे गये पत्र का, जो हमारी सुरक्षा सेना ने छिपने वाले एक स्थान से बरामद किया है, अन्तर्विषय क्या है;

(ख) क्या इस पत्र में विद्रोही मिजो नेताओं ने इंडोनेशिया से सैनिक कार्यवाही करने की प्रार्थना की थी; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार इस बात का निश्चय कर सकी है कि मिजों विद्रोह के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शक्ल) : (क) लालडेंगा द्वारा राष्ट्रपति सुकर्ण को लिखे गये उद्दिष्ट पत्र की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6089/66।]

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ मास पूर्व मिजों नेशनल फ्रंट पूर्वी पाकिस्तान से शस्त्रास्त्र लाया था तथा पाकिस्तानी क्षेत्र की मिजों पहाड़ियों में अपनी गतिविधियों के लिये तथा प्रशिक्षण के लिये एक अड्डे के रूप में प्रयोग करता रहा है। मिजो पहाड़ियों से ले जाये गये सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी हिरासत में रखा है।

केरल में बागान श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने की धमकी

* 1234. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केरल में लगभग दो लाख बागान श्रमिकों ने, बोनस और मजूरी बढ़ाने आदि के मामले तय न किये जाने के कारण 24 अप्रैल, 1966 से अनिश्चित काल तक हड़ताल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मामलों को तय कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रिपोर्ट मिली है कि केरल में लगभग 1,01,400 श्रमिकों ने 25 अप्रैल, 1966 से आम हड़ताल करने का नोटिस दिया है।

(ख) केरल सरकार की बोनस बागान समिति बोनस के मामले पर विचार कर रही है। मजूरी और महंगाई भत्ते का प्रश्न बागान मजूरी बोर्ड के विचाराधीन है।

मिजो पहाड़ियों से निष्क्रमण

*1235. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ियों में रहने वाले अनेक गोरखा परिवारों को मिजो पहाड़ियां छोड़कर कछार में शरण लेनी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो मिजो पहाड़ियों से और अधिक निष्क्रमण को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा के विशेष प्रबन्ध और अधिक किए गए हैं तथा मिजों नेशनल फ्रन्ट के समर्थकों को घेर निकालने के प्रयत्न किए गए हैं जो देशभक्त तत्वों को धमकियां देकर हतोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी आशा है कि सामान्य स्थिति हो जाने पर निष्क्रमण रुक जाएगा और वे भी जो बाहर चले गए गए हैं धीरे-धीरे लौट आएंगे।

Sweepers of Oil India Ltd.

*1236. Shri Kishen Pattnayak : Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye : Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sweepers working in the Oil India Ltd. have demanded that their services should be brought under the control of the Company itself rather than under the control of the contractors;

(b) whether Government are aware that the contractors of the Company have removed from service about one thousand and five hundred sweepers since August, 1965;

(c) whether Government have looked into the matter; and

(d) if so, whether they have taken any action in this regard ?

The Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) The Government is not aware of this. The Government understand that at the headquarters of the Company sweepers are employed through a Co-operative Society of the sweepers and not through contractors and some sweepers and Indian Oil Workers Union have protested against this arrangement.

(b) No. Sir,

(c) and (d) : Do not arise.

एक कांस्टेबल के लड़के की मृत्यु

*1237. श्री गुलशन :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री प० ह० भील :

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

श्री वारियर :

श्री यशपाल सिंह :

श्री कपूर सिंह :

श्री मधु लिमये :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री किशन पटनायक :

श्री लखमू भवानी :

श्री कृष्णपाल सिंह :

श्री मौर्य :

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

श्री काशी राम गुप्त :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिक्कुरिटी लाइन्स, लिटन रोड, नई दिल्ली के एक पुलिस कांस्टेबल का इकलौता लड़का 14 जनवरी, 1966 को भारत सरकार के एक उप-सचिव की पत्नी द्वारा चलाई जा रही कार के नीचे आ गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत दो महीनों से इस मामले की जांच पड़ताल एक पुलिस सुपरिण्डेंट द्वारा इस ढंग से की जा रही है जिसके द्वारा शोकाकुल कांस्टेबल पर, अपने आरोप वापस लेने के लिये शासकीय तौर पर दबाव डाला जा रहा है ताकि उसके इकलौते लड़के की हत्या करने के आरोप से उच्च सरकारी अधिकारी की पत्नी को बचाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में तुरन्त तथा अविलम्ब उचित न्याय किया जाये, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार को यह पता है, कि 14 जनवरी, 1966 को सिक्कुरिटी लाइन्स, लिटन रोड, नई दिल्ली के एक पुलिस कांस्टेबल का एक लड़का एक कार के नीचे आ गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) कार के ड्राइवर का चालान कर लिया गया है, तथा न्यायालय में मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों का काट दिया जाना

* 1238. श्रीमती अकम्मा देवी :

श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री दाजी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण हाल में दिल्ली में तथाकथित रूप से लगभग 1200 टेलीफोन कनेक्शन काट दिये जाने से हुई हानि के लिये टेलीफोन विभाग, दिल्ली के विरुद्ध मुकदमा रोयल करने के लिये नागरिक परिषद् ने तीन आदमियों की एक समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है उसके अतिरिक्त सरकार के पास और कोई जानकारी नहीं है।

(ख) पूरे व्यौरों के अभाव में इन मामलों के सम्बन्ध में कोई पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं है।

लालडंगा की गतिविधियां

* 1239. श्री जसवन्त मेहता : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो नेशनल फ्रन्ट का प्रेजिडेंट लालडंगा छिप गया है; और

(ख) यदि हां, तो छिपे हुए विद्रोही मिजो लोगों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : हमारी सुरक्षा सेना द्वारा परिसमापन-कार्यवाहियां चालू हैं। नागरिक प्रशासन तथा लोक आत्म विश्वास पुनः स्थापित हो रहे हैं। देशभक्त नागरिकों को संरक्षण दिया जा रहा है। सारे देशभक्त तत्वों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट की हिंसा तथा राजद्रोही गतिविधियों के कारण जनता की सुरक्षा तर उनके कल्याण के लिये पैदा हुए खतरे से जनता को परिचित कराया जा रहा है।

दलों के सचेतकों को ब्रिटेन की यात्रा का प्रस्ताव

*1240. श्री सेक्षियान :

श्री गुलशन :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री मधु लिमये :

क्या संसद्-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के आम चुनावों को देखने तथा यूरोप के लोक-तंत्र देशों में संसदीय लोकतंत्र के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए संसद् के विभिन्न दलों के सचेतकों को ब्रिटेन भेजने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री(श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) : संसद् के विभिन्न दलों के सचेतकों को आम चुनाव देखने के लिये ब्रिटेन भेजने के एक सुझाव पर विचार किया गया था किन्तु बाद में इसको छोड़ दिया गया।

भारत अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान

*1241. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री यशपाल सिंह :

श्री किन्दर लाल :

श्री श्रीनारायण दास :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री राम हरक यादव :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री रामानन्द शास्त्री :

श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार पी० एल० 480 निधि के रूप में से एक भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिष्ठान की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस प्रतिष्ठान के प्रशासन कार्य में भारत और अमरीका का क्या योगदान होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित करने के प्रस्ताव पर अमरीका सरकार तथा भारत सरकार के सरकारी अधिकारियों के बीच प्रयोगात्मक दृष्टि से विचार-विमर्श किया गया है। प्रस्ताव तथा करार के प्रारूप को दोनों सरकारों द्वारा पारस्परिक विचार-विनिमय से अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विचार यह है कि इस देश में शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्यकलापों की प्रगति के लिये अमरीका की कुछ संघृत-निधियों का उपयोग एक स्वतंत्र द्विराष्ट्रीय प्रतिष्ठान के जरिये किया जाए, जो इस कार्य के लिये अनुदान देगा।

Degree of Doctor Honoris Causa***1242. Dr. Ram Manohar Lohia :****Shri Ram Sewak Yadav :****Shri Bagri :**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 248 on the 16th February, 1966 and state :

(a) the number of persons upon whom the degree of Doctor Honoris Causa was conferred by the Central Universities belonging to (i) the Ruling Party, (ii) associated with the Ruling Party and (iii) associated with non-ruling parties, out of 134 persons who were awarded such degrees by the Central Universities ; and

(b) if no such assessment has been made, the difficulties in having such assessment being made now ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) & (b). Of the 134 persons on whom Honorary Doctorates were conferred by the Central Universities upto 31st December, 1965, only 17 belonged to the Ruling Party. The remaining persons, which included a large number of foreigners, belonged to different walks of life, namely, educationists, scientists, philosophers, authors, social workers etc. It is not feasible to make an assessment of their association with any particular party because 'association' is a very wide term and is capable of being interpreted in many ways.

महाराष्ट्र के लिए लाइट डीजल तेल

***1243. श्री दे० शि० पाटील :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य को दिसम्बर, 1965 में उसकी मांग पूरी करने के लिये 20,000 टन लाइट डीजल तेल का कोटा दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत महीने में उक्त कोटा 20,000 टन से घटा कर 14,000 टन कर दिया गया था, और इससे महाराष्ट्र राज्य के समूचे कृषि कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होगी है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप काफी पम्प तथा तेल से चलने वाले इंजन बेकार पड़े हैं और खड़ी फसल सूख रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां। वास्तविक सप्लाई 20,822 मीटरीक टन तक थी।

(ख) और (ग) : मार्च, 1966 में महाराष्ट्र का कोटा 16,500 मीटरी टन था और वास्तविक सप्लाई 14,199 मीटरी टन। अप्रैल, 1966 में 16,500 मीटरी टन की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। क्योंकि फसल कटने का मौसम समाप्त हो जायेगा ; इस लिये आशा की जाती है कि लाइट डीजल तेल की मांग में कुछ कमी हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश में जासूसों का गिरोह

*1244. श्री महेश्वर नायक :

श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में तिब्बत के साथ सीमा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जासूसों का एक गिरोह कार्य कर रहा है और वहां खोज करने पर कुछ रेडियो ट्रांसमिटर तथा अन्य अनधिकृत सामान मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को सजा देने तथा इस खतरेवाली स्थिति को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे इस बात का अनुमोदन किया जाये कि उत्तर प्रदेश में तिब्बत के साथ सीमा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जासूसों का गिरोह कार्य कर रहा है। लक्ष्मण झुला, ऋषिकेश के एक आश्रम से दो बिना लाइसेंस के ट्रांस-रिसिवर सेट पकड़े गये हैं। क्योंकि लाइसेंस के बिना रिसिवर सेट रखना बेतार की तार अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है। इस लिये एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में व्यक्तिगत जमानत पर छोड़ दिया गया। जासूसी का कोई संदेह नहीं है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में सैन्य-शिक्षा (मिलिटरी साइंस) के विशेष पाठ्यक्रम का आरम्भ किया जाना

*1245. श्री मधु लिमये : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय विश्वविद्यालय ने सैन्य-शिक्षा तथा युद्ध व शस्त्र इतिहास के विशेष पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त रूप से इस प्रकार का पाठ्यक्रम करने का कोई प्रस्ताव किसी विश्वविद्यालय के पास भेजा है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव किया है कि भारतीय विश्वविद्यालय प्रतिरक्षा के लिये संसाधन जुटाने की आर्थिक समस्या का अध्ययन करें ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार आठ विश्व-विद्यालयों द्वारा किसी न किसी रूप में सैनिक विज्ञान पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहा है।

(ख) और (ग) : जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कार्य के लिए विद्यार्थियों की सेवा का उपयोग

*1246. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय कार्य के लिये विद्यार्थियों की सेवा का उपयोग करने के बारे में 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा चालू करने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा चालू करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

तेल-शोधक कारखाना

3931. श्री अ० क० गोपालन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल उद्योग और अमरीकी तेल कम्पनी के बीच एक करार होने ही वाला है;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या होंगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तेल शोधक कारखाने का इंजीनियरी तथा डिजाइन तैयार करने का कार्य इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को देने का है; और

(घ) क्या इस काम के लिये इस कम्पनी को चुनने में कोई विशेष लाभ है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) मद्रास में एक शोधनशाला की स्थापना के लिये 18-11-1965 को भारत सरकार और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी तथा अमरीका की अमोको इण्डिया इन्कारपोरेडिड (अमरीकन इण्टरनेशनल आयल कम्पनी की एक अनुषंगी) के बीच एक करार हुआ था।

(ख) 16-2-1966 को सभा पटल पर करार की प्रतियां, जिनमें करार की शर्तें थीं, रखी गई थी।

(ग) इन्जीनियरिंग इण्डिया लि० को मद्रास शोधनशाला के केवल डिजाइन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

(घ) इन्जीनियर्स इण्डिया लि० एक कम्पनी है जिसमें भारत सरकार के बहुमत हिस्से हैं विशेष लाभ यह है कि इण्डियन इन्जीनियर्स डिजाइन कार्य में भाग लेगी।

केरल में उद्योगों के लिये बिजली की सप्लाई में कटौती

3932. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1965 में केरल के अल्वाय में और उसके आसपास उद्योगों में बिजली की कमी के कारण कितने श्रमिकों को अनिवार्य छुट्टी दी गई ;

(ख) उद्योग-वार उत्पादन में अनुमानतः कितनी कमी हुई ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि हर वर्ष इन महीनों में ऐसी ही स्थिति रहती है; और

(घ) यदि हां, तो बार-बार की इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6090/66।

(ग) जी, हां।

(घ) बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोजनाएं चलाई गई हैं। शोलायर योजना की पहली इकाई (18 एम डब्ल्यू) और साबरीगिरी स्टेशन की दो इकाइयों (प्रत्येक 50 एम डब्ल्यू) के कार्य की शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है। राज्य की जल-विद्युत क्षमता को उष्मीय शक्ति पहुंचाने के विचार से, अर्नाकुलम में एक थर्मल प्लांट स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।

क्विलोन में आरा मिलों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3933. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या क्विलोन के आरा मिलों के श्रमिकों ने नवम्बर, 1965 में हड़ताल कर दी थी ;
- (ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे ;
- (ग) समझौता किन शर्तों पर हुआ था; और
- (घ) काम करने के कितने दिन खराब हुए ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) श्रमिकों की मांगें, 1964-65 वर्ष के बोनस के भुगतान और महंगाई भत्ते को निर्वाह-खर्च-सूचकांक से जोड़ने के सम्बन्ध में थी।

(ग) समझौते की शर्तें इस प्रकार थीं :—

1. (i) क्विलोन के लिए निर्वाह-खर्च-सूचकांक के 530 से अधिक अंकों में बढ़ौती या कमी पर हर 5 अंकों पर दो पैसे की दर से महंगाई भत्ता दिया जायेगा। यह 1-12-1964 से लागू होगा।
- (ii) निर्वाह-खर्च-सूचकांक में घटाव-बढ़ाव के कारण महंगाई भत्ते का सम्बन्ध वर्ष में दो बार (1 दिसम्बर, और 1 जून को), उस समय प्रकाशित निर्वाह-खर्च-सूचकांक के अंतिम आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा। पहली छ माही की महंगाई भत्ते की बकाया रकम ओणम से पहले दी जायेगी। उजरती श्रमिकों को महंगाई भत्ता उपर्युक्त आधार पर दिया जायेगा बशर्ते कि 30-5-1965 के समझौते के आधार पर इस श्रेणी को इस समय जो 15 पैसे प्रतिदिन दिये जाते हैं, इन्हें उपर्युक्त आधार पर मिलने वाले उनके महंगाई भत्ते में समायोजित कर लिया जायेगा।
2. श्रमिकों को 1964-65 को 1964-65 का बोनस उनकी आय के 8 3/4 प्रतिशत के बराबर दिया जायेगा बशर्ते कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में निर्धारित न्यूनतम राशि से यह कम न हो और श्रमिक अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इसके हकदार हों। बोनस का भुगतान ओणम से पहले किया जायेगा।

(घ) नौ।

बुड वर्कशाप, कालीकट में हड़ताल

3934. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुथियारा बुड वर्कशाप, कालीकट के श्रमिकों ने दिसम्बर, 1965 में हड़ताल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) क्या हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे; और यदि हां, तो कितने और किस आरोप में;

(घ) काम करने के कुल कितने दिन खराब हुए; और

(ङ) यदि समझौता किन्हीं शर्तों पर हुआ था, तो किन शर्तों पर?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) श्रमिकों की मांगें मजूरी के 25 प्रतिशत के बराबर बोनस की अदायगी करने, जबरी छुट्टी का रजिस्टर बनाने, छुट्टी कार्ड जारी करने, कैटीन खोलने आदि के बारे में थी।

(ग) जो श्रमिक काम करने के लिये तैयार थे उन्हें रोकने के अधियोग में 9 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(घ) छः।

(ङ) जिला श्रम अधिकारी, कोजीकोडे ने समक्ष 21-12-1965 को हुए समझौते की मूल शर्तें थीं: 1-7-1965 से मजूरी में संशोधन करना, 1-1-66 से वेतन वृद्धि मंजूर करना, छुट्टी कार्ड सप्लाई करना, पेशगियों की वसूली के लिये किस्तों की संख्या को दुगुना करना, मैनेजमेंट द्वारा श्रमिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में मैनेजमेंट द्वारा दिए गए नोटिस वापस लेना।

न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड

3935. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल के ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय को लागू करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसे लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक सम्बन्ध समिति की बोनस उप-समिति ने ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों के लिये एक बोनस-फार्मूला तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और क्या इसे क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केरल राज्य में ताड़ी टेपिंग उद्योग में रोजगार के लिए न्यूनतम मजूरी समिति की सिफारिशें लागू करने के लिये केरल सरकार द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) समिति की रिपोर्ट पर केरल के न्यूनतम मजूरी बोर्ड ने विचार किया, जिसने 7 मार्च, 1966 को राज्य सरकार को अपना परामर्श दिया। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) : तदर्थ समिति ने बोनस की विभिन्न दरों की सिफारिशों की—1965-66 के लिये 6 प्रतिशत से 11 1/4 प्रतिशत तक और 1966-67 के लिए 9 1/2 प्रतिशत से 12 1/4 प्रतिशत तक। समिति ने 1967-68 के लिए बोनस की समान दर (13 प्रतिशत) की भी सिफारिश की। ये सिफारिशें औद्योगिक सम्बन्ध समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इन सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में सूचना केरल सरकार से मांगी गई है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

Welfare of Agricultural Labour

3936. **Shri D. S. Patil :**

Shri Kamble :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state the action taken under the Third Five Year Plan for the betterment of the agricultural labour ?

The Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : Measures for the betterment of agricultural labour are being taken by the various Ministries of the Central Government. Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में डाक-टिकट

3937. **श्री राम हरख यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह टिकट कितने मूल्य का होगा; और

(ग) यह टिकट किस तारीख को जारी किया जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) 15 पैसे ।

(ग) 15 मई, 1966।

बाल पुस्तक न्यास

3938. **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री 16 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, जो न्यास को एक लाख रुपये का आवर्तक अनुदान देती है और जिसने उसे 25 लाख रुपये का ऋण दिया है, इस न्यास में शासकीय तौर पर, प्रतिनिधित्व प्राप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(ग) क्या 25 लाख रुपये के इस ऋण पर कोई व्याज लिया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) न्यास के अच्छे काम तथा उसकी मर्यादा का ध्यान रख कर, सरकार ट्रस्ट का सदस्य होना जरूरी नहीं समझती। ऋण अथवा अनुदान के लिये ऐसी कोई शर्त नहीं गयी।

(ग) जी, हां। परन्तु न्यास को एक उपदान, जो ऋण के ब्याज के बराबर है, दिया गया है।

भारतीय अध्यापकों की अमरीकी यात्रा

3939. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू शिक्षा-वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीकी साहित्यिक जीवन को अध्ययन करने के लिए भारत से अध्यापकों का एक दल अमरीका गया था,

(ख) यदि हां, तो कितने अध्यापक वहां गये थे और इस कार्यक्रम से उन्हें किस सीमा तक लाभ हुआ है; और

(ग) इस कार्यक्रम से अब तक कुल कितने भारतीय अध्यापकों को लाभ हुआ ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) पन्द्रह। कार्यक्रम की स्थिरता का अनुमान नहीं लगाया गया है परन्तु यह पूर्णतया महसूस किया गया है कि कार्यक्रम लाभदायक तथा प्रभावशाली रहा।

(ग) 205।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था

3940. श्री राम हरख यादव : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में अमरीका के सहयोग से कुर्ला, बम्बई में पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय के प्रशिक्षकों के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था खोली है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का विस्तारपूर्वक कार्यक्रम क्या है; और

(ग) अमरीका से किस रूप में सहायता और सहयोग प्राप्त हुआ है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, जुलाई 1962 में।

(ख) इस प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सरकारों की दस्तकारी प्रशिक्षण योजना और सरकारी तथा निजी उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 15 इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस समय प्रशिक्षण संस्थान में 332 अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी के माध्यम से नीचे लिखे अनुसार सहायता प्रदान की है :--

(एक) तीन वर्षों के लिए 7 विशेषज्ञों का एक दल।

(दो) फरवरी 1966 तक प्राप्त 3,59,678 डालर की लागत का साज सामान।

(तीन) प्रशिक्षण संस्थान के 16 अधिकारियों/सीनियर मास्टरों को 6 महीने तक संयुक्त राज्य अमरीका में प्रशिक्षण की सुविधा।

कण्णनूर सेंट्रल जेल में पीने के पानी की व्यवस्था

3941. श्री प० कुन्हुन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल में कण्णनूर सेंट्रल जेल में पीने के पानी की कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि कण्णनूर सेंट्रल जेल में कुएं खोदने और नल लगाने के कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) जी, हां ।

(ख) सेंट्रल जेल, कण्णनूर में एक कुआं खोदने तथा पम्प सैट लगाने का एक प्रस्ताव है ।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अध्यापकों का निर्वाचन-क्षेत्र

3942. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने का है जैसा कि एक कांग्रेस निकायने सुझाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कई राज्यों तथा दूसरे लोगों के सुझावों पर एक ऐसा प्रस्ताव विधि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

(ख) यह सुझाव अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर आधारित है:--

(1) केवल एक व्यवसाय के लोगों के प्रति विशेष बर्ताव करने की औचित्यता ;

(2) शैक्षणिक संस्थानों में सक्रिय राजनीति का आरम्भ होना ;

(3) संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) तथा आचार तथा अनुशासन नियमों के अधिन उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से सहकारी स्कूलों तथा स्थानीय निकायों के स्कूलों के अध्यापकों चुनाव के लड़ने की अक्षमता ।

सूरत जिले में छिद्रण कार्य

3943. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री रा० बरुआ :

[श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत जिले में डिआ गांव में तेल का कुआं खोदने के काम में लगे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीशियनों ने विभिन्न स्थानों पर गैस का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन स्थानों पर और आगे खोज कार्य आरम्भ किया गया है :

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलंगसन) : (क) जी हां, सूरत जिले में डिआं गांव के पास एक कुएं का व्यधन करते हुए गैस मिली है।

(ख) उह क्षेत्र में खोज कार्य पहले से ही जारी है।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना

3944. श्री मुरली मनोहर :

श्री राम हरख यादव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस कारखाने की कितनी अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलंगसन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

केरल के राज्यपाल के सलाहकारों के भत्ते

3945. श्री अ० व० राघवन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के राज्यपाल के सलाहकारों ने अपना कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर 28 फरवरी, 1966 तक भत्तों के रूप में कितनी राशि ली ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : 3500 रु० प्रतिमास के अपने वेतन के अतिरिक्त 28 फरवरी, 1966 तक सलाहकारों ने यात्रा भत्ते के रूप में 23,951 रु० 90 पैसे की राशि ली।

बडगरा में जूनियर टेक्निकल स्कूल

3946. श्री अ० व० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बडगरा में एक जूनियर टेक्निकल स्कूल स्थापित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) यह स्कूल कब स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : बडगरा में जूनियर तकनीकी स्कूल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक कोई प्रगति नहीं की है।

केरल में नये स्कूल

3947. श्री अ० क० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में फरवरी, 1966 में विभिन्न जिला विकास परिषदों द्वारा नये स्कूल खोलने के बारे में एक प्राथमिकता सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में केरल सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है,

(ग) क्या सरकार ने जिला विकास परिषदों द्वारा निर्धारित क्रम और प्राथमिकता को बदलने के बारे में कोई निर्णय किया है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या एक सूची, जिसमें जिला विकास परिषदों द्वारा सिफारिशें किये गये स्कूलों और मंजूर किये गये स्कूलों के नाम दिये गये हैं, सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

3948. श्री केप्पन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सहायता-प्राप्त स्कूलों के कितने अध्यापकों का वेतन अभी तक गैर-सरकारी (प्राइवेट) सेक्रेण्डरी स्कूल योजना के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया है;

(ख) न्यायालय ने कितने मामलों में फिर से वेतन निर्धारित करने के आदेश दिये; और

(ग) पिछले बारह महीनों से ऐसे कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Devanagari Script for all Languages

3951. Shri Kamble :

Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether Government have formulated a scheme to adopt Devanagari Script for all the languages in the interest of national integration and also to make the languages easy to learn ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) & (b). No specific scheme has been drawn up for this purpose, but in order to enable the Devanagari Script to be used for transcription of the Regional Languages, an expert committee was set up to suggest symbols/diacritical marks for expressing the peculiar sounds of the Regional Languages, which are not found in the existing Devanagari Script. The Committee has since made its final recommendations, which will be published for general information and use, after they have been approved by the Government.

In order to encourage the use of Devanagari-Script in transliteration of books of the Regional Languages, financial assistance is given to voluntary organisations for publication of books in Regional Languages in Devanagari Script with translation in Hindi and for publication of books in Diglot form, i.e. regional languages and Devanagari Script. Under this scheme financial assistance has already been rendered to two organisations.

उद्योगपतियों तथा वैज्ञानिकों का सम्मेलन

3952. श्री श्रीनारायण दास :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों तथा सरकारी अधिकारियों के गत दिसम्बर में हुए दो दिन के सम्मेलन में की गई सिफारिशें योजना आयोग को मिल गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप देने के लिये इन में से किन सिफारिशों को विचार के लिये स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) सिफारिशें आयोजना आयोग के पास भेज दी गई हैं ।

(ख) सिफारिशें, अनुसंधान और विकास संबंधी नीति के मामलों तथा विशिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में विशिष्ट परीक्षणों से सम्बन्धित हैं । विस्तृत सिफारिशें, 'फर्स्ट गेट-टुगेदर आफ रीसर्च एण्ड इन्डस्ट्री—रिकमन्डेशन्स' नामक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) इन पर विचार किया जा रहा है ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

3953. श्री लिंग रेड्डी : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी, बीमारी, प्रसूति, वृद्धावस्था अथवा किन्हीं अन्य लाभों के दारों में कोई योजना बनाई गई है और तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तिम वर्ष में क्रियान्वित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा और निर्वाह निधि योजनाएं, जिनमें कामगारों और उनके परिवारों के लिए बीमारी, प्रसूति, रोजगार में चोट, सेवा-निवृत्ति वारें वृद्धावस्था में लाभ की व्यवस्था है, बहुत सालों से चालू हैं । बेरोजगारी बीमा के बारे में 1965-66 में एक ड्राफ्ट स्कीम तैयार की गई, परन्तु अभी तक इसको अंतिम नहीं दिया गया ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के लिये अमरीकी सहायता

3954. श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1965-66 में पी० एल० 480 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के लिए अमरीकी सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) कौन से विश्वविद्यालय इस सहायता से लाभ उठावेंगे तथा किस कार्य के लिये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Land Prices in Delhi

3955. **Shri D. N. Tiwary :**

Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of land in Delhi and its colonies are rising in spite of all efforts to check the same;

(b) whether the Officers of the Delhi Development Authority are indirectly-instrumental in this rise in prices ;

(c) whether the plots auctioned on the 4th December, 1965 fetched phenomenal prices ; and

(d) if so, the details thereof ?

■ **The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) & (b). There has been some upward trend in the prices of plots of land disposed of by auction by the Delhi Development Authority. The rise is mainly due to increased pressure of demand for residential plots in Delhi and the upward trends in the general price level. The officers of the Delhi Development Authority have no connection with this rise.

(c) & (d). Auction of plots was held not on 4th December, 1965, but on the 5th December, 1965. 41 plots were disposed of on that date and the range of the prices fetched was between Rs. 46.68 per sq. yd. (for a plot measuring 482 sq. yds.) to Rs. 91.25 (for a plot measuring 297 sq. yds.). Considering that the reserve price of the plots in the area is Rs. 39/- per sq. yd. and as the bids for particular plots vary according to the choice of an individual, size and location of the plot, and also considering the market price of plots of land prevailing at the time the scheme of large-scale acquisition, development and disposal of land in Delhi was sanctioned, the bids are not considered excessive.

पैनिसिलिन की कीमत

3956. श्री स० मो० बनर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिंपरी में बनने वाली पैनिसिलिन की कीमत और कम कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) अन्य देशों में पैनिसिलिन की कीमत की तुलना में यह कीमत कैसी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार एच० ए० एल० पिम्परी में उत्पादित पैनिसिलिन के दो यूनिटों (unitages) के फुटकर मूल्य और यूनाईटेड किंगडम, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी और कॅनेडा में उसी प्रकार के शीशियों में भरे हुए (vialled) उत्पादों के आन्तरिक मूल्य निम्न प्रकार हैं :

(पैसों में कीमत)					
उत्पाद	एच०ए०एल	यू० के०	अमरीका	पश्चिमी जर्मनी	कॅनेडा
1. पेंसलीन जी० साइ 5 लाख	61	84	81	504	91
2. पेंसलीन बी० टेब- लिटस 65 एम० जी० × 36 टेबलिटस	475	746	1976	108	

बोनस का भुगतान

3957. श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की तालिका ने, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत न आने वाले सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को बोनस देने से संबंधित योजना को, अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यतः सचिवों द्वारा सरकार को दी गई सलाह के व्यौरे का प्रचार नहीं किया जाता । उनकी सलाह पर विचार करने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत न आने वाले केन्द्रीय सरकार के अप्रतियोगी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी की मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त होने चाहिए :--

- (i) सरकारी क्षेत्र के सभी अप्रतियोगी उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को उतनी ही अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की जानी चाहिए, जितनी कि उन्हें बोनस के रूप में करनी पड़ती, यदि वे बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आते,
- (ii) जहां इस प्रकार की अनुग्रह-पूर्वक अदायगी पहले कर दी गई हो, वहां उस अदायगी को उपर्युक्त (i) में निर्धारित राशि में समयोजित किया गया समझना चाहिए । दूसरे शब्दों में पहले की गई अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के अतिरिक्त बोनस कानून के आधार पर निर्धारित की गई अदायगी के लिए कर्मचारियों का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ;
- (iii) सरकारी क्षेत्र के प्रतियोगी उपक्रमों द्वारा भी ऊपर (ii) में निर्दिष्ट सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए ;

(iv) उपर्युक्त (ii) और (iii) की व्यवहार्यता वैयक्तिक मामलों में उपक्रम के कार्य के स्तर को बनाए रखने की शर्त के आधार पर होगी ।

दिल्ली में टेलीफोन

3958. श्री यशपाल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1965 तक की अवधि में दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन लेने के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उनमें से कितने लोगों को टेलीफोन दे दिये गये हैं ; और

(ग) बाकी लोगों को कब तक टेलीफोन दिये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 10,251 ।

(ख) 1,592 ।

(ग) ठीक ठीक यह बताना संभव नहीं है कि बकाया प्रार्थियों को कब तक टेलीफोन दिये जा सकेंगे । दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत मौजूदा प्रतीक्षा सूची में लगभग 50,000 व्यक्ति हैं । उपलब्ध साधनों के अनुसार बकाया मांगों की अधिक से अधिक पूर्ति करने के उद्देश्य से मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने, अतिरिक्त केबल बिछाने आदि जैसी कारवाइयाँ की जा रही हैं । 31 दिसम्बर, 1965 तक की सभी ताज़ा मांगों के निकट भविष्य में ही पूरी हो जाने की सम्भावना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

3959. श्री यशपाल सिंह :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज थे ;

(ख) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की सम्भावना है ; और

(ग) इन पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 236 ।

(ख) लगभग 30 नये टेलीफोन केन्द्र और खोले जाने की सम्भावना है ।

(ग) लगभग 6.15 लाख रुपये जिसमें मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों के विस्तार पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है ।

University Education System

3960. Shri Bibhuti Mishra :

Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the University Grants Commission during his Convocation Address at Chandigarh on the 18th December, 1965 said that the Indian Universities do not impart education which is within the reach of the poor and needy students and also pointed out certain other shortcomings the education system ;

(b) if so, the reasons why, instead of improving the matters, Government allow their Officers to point out these shortcomings ; and

(c) whether it is a fact that pointing out of shortcomings in this way has an unhealthy effect ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. While pointing out some of the shortcomings of our educational system, the Chairman of the University Grants Commission emphasised the role which the Universities have to play in disseminating knowledge and transforming the present state of society.

(b) and (c). The Chairman is a distinguished educationist and the head of an autonomous body viz. the University Grants Commission. He is entirely within his rights to express his views on various educational matters and policies. Besides, constructive criticism is not unhealthy ; it is, in fact, essential for improving matters.

Facilities Provided to Sheikh Abdullah

**3961. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Hukam Chand Kachha-
Shri Jagdev Singh Siddhanti : vaiya :
Shri P. C. Borooah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Sheikh Abdullah has been provided some additional facilities ;

(b) whether any watch is being kept on those who meet him ; and

(c) the total amount spent on his boarding and lodging since his detention ?

The Minister of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) The facilities provided to Sheikh Abdullah have been more or less the same throughout the period of his internment since May, 1965. Certain restrictions were imposed, in the interest of his own security, during the period of Indo-Pak hostilities in September, 1965. These have now been largely relaxed, and Sheikh Abdullah can now go for walks around the lake and attend Friday prayers in a mosque.

(b) Sheikh Abdullah's wife and daughter stay with him at present. Others who want to meet him have to take the Collector of Madurai's prior permission. Such interviews are normally in the presence of an officer nominated by the Collector.

(c) Complete information is awaited from the Madras Government, but they have intimated recently that the expenditure incurred on Sheikh Abdullah per month on account of maintenance charges is about Rs. 2,500.

पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद

3962. श्रीमती सवित्री निगम :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी महत्व की पुस्तकों का इटालियन, फ्रेंच, जर्मन तथा जापानी भाषाओं में अनुवाद कराने के लिये कुछ व्यवस्था की गई है ;

- (ख) यदि हां, तो कितनी पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है ; और
(ग) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ग) : जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6091/66]

देश में रोजगार की स्थिति

3963. श्री प्र० चं० बरुआ :	श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :	श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री भागवत झा आजाद :	श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सुबोध हंसदा :	श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामंत :	

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रोजगार की स्थिति और इस सम्बन्ध में तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई प्रगति के बारे में सरकारी तौर पर एक चुनौती अध्ययन हाल ही में किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रोजगार क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने के कार्यक्रम के अधीन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने मार्च, 1961 से मार्च, 1964 के मध्य देश के चुने हुए जिलों में रोजगार स्थिति का अध्ययन 1964 में किया । अध्ययन के परिणाम 1965 में प्रकाशित किए गए थे ।

(ख) अध्ययन से पता चलता है कि चुने गए 134 जिलों में से 119 जिलों में रोजगार अवसर बढ़े हैं । शेष 15 जिलों में रोजगार अवसरों में कमी आई है ।

इंजीनियरी संस्थाओं में छात्रों के समय की बर्बादी

3964. श्री मधु लिमय :
श्री किशन पटनायक :
श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंजीनियरी कालेजों तथा पोलिटेक्निक स्कूलों में छात्रों के समय की बर्बादी से सम्बन्धित अध्ययन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो छात्रों के समय की इस बर्बादी को रोकने तथा देश में इंजीनियरों और तकनीशियनों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : तकनीकी संस्थाओं में बर्बादी की समस्या के बारे में केन्द्रीय सरकार काफी समय से विचार कर रही है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर बहुत से कदम उठाए गए हैं ताकि बर्बादी को रोकने के लिए तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके । उठाए गए कदमों में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं, अध्यापकों का प्रशिक्षण, उनके वेतनमानों में सुधार, स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं, पाठ्यचर्या और पाठ्यविवरण में संशोधन और अनुपूरक परीक्षा का आयोजन आदि शामिल हैं ।

नई अखिल भारतीय सेवा

3965. श्री कर्णो सिंहजी :	श्री महमद इलियास :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :	श्री मणियंगडन :
श्री बसुमतारी :	श्री लिंग रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :	श्री बसवन्त :
श्री वारियर :	श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 1214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, तथा वन सम्बन्धी अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की दिशा में, जिनके बारे में राज्य सरकारों की सहमति मिल चुकी बताई जाती है, कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा : वेतन, केन्द्रीय सेवा बनाने की आवश्यकता तथा सेवा के अन्तर्गत अध्यापन और अनुसंधान संबंधी पदों को शामिल करने, राज्य सरकारों के अधीन डाक्टरों की पदोन्नति की संख्या का निश्चय करने इत्यादि के बारे में विचार किया गया तथा निर्णय कर लिये गये। इस संबंध में नियम तथा विनियम बनाये जा रहे हैं।

भारतीय इंजीनियरिंग सेवा : कुछ बनियादी बातों जैसे केन्द्रीय सेवा की आवश्यकता तथा निर्माण, राज्य बिजली बोर्डों को प्रस्तावित सेवा की विद्युत शाखा में शामिल करना तथा सेवा में विभिन्न पदालियों का निश्चित करना इत्यादि बातें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श से बातचीत कर रही है। अनिर्णीत मामलों पर निश्चय होते ही आवश्यक नियमों तथा विनियमों को बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

भारतीय वन सेवा : प्रस्तावित सेवा में नियुक्तियों, पदोन्नतियों से संबन्धित नियमों/विनियमों को तैयार कर लिया गया है तथा उन्हें राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग की सहमती के लिये भेज दिया गया है। उन अधिकारियों के सेवा अभिलेखों की जांच की जा चुकी है, जो कि प्रस्तावित सेवा में शामिल होने के अधिकारी हैं। इन नियमों का अन्तिम रूप से निश्चय हो जाने पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन में नियुक्ति करने का कार्यक्रम बना लिया जायेगा। आशा की जाती है कि ये नियुक्तियां इस वर्ष के अन्त तक शुरू हो जायेंगी।

दण्डकारण्य में भूमि की उर्वरता

3966. श्री सुबोध हंसदा : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिये दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी, हां। यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक परिवार एक एकड़ भूमि की औसत से विभिन्न प्रकार की खाद दी जायेगी और इसके साथ यह ध्यान भी रखा जायेगा कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में पूर्ण जोते के लिये खाद दी जाये। भूमि के शेष भाग के लिये कूड़ा और फार्म यारड खाद दी जायेगी। कड़े आदि की खाद बनाने के लिये अधिवासियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और खाद के दिये जाने का सम्पर्क कूड़ा खाद के साथ होगा।

(ग) 1966-67 में खाद आदि की खरीद के लिये 15 लाख रुपये की धन राशि खर्च करनी प्रस्तावित की गई है।

केरल में प्रकाशकों के विरुद्ध मुकदमा

3967. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री केरल में प्रकाशकों के विरुद्ध मुकदमा के बारे में 8 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2073 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में 'जनयुग' तथा 'नवजीवन' के प्रकाशकों के मामलों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच-कार्य पूरा कर लिया है और सरकार को प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुकदमा अब किस न्यायालय को सौंपा जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श से विचार कर रही है।

Fertilizer Factories

3968. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the quantity of fertilizers in public and private sectors for the production of which licences were issued for 1965-66 ;

(b) the capacity which was actually utilised during the same period and the number of factories set up or proposed to be set up for the purpose ; and

(c) the number of licences withdrawn during this period and the main reasons for not utilising the full capacity available ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri O. V. Algesan) : (a) Capacity licensed/approved in the public sector was 164,000 tonnes of nitrogen. The capacities licensed in the private sector were 200,000 tonnes of nitrogen and 13,200 tonnes of P_2O_5 .

(b) The capacity that came into production was as follows :

(a) Nitrogen	160,000 tonnes
(b) P_2O_5	57,000 tonnes

The names of factories that went into production in 1965-66 with their capacities are as under :

(i) F.C.I., Trombay Unit	90,000 Tonnes 'N' 45,000 Tonnes P_2O_5
(ii) Neyveli Lignite Corporation, Neyveli	70,000 Tonnes 'N'

(iii) Dharamsi Morarji Chemicals Co. Ltd., 5,500 Tonnes P_2O_5 Kumhari. (Expansion of existing factory)

(iv) Coimbatore Pioneer Fertilizers Ltd., 6,500 Tonnes P_2O_5 Coimbatore.

(c) None.

उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति तथा खण्ड विकास कार्यालयों के लिए टेलीफोन

3969. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को उत्तर प्रदेश के कितने पंचायत समिति कार्यालयों तथा खण्ड विकास कार्यालयों में टेलीफोन लगे हुए थे ; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उस राज्य के कितने पंचायत समिति कार्यालयों तथा खण्ड विकास कार्यालयों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 31 दिसम्बर, 1965 तक उत्तर प्रदेश के 369 पंचायत समिति कार्यालयों तथा खण्ड विकास कार्यालयों में टेलीफोन (सार्वजनिक टेलीफोन घर) सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई थी।

(ख) 1966-67 के दौरान 8 और पंचायत समिति कार्यालयों तथा खण्ड विकास कार्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं दिये जाने की संभावना है बशर्ते कि समय के भीतर सामान उपलब्ध हो जाए।

चाय बागानों का बन्द किया जाना

3970. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री भागवत झा आजाद :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 से असम में अनेक चाय बागान बन्द कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने, और इस के परिणामस्वरूप कितने मजदूर बेरोजगार हुए हैं ;

(ग) इन बागानों को बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इंडियन नेशनल ट्रेडयूनियन कांग्रेस (इन्टक) ने केन्द्रीय सरकार से इन बागानों तथा कुछ अन्य चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रार्थना की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1965 के मध्य में ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी के केवल दो बागान थोड़े समय के लिए बन्द हुए थे। श्रमायुक्त, असम के हस्तक्षेप पर वे दोबारा खूल गए।

(ख) कोई मजदूर बेरोजगार नहीं हुआ।

(ग) वित्तीय कठिनाइयां।

(घ) जी हां।

(ङ) चूंकि बागान दोबारा खोल दिए गए, इसलिए कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र के श्रमिकों को बोनस का भुगतान

3971. श्री लिंग रेड्डी : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण क्षेत्र के स्वर्ण खान श्रमिकों को वर्ष 1962-63 के कुछ भाग के लिये बोनस का आंशिक भुगतान 8 महीनों के लिये किया गया था और यदि हां, तो बोनस किस दर पर दिया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा खानों को मैसूर सरकार से अपने अधिकार में ले लिये जाने के बाद श्रमिकों को कोई बोनस नहीं दिया गया ; और

(ग) बोनस न देने के क्या कारण हैं और यह कब दिया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1-4-62 से 30-11-62 तक 8 महीने के लिए 26 दिन की मूल मजूरी की यथानुपात दर से बोनस का भुगतान किया गया।

(ख) अभी तक कोई बोनस नहीं दिया गया।

(ग) यह मामला कि क्या 1-12-1962 से 31-3-1964 तक की अवधि का बोनस दिया जाना चाहिए और यदि हां, तो किस दर से, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णय के लिये भेज दिया गया है।

पंजाब में डाक घर

3972. श्री दलजीत सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष 1965 में कितने नये डाकघर खोले गये ;

(ख) उस राज्य में 1965 में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया ; और

(ग) उस राज्य में 1965 में किन-किन स्थानों पर तार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 180।

(ख) 31।

(ग) 1965 के दौरान पंजाब राज्य में निम्न स्थानों में तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गई :—

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. कौल | 6. बुटाना |
| 2. नीरमण्ड | 7. फतेहगढ़ पंजतौर |
| 3. दयालपुर | 8. भौण्डसी |
| 4. छछियां | 9. कहनुवा |
| 5. शिवानी | |

पंजाब में रेलवे डाक सेवा कार्यालय

3973. श्री दलजीत सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय रेलवे डाक सेवा के कितने कार्यालय काम कर रहे हैं और कहां-कहां ;

(ख) पंजाब में रेलवे डाक सेवा के कितने नये कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है और मंजूरी कब-कब दी गई थी ; और

(ग) उक्त कार्यालय के खोलने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग म राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) चौबीस । ये कार्यालय कहां कहां स्थित हैं, नीचे बताया गया है :—

1. अम्बाला बड़ा डाकघर छंटाई .	अम्बाला प्रधान डाकघर
2. अम्बाला रेल डाक-व्यवस्था .	अम्बाला आर० एस०
3. अम्बाला सिटी रेल डाक-व्यवस्था	अम्बाला सिटी आर० एस०
4. अमृतसर रेल डाक-व्यवस्था	अमृतसर आर० एस०
5. चण्डीगढ़ रेल डाक-व्यवस्था .	चण्डीगढ़ सेक्टर 17
6. जालन्धर सिटी रेल डाक-व्यवस्था	जालन्धर सिटी आर० एस०
7. जालन्धर सिटी छंटाई	जालन्धर सिटी प्रधान डाकघर
8. लुधियाना रेल डाक-व्यवस्था .	लुधियाना आर० एस०
9. पठानकोट रेल डाक-व्यवस्था	पठानकोट आर० एस०
10. रोपड़ रेल डाक-व्यवस्था .	रोपड़ (जिला अम्बाला) रेलवे स्टेशन के निकट
11. यमुनानगर रेल डाक व्यवस्था	यमुनानगर (जिला अम्बाला) रेलवे स्टेशन के निकट
12. होशियारपुर रेल डाक-व्यवस्था	होशियारपुर आर० एस०
13. ट्रीब्यून पी० एस० ओ०	अम्बाला में ट्रीब्यून के कार्यालय में
14. भटिण्डा रेल डाक-व्यवस्था	भटिण्डा आर० एस०
15. धुरी रेल डाक-व्यवस्था	धुरी आर० एस० (संगरूर)
16. फीरोज़पुर रेल डाक-व्यवस्था	फीरोज़पुर कैण्ट आर० एस०
17. हिसार रेल डाक-व्यवस्था	हिसार में रेलवे स्टेशन के निकट
18. जाखल रेल डाक-व्यवस्था	जाखल आर० एस० (हिसार)
19. कालका रेल डाक-व्यवस्था .	कालका आर० एस०
20. करनाल रेल डाक-व्यवस्था	करनाल में कैथल रोड पर
21. पानीपत रेल डाक-व्यवस्था	पानीपत में रेलवे रोड पर
22. पटियाला रेल डाक-व्यवस्था .	पटियाला आर० एस०
23. रोहतक रेल डाक-व्यवस्था .	रोहतक आर० एस०
24. शिमला रेल डाक-व्यवस्था .	शिमला आर० एस०

(ख) किसी भी नये कार्यालय खोलने की मंजूरी नहीं दी गई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में चलते फिरते डाकघर

3974. श्री दलजीत सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में इस समय कितने चलते फिरते डाकघर हैं ;

(ख) क्या पंजाब राज्य में ऐसे और डाकघर चलाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका कार्य क्षेत्र कहां कहां होगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) फिलहाल नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Opportunities to M. Ps. In Lok Sabha to Voice the Feelings of their Constituents

3975. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Members of Lok Sabha do not get equal opportunities to voice the feelings of their constituents in accordance with the Preamble of the Constitution; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government to ensure that all of them get equal opportunities to express their feelings to Government ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) The Preamble of the Constitution does not deal with the question of opportunities to Members to voice the feelings of their constituents. The proceedings of the Lok Sabha are regulated by the Speaker under Rules of Procedure and Conduct of Business approved by the House. There appears no discrimination in the matter of affording opportunities to Members to voice the feelings of their constituents in accordance with the Rules.

(b) Does not arise.

टेलीफोन और टेलेक्स का शुल्क

3976. श्री प्र० चं० बरूआ :	श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० ला० द्विवेदी :	श्री प्र० के० देव :
श्री भागवत झा आझाद :	श्री बागडी :
श्री स० चं० सामन्त :	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :	श्री राम हरख यादव :
श्री किशन पटनायक :	श्री मुरली मनोहर :
श्री मधु लिमये :	श्री बसुमतारी :
श्री कपूर सिंह :	श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० च० शर्मा :	श्री शिवचरन गुप्त :
श्रीमती सावित्री निगम :	श्री सेझियान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन और टेलेक्स के शुल्क में वृद्धि करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसका प्रयोग करने वाले लोगों की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) भिन्न-भिन्न दरों में कितनी वृद्धि की गई है ; और

(घ) इस वृद्धि से कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कुछ दूर-संचार सेवाओं की दरें 16 जनवरी, 1966 से संशोधित कर दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) : दरों में वृद्धि मुख्यतः दजट तथा तकनीकी कारणों की दृष्टि से की गई है। नई तथा पुरानी दरों का एक तुलनात्मक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6092/66]

(घ) लगभग 10 करोड़ रुपये वार्षिक।

Unemployment Among the Educated

3977. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the State-wise number at present of unemployed doctors, engineers and illiterates and of those unemployed persons who are educated upto Matric, I.A., I.Sc., B.A. B.Sc., M.A. and M.Sc. standards ;

(b) whether Government propose to make any arrangement for providing them appropriate means of livelihood ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) The only information available in this regard is the number of applicants seeking work with the Employment Exchanges. These figures, however, suffer from certain limitations as not all unemployed persons are registered with the Employment Exchanges and a proportion of the unemployed persons on the Live Register are already having some employment or the other.

A statement showing the number of applicants, by educational qualifications, who remained on the Live Register of Employment Exchanges in each State as on 31-12-1965 is attached. [Placed in Library. See No. LT/6093/66].

(b) & (c). Various development schemes in the Five Year Plans are expected to lead to larger employment opportunities for the unemployed (including educated persons).

'Koh-i-noor' Diamond

3978. Shri Yashpal Singh :

Shri P. R. Chakravarti :

Shri D. D. Puri :

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a public demand for the return of the "Koh-i-noor" the biggest Diamond in the world; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Government is not aware of any public demand but recently the Chief Minister of Punjab has expressed to the Central Government his feeling that there would be enormous appreciation if the 'Koh-i-noor' Diamond is secured from England.

(b) The Government of India has not at any stage, contemplated asking for the return of "Koh-i-noor" as it is not an art object and now forms a part of the British Crown Jewels. There is no change in the attitude of Government in this behalf.

महिला न्यायाधीश

3979. श्री लिंग रेड्डी :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ख) देश के अन्य न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या भारतीय महिला वकील संघ के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन ने हाल में सरकार से अनुरोध किया है कि निम्नतम संवर्ग से लेकर उच्चतम संवर्ग के न्यायिक पदों पर अधिक संख्या में योग्य महिला वकीलों को नियुक्त किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) एक ।

(ख) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि देश में अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्तियां राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई कार्यालयिक सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एक हैड कांस्टेबल का अपहरण

3980. श्री यशपाल सिंह :

श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4-5 जनवरी, 1966 की मध्यरात्रि को हैड कांस्टेबल श्री रूप चन्द का दिल्ली में रोहतक रोड चैक पोस्ट से अपहरण कर लिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसको एक फैक्टरी में ले जाया गया और चार व्यक्तियों ने उसे पीटा और उससे जबरदस्ती किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराये ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : ऐसी रिपोर्ट हुई है, कि दिल्ली पुलिस का एक हैड कांस्टेबल, जो दिल्ली परिवहन अधिकारण में प्रतिनियुक्ति पर है, 3-4 जनवरी, 1966 के बीच की रात्रि को रोहतक रोड की चैक पोस्ट से चार व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया तथा पीटा गया । इस मामले की जांच की जा रही है ।

PTI Employees**3981. Shri Madhu Limaye :****Shri Hukam Chand Kachhavaia :****Shri Onkar Lal Berwa :****Shri S. M. Banerjee :**

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have made any efforts to resolve the dispute between the employees and management of Press Trust of India ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the progress made so far ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). The dispute was settled on the 7th April, 1966 after discussions between the two parties. The settlement provides for the payment of bonus at the rate of 6% of salary (basic pay plus dearness allowance) for the accounting years 1965, 1966 and 1967.

प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद

3982. श्री प्र० चं० चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रामाणिक ग्रन्थों के अनुवाद में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि निजी प्रकाशक प्रतिलिप्याधिकार बेचने के लिये बहुत ऊंची शर्तें पेश करते हैं ; जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली संबंधी स्थायी आयोग को स्वीकार्य नहीं हैं ;

(ग) क्या आयोग ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों के अनुवाद का काम विश्वविद्यालयों को सौंप दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी पाठ्य-पुस्तकों का, जिन में विदेशी प्रकाशन भी शामिल हैं, अनुवाद किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (घ) : अब तक विश्वविद्यालय स्तर के 446 प्रामाणिक ग्रन्थों के हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया गया है, जिन में से 149 ग्रन्थों का अनुवाद किया जा चुका है तथा 247 ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद किये गये 199 ग्रन्थों में से 37 प्रकाशित किये जा चुके हैं, 47 प्रकाशनाधीन हैं तथा शेष 115 ग्रन्थों पर शुद्धि आदि का कार्य किया जा रहा है।

(ख) कुछ थोड़े से मामलों में प्रतिलिप्याधिकारियों ने अधिक स्वामीस्व की मांग की थी, परन्तु अन्ततः वे सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर स्वामीस्व लेने को सहमत हो गये हैं।

(ग) जी, हां।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बोनस का भुगतान

3983. श्री कोल्ला वैक्या :

श्री लक्ष्मी दास :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने कारखानों ने नये बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस का भुगतान किया है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा बोनस दिये जाने से कितने कर्मचारियों और मजदूरों को लाभ हुआ है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने नये अधिनियम के अनुसार बोनस के रूप में अनुमानतः कितनी राशि दी है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के कितने कारखानों ने नये अधिनियम के अनुसार बोनस नहीं दिया है;

(ङ) कितने कारखानों ने बोनस नहीं दिया है; और

(च) उनके द्वारा बोनस न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

खेतिहर मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड

3984. श्री कोल्ला वैकैया :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के बारे में राज्य सरकारों से राय मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) विभिन्न राज्यों की राय क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार प्रबन्ध (बिजिनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन) उपाधि

3985. श्री कोल्ला वैकैया :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने व्यक्तियों के पास विभिन्न विश्वविद्यालयों की व्यापार प्रबन्ध की स्नातकोत्तर उपाधि 'मास्टर आफ बिजिनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन डिग्री' है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं; और

(ग) उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिये सरकार ने उनकी क्या सहायता की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस समय 150 व्यक्तियों के पास "मास्टर आफ बिजिनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन" की डिग्री है, जिनमें से 116 रोजगार से लगे हुए हैं। बाकी 34 व्यक्तियों के संबंध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती है।

अशोधित तेल की कमी तथा उसका काले बाजार में बिकना

3986. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अशोधित तेल तथा डीजल तेल की भारी कमी है तथा वह काल बाजार में बेचा जा रहा है और वह किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : मौनसून की असफलता के कारण अक्टूबर 1965 से उत्पादक (lift irrigation) सिंचाई कार्य के लिये लाइट डीजल तेल की, जिसको कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में कच्चा तेल कहते हैं, मांगें बढ़ी। लाइट डीजल तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए तत्काल ही कदम उठाये गये। बम्बई की शोधन शालाओं के उत्पादन से सप्लाई किये जा रहे क्षेत्रों के लिए प्रति मास राज्य-वार आवंटन निर्धारण किया जा रहा है। राज्य सरकारों को लाइट डीजल तेल के वितरण-नियमन करने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि खेती की आवश्यकताओं को अग्रता के आधार पर पूरा किया जाए। राज्य सरकारों को यह भी जांच करने को कहा गया है कि क्या लाइट डीजल तेल का हाई स्पीड डीजल तेल के रूप में दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों उत्पादों पर टैक्स-सहित मूल्यों में काफी अन्तर है।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

3987. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री काजरोलकर :

श्री राम हरख यादव :

श्री यशपाल सिंह :

श्री कर्णसिंहजी :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में 1965 में ऐमोनिया का उत्पादन इष्टतम उत्पादन क्षमता से अधिक हुआ था;

(ख) उस कारखाने में 1965 में उससे पहले के तीन वर्षों की तुलना में नाइट्रोजन, यूरिया और ऐमोनियम सल्फेट का उत्पादन कितना अधिक हुआ था; और

(ग) कर्मचारियों के प्रोत्साहन देने और उनके काम की प्रशंसा के निमित्त यदि कोई तदर्थ बोनस दिया था, तो कितना ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख)

	अन्तिम उत्पाद (end Product) में कुल नाइट्रोजन (मीटरी टनों में)	यूरिया (मीटरी टनों में)	अमोनिया सल्फेट (मीटरी टनों में)
1965 . . .	92,887	20,019	3,33,995
1964 . . .	83,231	17,411	3,00,470
1963 . . .	87,863	18,713	3,15,622
1962 . . .	90,369	17,048	3,21,465

(ग) कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया गया था। पेमेंट आफ बोनस एक्ट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1964-65 में बोनस दिया गया।

उत्तर भारत के राज्यों के मालिकों तथा श्रमिकों की बैठक

3988. श्री प्र० च० बरुआ : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 में दिल्ली में उनके मंत्रालय और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) बैठक के निर्णयों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6094/66।]

इस बैठक के उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले, क्योंकि श्रमिकों और मालिकों दोनों के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सहकारी भंडार और उचित मूल्य की दुकानों की योजना प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए तत्परता दिखाई है।

भारत में बिजली तथा इलेक्ट्रानिक इंजीनियर

3989. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बिजली तथा इलेक्ट्रानिक इंजीनियरों की कमी को पूरा करने में व्यावसायिक संस्थाएं सहायक सिद्ध हुई हैं, और यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ख) क्या नवीन स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसन्धान कार्यों को बढ़ावा देने के हेतु शिक्षा जारी रखने के लिये उन्होंने कोई अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किये हैं ; और

(ग) क्या कार्य विशिष्ट, विवरणों, मंजूरी ढाँचा तथा शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में स्वतंत्र रूप से आलोचनात्मक समीक्षाएं करने के लिये इन संगठनों को केन्द्रीय सरकारने प्रोत्साहन दिया है और यदि हां, तो उस की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नारकर) : (क) बिजली तथा इलेक्ट्रानिक इंजीनियरों की कमी को पूरा करने में व्यावसायिक संस्थायें कुछ सीमा तक इस प्रकार सहायक सिद्ध हुई हैं, कि उम्मीदवार उपरोक्त क्षेत्रों की योग्यतायें इनके माध्यम से प्राप्त कर सकें हैं। सन् 1964 तथा 1965 के दौरान इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स से 134 उम्मीदवारों ने बिजली की (विशेष योग्यतायें) और 20 उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रानिक्स तथा टेली-कम्यूनीकेशन की विशेष योग्यतायें प्राप्त की, सन् 1963-64 तथा 1964-65 के दौरान इंस्टीट्यूशन आफ टेलीकम्यूनीकेशन इंजीनियर्स से 568 उम्मीदवारों ने टेलीकम्यूनीकेशन (जिसमें इलेक्ट्रानिक्स भी सम्मिलित हैं) की इंजीनियरिंग योग्यतायें प्राप्त कीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, नहीं।

यूनेस्को द्वारा निरक्षरता का दूर किया जाना

3990. श्री श्रीनारायण दास :

श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनेस्को ने चुने हुए देशों को निरक्षरता दूर करने के लिये सहायता देने की अपनी योजना के अन्तर्गत भारत को भी एक देश के रूप में चुना है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता प्राप्त होगी और यह सहायता किन शर्तों पर प्राप्त होगी ;

(ग) क्या निरक्षरता दूर करने के प्रश्न पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विषय युनेस्को के विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

(घ) साक्षरता कार्यक्रम, पुस्तकालयों, साहित्य रचना और अन्य सहायक कार्यक्रम के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना में प्रस्तावित रकम 71 करोड़ है ।

उड़ीसा में उर्वरक कारखाने

3991. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मोना :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा राज्य में नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा

3992. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मोना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक उड़ीसा राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार ने कितना व्यय किया ; और

(ख) 1966-67 में इस कार्य के लिये उड़ीसा के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : लड़कियों की शिक्षा की योजनाओं का खर्च संबंधित राज्य के आयोजना और आयोजनेतर खर्च का भाग है और राज्य सरकारों की सहायता केन्द्रीय अनुदान एक मुश्त अनुदानों के रूप में दिए जाते हैं । इसलिए, यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी विशेष राज्य में किसी वर्ष लड़कियों की शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया ।

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1965-66 में 1.00 लाख रुपये का एक विशेष अग्रिम कार्रवाई विनिधान केन्द्र द्वारा उड़ीसा सरकार को दिया गया था। 1966-67 में ऐसे किसी अतिरिक्त विनिधान के दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में प्राइमरी स्कूल

3993. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा राज्य में प्राइमरी स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिये उड़ीसा सरकार को कितना ऋण अथवा राजसहायता दी गई ; और

(ख) 1966-67 में इस कार्य के लिये उस राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए 1965-66 वर्ष के दौरान अलग से कोई अनुदान अथवा ऋण मंजूर नहीं किया गया था। आयोजना के राज्य क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की जानी है। चौथी आयोजना में केन्द्रीय सहायता की पद्धति विचाराधीन है।

उड़ीसा में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति

3994. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को उड़ीसा में विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने तकनीकी व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों की दिसम्बर, 1965 के अन्त तक रोजगार दिलाने में सहायता की गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में 31-12-1965 को 6,325 उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे।

(ख) सन् 1965 के दौरान 1956 व्यक्ति।

उड़ीसा में बकाया टेलीफोन राजस्व

3995. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कुल कितनी राशि के टेलीफोन राजस्व की वसूली बकाया है ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है।

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1 जनवरी, 1966 को टेलीफोन आय की छः माह से अधिक की बकाया रकम 6.63 लाख रुपये थी।

(ख) अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं के टेलीफोन कनेक्शन काटने के लिए कार्रवाई की गई है। इसके शीघ्र निपटान के लिए अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं के पीछे पड़ना और, जहां आवश्यक हो, कानूनी कार्रवाई करना जैसे अन्य विशेष कदम भी उठाये जा रहे हैं।

Demands of D. P. S. From Chhamb-Jaurian Sector

3996. Shri Ram Sewak Yadav :

Shri Bagri :

Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Shri Bade :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the refugees from Chhamb-Jaurian Sector have put forward some of their demands;

(b) if so, whether it is also a fact that they have stated that they will resort to hunger-strike in case their demands are not fulfilled; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) No demands have been put forward by the refugees of Chhamb-Jaurian recently, though they had made some demands some months ago.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

Failure of Students in English

3997. Shri Pradash Vir Shastri :

Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of students who failed in English only in the High School, Higher Secondary and Intermediate and equivalent examinations during the last five years, State-wise;

(b) whether Government have tried to ascertain the reasons therefor ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The information is not readily available and it will have to be collected from all the States which will take some time. However, the Government are aware that in some parts of the country failures in English are high.

(b) & (c). The main reason is the adoption of regional language as a medium of instruction at the school level which has resulted in reducing the duration and content of instruction in English. The other difficulties are the shortage of qualified and trained teachers in the subject and the overcrowding in schools.

Pay Scales of Librarians

3998. Shri Hukam Chand Kachhavaia :
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state the reasons for giving a pay-scale to the Librarians working in aided schools in Delhi, different from the scale given to those working in Government schools inspite of the fact that all other categories of employees have been given similar scales of pay ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : The scales of pay for the posts of Librarians (Class III) under the Delhi Administration are as follows :

(1) Rs. 150—10—250—EB—10—290—15—320.

(2) Rs. 118—4—170—EB—5—200—EB—5—225.

In 1953 the Delhi Administration adopted lower standards of qualifications for the posts in scale (1) above and made this relaxation applicable to Government schools without adopting them for Librarians of aided schools. The removal of this disparity is under active consideration in consultation with the Administration.

Retirement Age in Aided Schools

3999. Shri Hukam Chand Kachhavaia : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

- (a) the retirement age fixed in aided schools in Delhi;
- (b) whether an application for extension is required to be sent to the Education Authorities or to the Managers of the Institutions after attaining the age of 55 years;
- (c) whether the Managers are empowered to ask for such applications at their own level; and
- (d) if not, whether the Education Department takes any action against the Managers who get such applications at their own level ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The normal age of retirement of an employee of an aided school is 60. But an employee may be retired any time between the age of 55 and 60 years on grounds of inefficiency, incompetence or physical unfitness after he has been given a reasonable opportunity to show cause against the proposed retirement and after his representation, if any, has been duly considered.

(b) No such application is required to be submitted by the teacher.

(c) & (d). Do not arise.

Land For Cooperative Societies

4000. Shri Hukam Chand Kachhavaia : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Land and Housing Department of the Delhi Administration allotted lands during the last month to many House building Cooperative Societies which were formed in 1960 or thereafter and they have been asked also to pay half of the price of land by the 3rd February, 1966 while no land has been allotted to many such societies which were registered even before 1960;

(b) if so, the reason for such discrimination ; and

(c) when the remaining societies will be allotted land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library, See No. LT/6095/66.]

Sahitya Ratna Degree

4001. Shri Hukam Chand Kachhavaia : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Directorate of his Ministry has recognised the 'Sahitya Ratna' degree of Hindi Sahitya Sammelan (Hindi University), prayag as equivalent to B.A. Hons. (*vide* Press Notification No. F. 7-15/64 H-1, dated the 5th December, 1964) while the Directorate of Education, Delhi has not recognised that degree as such (*vide* Circular No. DE 65 (4)/Jan-65, dated the 25th August, 1965) of the General Section of the Directorate of Education, Delhi;

(b) if so, the reasons for such disparity; and

(c) the reason for which the pay scale starting with Rs. 170 is not given to all the Hindi teachers in Delhi even though the "Sahitya Ratna" degree of Hindi Sahitya Sammelan is equivalent to B.A. Hons. ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). ‡ The Press note only declared the equivalence of certain oriental degrees in respect of the standard of Hindi prescribed therein. It did not fully equate 'Sahitya Ratna' with B.A. (Hons.).

The Director's endorsement of 25-8-65 was on a separate matter *viz.*, the minimum qualifications of language teachers grade II. The case of equivalence of Sahitya Ratna examination for this purpose has been under examination. It has now been decided that candidates possessing the 'Sahitya Ratna' qualification should also be made eligible for the post of Grade II Language teacher in the scale of Rs. 170-380 provided they also passed Matriculation examination in English as one subject, and fulfilled other prescribed conditions.

रसायन तथा औषध निर्माण उद्योग

4002. श्री रा० बरूआ : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रसायन तथा औषध-निर्माण उद्योग ने सरकार से प्रार्थना की है कि उनके उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग ने इसके लिये क्या कारण प्रस्तुत किये हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : महत्व पूर्ण रसायनों अर्थात् कास्टिक सोडा, सोडा राख आदि के मूल्यों पर नियन्त्रण न होने से रसायन उद्योग को इन रसायनों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए सरकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इथाइल एल्कोहोल का सम्बन्ध है ; समय समय पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि मीजूदा कीमतें अलाभकारी हैं ; और उत्पादन को लागतों में हर तरफ वृद्धि हुई है तथा इथाइल एल्कोहोल के विक्रय मूल्यों को बढ़ाना युक्ति संगत है। अक्टूबर, 1964 में इस विषय पर टैरिफ आयोग को लिखा गया था। इस बीच में उत्तर-प्रदेश सरकार की सिफारिश पर और टैरिफ आयोग के परामर्श से, और टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर कोई प्रभाव न पड़ते हुये एक पैसा प्रति लिटर के अन्तरिम मूल्य वृद्धि की अनुमति दी गई। टैरिफ कर्माशन का रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है, जिसमें 1 अप्रैल 1963 से लागू मूल्य-सूचियों में प्रकाशित मूल्यों के स्तर पर दवाईयों के फुटकर मूल्यों का निर्धारण किया गया है ; अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकार को मूल्य-नियन्त्रण आदेशों का पुनरोक्षण करना चाहिए और इस बीच में 6 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक तदर्थ वृद्धि की अनुमति दी जाए। इस सम्बन्ध में कारण ये दिये गये हैं कि कच्चे माल, मजदूरों, विभिन्न केन्द्रों शुल्क और पैकिंग सामग्री इन सब में वृद्धि हुई है। तदर्थ मूल्य वृद्धि तो सरकार नहीं की गई है, पर यह फैसला किया गया है कि 4 और 5 अगस्त 1965 के नवें औषध सम्मेलन में नियुक्त की गई गैर-सरकारी समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना चाहिए और उनको सिफारिशों पर विचार करना चाहिए। समय समय पर किया प्राप्त हुए अलग अलग प्रार्थना पत्रों का सरकार के विभिन्न अधिकारियों का सलाह से निरीक्षण जाता है।

Polyster Plant at Madras

4003. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned that scheme to set up a Polyster Plant at Madras; and

(b) if so, the name of the Company to which sanction has been given and the basis on which the plant is proposed to be set up ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri O. V. Algesan) :

(a) & (b). Yes; a letter of *indent* has been issued to M/s. Indian Produce Export Corporation, Madras, for a capacity of 2,000 tonnes per annum. Their detailed proposals for foreign technical collaboration and for import of plant and machinery are awaited.

बिक्री कर की वसूली

4004. श्री रामसेवक यादव :

श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बिक्री कर की 80 लाख रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) तक : एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6096/66।]

पंजाब में स्कूलों तथा कालिजों में आडिटोरियम (श्रोतृशाला)

4005. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 और 1966-67 में अब तक पंजाब में विभिन्न स्कूलों और कालिजों में आडिटोरियम (श्रोतृशालाएं) बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : 1965-66—20,105 रुपये
1966-67—अभी तक कुछ नहीं ।

पंजाब में जिला गजेटियर

4006. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में जिला गजेटियर के प्रकाशन के लिये पंजाब सरकार को कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(ख) वर्ष 1966-67 में कितनी सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1965-66 के दौरान एक जिला गजेटियर के संकलन के लिए पंजाब सरकार को 6,000 रु० का केन्द्रीय सहायक-अनुदान दिया गया । जिला गजेटियर के मुद्रण के लिए पंजाब सरकार को कोई केन्द्रीय अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि इस वर्ष में कोई गजेटियर प्रकाशित नहीं हुआ ।

(ख) 1966-67 के दौरान पंजाब सरकार को जिला गजेटियरों के संकलन और मुद्रण पर राज्य द्वारा किए जाने वाले खर्च का 40 प्रतिशत केन्द्रीय सहायक-अनुदान के रूप में दिया जाएगा । संकलन के लिए अनुदान की सीमा 6,000 रु० प्रति खण्ड है ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खोपरा के दाम

4007. श्रीमती सावित्री निगम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीपसमूह के लिये दिये गये व्यापार लाइसेंसों में जो इस समय वैध हैं, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के मुख्य आयुक्त द्वारा खोपरा और सुपारी के क्या न्यूनतम क्रय-मूल्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) भारत के बाजारों में प्रचलित विक्रय-मूल्यों के अनुसार बनाने के लिये ये मूल्य इससे पहले कब बदले गये थे, और भारत में प्रचलित मूल्यों की तुलना में ये मूल्य कैसे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आजकल खोपरा और सुपारी के लागू न्यूनतम क्रय-मूल्य क्रमशः रु० 37.50 तथा रु० 110.00 प्रति 50 किलोग्राम हैं ।

(ख) यह मूल्य जुलाई 1963 में संशोधित किये गये थे । कलकत्ता में खोपरा तथा सुपारी के विक्रय मूल्य क्रमशः रु० 150.00 तथा रुपये 422.00 प्रति 50 किलोग्राम (पेनांग की किल्म के) होने की सूचना है ।

निकोबार में मिट्टी के तेल की कमी

4008. श्री कोल्ला वैकैया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल की कमी होने के कारण निकोबार द्वीप के लोग रोशनी के लिये मोमबत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) 1965 में उस द्वीप को मिट्टी के तेल को कितनी मात्रा नियत की गई और कितनी सप्लाई की गई; और

(ग) अपेक्षित मात्रा नियत न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : 1965 में मिट्टी के तेल का आवंटन क्षेत्र-वार नहीं किया गया था और सामान्य व्यवहार द्वारा सप्लाई की व्यवस्था की गई थी। 1965 में इस द्वीप की कुल 83 किलो लीटर (अर्थात् 64 मीटरी टन) मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई थी।

केरल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति

4009. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति के लिए एक तालिका का सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई समिति कोई लिफाफा नहीं कर सकी; और

(ख) यदि हां, तो उप-कुलपति की नियुक्ति करने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। समिति पैनल का सुझाव नहीं दे सकी।

(ख) केरल विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी परिस्थिति में, नियुक्ति की किसी वैकल्पिक प्रणाली अथवा वर्तमान उप-कुलपति के जारी रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए जबकि विश्वविद्यालय का कोई उप-कुलपति न रहता, केरल के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी किया अर्थात् केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966 जिसके अन्तर्गत कुलपति को ऐसी स्थिति में उप-कुलपति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया जबकि उप-कुलपति की अवधि समाप्त होने से पहले समिति एकमत से किसी नाम को सुझाने अथवा नामों का एक पैनल सुझाने में असमर्थ हो।

अध्यापकों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर

4010. श्रीमती सावित्री निगम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में भारत-सरकार ने अध्यापकों के लिये कितने ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 1965-66 के दौरान 97 ग्रीष्म संस्थानों का आयोजन किया गया था।

Varanasiya Sanskrit University Teachers

4011. Shri Mate : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government received any memorandum in March, 1964 demanding the pay scales fixed by the Central Education Department for the Graduates of Varanasiya Sanskrit University, Varanasi, employed in Madhya Pradesh;

(b) whether a letter was addressed by him to the Madhya Pradesh Government in this regard and, if so, the contents thereof; and

(c) the contents of the reply received from the State Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

On a representation made by one Swami Rishi Kumar regarding the present position of Sanskrit education in Madhya Pradesh, including the pay-scales of Sanskrit Teachers, the Education Minister had addressed a letter dated 10th April, 1964 to the Chief Minister, Madhya Pradesh, requesting the latter to confirm that his Government was in agreement with the accepted policy of the Government of India in this behalf and that the fears regarding the policy of the State Government were without foundation. The Chief Minister, Madhya Pradesh in his reply dated 24th April, 1965, stated that his Government was alive to the various problems relating to Sanskrit education in the State. As to the recognition of the Sanskrit examinations, the Chief Minister pointed out that the Shastri and Acharya degrees of Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya were equated with B.A. and M.A. degrees respectively. As regards the pay scales of Sanskrit teachers, the Chief Minister observed that the scales were fixed not according to the Qualifications but according to the posts; the prescribed qualifications for the posts of Lecturers in Higher Secondary Schools and Colleges carrying pay-scales of Rs. 250-450 and Rs. 275-550 respectively gave due recognition to the degree of Acharya which was equated with M.A.; but if a person possessing Acharya or Shastri degree accepted an appointment of a lower post, such as Assistant Teacher, Graduate Teacher, he was entitled to receive only the pay attached to those posts notwithstanding his high qualifications.

Arrests in Rajasthan under D. I. R.

4012. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Hukam Chand Kachhavaia :**
Shri Omkar Singh : **Shri Kolla Venkaiya :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested under the D.I.R. under the orders of the Central Government in Barmer-Jaisalmer border areas in Rajasthan from September, 1965 to January, 1966;

(b) the number of (i) Panches, (ii) Sarpanches and (iii) ex-M.L.As. among them;

(c) the number of persons since released; and

(d) the grounds for their release?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathhi) : (a) Central Government have issued no such orders.

(b) to (d). Do not arise.

इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

4013. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री प्रभात कार :

डा० रानेन सेन :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी मजूरी बोर्ड ने इंजीनियरी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में अब अपनी पिकारिशें दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन को मंजूर कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : यह मामला विचाराधीन है ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

4014. श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण प्रकिल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बंगलौर में 1960-61 से 1964-65 तक प्रति वर्ष तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को (सांयोगिक कर्मचारियों (कंटाजेंट स्टाफ) के अतिरिक्त) की पृथक् औसत संख्या कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अन्य प्रकिलों/निदेशालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की (सांयोगिक कर्मचारियों के अतिरिक्त) पृथक्-पृथक् औसत संख्या कितनी थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6097/66।]

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें

4015. श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1960-61 से 1964-65 तक प्रति वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग के विभिन्न प्रकिलों/निदेशालयों के कितने कर्मचारियों को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पण दिये जाने के बारे में सूचित किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सूचना एकत्रीत की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनरल पोस्ट आफिस, काश्मीरी गेट, दिल्ली में चोरी

4016. श्री विश्राम प्रसाद :

श्री यशपाल सिंह :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

श्री बागड़ी :

श्री हिम्मत सिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री राम हरख यादव :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मार्च, 1966 को जनरल पोस्ट आफिस, काश्मीरी गेट, दिल्ली से 15,500 रुपये के मूल्य के राष्ट्रीय रक्षा पत्रों तथा भारतीय पोस्टल आडरों की चोरी हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली के बड़े डाकघर में नवीन शाहदरा से 2 मार्च, 1966 को प्राप्त एक डक थैला जिनके भीतर नकदी तथा डक-टिकट थैले भी थे, 3 मार्च, 1966 को गायब पाया गया। नकदी थैले में 465 रुपये थे। डक-टिकट थैले में 265 रु० 55 पैसे के मूल्य के डक-टिकट, जारी न किये गए राष्ट्रीय बचतपत्र, राष्ट्रीय रक्षा पत्र तथा भारतीय पोस्टल आर्डर थे जिनका कुल नकद मूल्य 14,317 रुपये था।

(ख) इस मामले की तत्काल पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई। विभाग तथा पुलिस द्वारा इस मामले की तेजी से जांच की जा रही है।

पाकिस्तानियों द्वारा उठा ले जाई गई सम्पत्ति

4017. श्री विश्वनाथ राय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र, से जिस पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, उठा ले जाई गई सम्पत्ति के मूल्य के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : यद्यपि भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कब्जे में हुये भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानियों द्वारा ले जायी गई चल सम्पत्ति की हानि को मात्रा तथा प्रकार का कुछ अनुमान पंजाब, राजस्थान और जम्मू व काश्मीर के सम्बन्ध में उपलब्ध है, ऐसी हानि के मूल्य के कोई विशिष्ट आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं।

पाटस्कर आयोग का प्रतिवेदन

4018. श्रीमती रेणुका बडफटकी :

श्री प्र० च० बरुआ :

श्री दशरथ देव :

श्री यशपाल सिंह :

श्री दी० च० शर्मा :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री लीलाधर फटकी :

श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पहाड़ी जिलों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के सम्बन्ध में पाटस्कर आयोग का प्रतिवेदन पेश किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। प्रतिवेदन की प्रतियां 7 अप्रैल, 1966 को लोक सभा के सभा-पटल पर रखी गई थी।

(ख) आयोग की सिफारिशें सरकार के विचार धीन है।

श्री नम्बूद्रीपाद की रिहाई

4019. श्री कोल्लर वैकैया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हुए खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेता, श्री ई० एम० एस० नम्बूद्रीपाद और अन्य व्यक्तियों की रिहाई के बारे में एक अभ्यावेदन और प्रस्ताव पेश किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) श्री नम्बूदिरोंपाद तथा अन्यो की रिहाई के लिये बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं, तथा सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन पर विचार किया जायगा।

(ख) खाद्य आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से अधिकतर जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। उनमें से कुछ के दोष सिद्ध हो चुके हैं तथा वे या तो सजा काट चुके हैं, या सजा पा रहे हैं। ऐसे कुछ मामलों को जिनमें हिंसा नहीं बरती गई थी, रद्द करने के प्रश्न पर राज्य सरकार ने विचार किया है, तथा परिणामतः विद्यार्थियों से सम्बन्धित 120 मामले रद्द कर दिये गये हैं।

भाषाओं के लिये सहायता

4020. श्री ह० च० सोय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की ओर से संथाली तथा मुंडारी आदि भाषाओं के विकास के लिये कोई सहायता नहीं दी गई,

(ख) क्या यह भी सच है कि काफी बड़ी संख्या में लोग इन भाषाओं को अपनी मातृ-भाषा के रूप में बोलते हैं और इनका प्रयोग करते हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों ने प्राथमिक स्कूलों में भी शिक्षा के माध्यम के रूप में इन भाषाओं के प्रयोग के लिये सुविधायें तथा सरकारी सहायता देने से इन्कार कर दिया है, और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर “हां” में हो, तो अगली योजना में इन भाषाओं के विकास के लिये उनकी विकास योजना की मुख्य मुख्य बातों को दर्शाते हुए, क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Employees' State Insurance Scheme

4021. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Employees' State Insurance Scheme has been introduced in all the States ;

(b) if so, the names of places where the scheme has been introduced ; and

(c) the number of workers and employees benefited so far by this scheme ?

The Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, except in Nagaland and Jammu & Kashmir.

(b) A statement showing the names of places (State-wise) where the Scheme has been introduced is attached. [**Placed in Library. Sec. No. LT/6097/66.**]

(c) As on 27-3-1966

(i) Number of employees covered	30,66,650
(ii) Total number of beneficiaries including members of families of insured persons	1,23,69,625

प्रसूति के लिये सुविधायें

4023. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को तीन बच्चे पैदा करने के बाद प्रसूति सम्बन्धी सुविधायें न देने के बारे में अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) क्या इस निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दण्डकारण्य में गांव

4024. डा० उ० मिश्र :

डा० रानेन सेन :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य में समुचित आयोजन, समुचित भूमि सर्वेक्षण तथा कृषि संबंधी सर्वेक्षण किये बिना गांव बसा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। सर्व प्रथम कृषि पर बसाने के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता निर्धारण करने के हेतु व्यापक रूप में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाता है। यह प्रायः दृष्टि मूलक सर्वेक्षण होता है। तथापि इस अवस्था में भी जब कभी भूमि सर्वेक्षण स्टाफ जो प्रारम्भिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित है, आवश्यक समझता है तो भूमि के नमूने लिये जाते हैं।

उसके बाद उन क्षेत्रों में जिन्हें राज्य सरकार छोड़ने के लिये सहमत है, अग्रिम भूमि सर्वेक्षण किया जाता है। इस अवस्था में 3 फुट गहरे गढ़े से प्रत्येक 25 एकड़ के लिये 1 की दर से और लगभग डेढ़ फुट गहरे गढ़े से 10-12 एकड़ के लिये 1 की दर से भूमि के नमूने लिये जाते हैं।

उसके बाद विभिन्न खण्डों में फसलों के पैटर्न की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिये खण्ड दार सर्वेक्षण किया जाता है। गांव, कृष्य-भूमि पीने के पानी की सुविधाओं और "निस्तारटैंक" आदि की आवश्यकताओं की पहुंच को ध्यान में रखते हुये ही बसाये जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोलचाल की स्थानीय त्रिपुरा भाषा का विकास

4025. श्री दशरथ देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि त्रिपुरा राज्य क्षेत्र में यह मांग की जा रही है कि त्रिपुरा के अधिकतर आदिम जातियों के लोगों द्वारा बोली जाने वाली त्रिपुरी स्थानीय भाषा का लिखित भाषा के रूप में विकास किया जाना चाहिए,

(ख) क्या त्रिपुरा के उन आदिम जाति के लोगों के, जिन की मातृ भाषा त्रिपुरी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार की जेलों में वर्दियां

4026. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालुम है कि बिहार राज्य की जेलों में, विशेषकर रांची जेल में अनेक वार्डन आज भी अपनी वर्दियों में ऐसे बटनों और पेटियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन पर "ब्रिटिश राज-मुकुट" अंकित है ;

(ख) क्या कारण है कि बिहार राज्य सरकार अपने वार्डनों को दासता के प्रतीक इस "ब्रिटिश राजमुकुट" का प्रयोग करने दे रही है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस मामले की जांच का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पु० शे० नास्कर): (क) बिहार के जेल वार्डनों की वर्दियों में लगे बटनों तथा पेटियों पर ब्रिटिश राजमुकुट अंकित नहीं होता है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में झूमियां पुनर्वास बस्तियां

4027. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में कई आदर्श (मॉडेल) झूमिया पुनर्वास बस्तियां ढह गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसी कौन-कौन सी बस्तियां (झूमियां) गिर गई हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विश्रामगंज झूमिया बस्ती (त्रिपुरा) निर्जन हो गई थी और सरकार द्वारा निर्मित उन के मकानों की नालीदार लोहे के चादरों का नीलाम किया गया है; और

(ङ) इन बस्ती निवासियों के लिये सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ङ) : अब तक झूमियां कालोनी बनाई गई हैं। सर्वप्रथम 1957-58 में विश्रामगंज कालोनी स्थापित की गई थी। इस कालोनी में 62 कुटुम्ब बसाये गये। 1957-58 में शान्ति नगर कालोनी भी स्थापित की गई तथा इस कालोनी में 62 कुटुम्ब बसाये गये। विश्रामगंज कालोनी पर 3,06,737 रुपये 98 पैसे तथा शान्ति नगर कालोनी पर 93,916 रुपये की राशि व्यय की गई। जीवन यापन के तरीकों में विशिष्ट परिवर्तनों तथा कृषि में नये ढंगों से आदिम जातियों के कुछ लोग अभ्यस्त नहीं हो सके, तथा उन्होंने अपने पुराने ढंग दोबारा अपना लिये। इन कालोनियों से 24 कुटुम्ब अपने घर छोड़ कर चले गये। छोड़े गये इन मकानों की सी० आई० शीट्स सन् 1961 में बबंङर से बुरी तरह खराब हो गये, तथा सार्वजनिक नीलाम द्वारा 5021 रुपये में बेचे गये।

डा० त्रिगुण सेन की अमरीकी यात्रा

4028. श्री दरशय देव : क्या शिक्षा मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डा० त्रिगुण सेन पर क्या शर्तें लगाई गई थीं जिनके कारण उनको अमरीका न जाने का निर्णय करना पड़ा ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को, जब वे सरकारी काम से अमरीका जाते हैं, इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अमरीकी सरकार द्वारा लगाई गई सम्बद्ध शर्तें, निर्धारित मान के अलावा प्रतिदिन के भत्ते की अदायगी के संबंध में थीं जिनके अनुसार इस प्रयोजन के लिए प्राप्तियों और खर्च का यथासंभव मह-वार व्यौरा देना था ।

(ख) ऐसे दौरों पर होने वाले खर्च आमतौर पर भारत सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं । इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षणार्थी

4029. श्री नि० रं० लारकर :

श्री रा० बरुआ :

श्री लीलाधर कटकी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षणार्थी (शिशिक्षु) नाम का एक पद नाम है ;

(ख) इन प्रशिक्षणार्थियों के लिये पदोन्नति की अगली श्रेणी क्या है और उनका प्रशिक्षण काल कितना है ;

(ग) क्या वहां कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किन्तु उन्हें कोई उपयुक्त पद नाम और श्रेणी नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षणार्थी (शिशिक्षु) नामक कोई पद नहीं है । किन्तु, व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षणार्थियों के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोगशाला में लिया जाता है । प्रशिक्षणार्थियों के लिए पदोन्नति जैसी कोई वस्तु नहीं है । निर्धारित प्रणाली के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ उनके गुणावगुणों को देखते हुए उन्हें उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जाता है ।

(ग) और (घ) : आई० टी० आई० प्रमाण-पत्र वाले कुछ कर्मचारी भी हैं । सभी कर्मचारी यों को उनके पदों अथवा स्थितियों के अनुसार पदनाम दिये जाते हैं ।

Headings On Government Forms

4030. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether several Ministeries are getting their forms printed in English headings only even now ; and

(b) the arrangement made to ensure that no Government form is sent for printing without Hindi headings ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The information available shows that the Controller of Printing and Stationery had received most of the requisitions from the various Ministries for the printing of forms in English only ;

(b) Statutory forms forming part of rules, regulations, bye-laws and manuals have to be printed in the English language only till the authorised Hindi translation is published under the authority of the President. Instructions were issued in October 1964 that new forms, as also old forms (when exhausted) of non-statutory character should hereafter be printed bilingually. The Controller of Printing was informed in September 1965 that in future no form should be printed in English only except with the prior concurrence of this Ministry.

काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ

4031. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष अगस्त-सितम्बर में, जब पाकिस्तान ने भारत पर खुले आक्रमण करने से पहले घुसपैठिये भेजे थे, काश्मीर में हुई घटनाओं की जांच करने के लिये उच्चतम स्तर पर सरकारी समिति स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच-पड़ताल का क्या स्वरूप होगा; और

(ग) इस समिति की उपपत्तियां अन्तिम रूप में कब प्राप्त हो जाएगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसी कोई समिति बनाने का निश्चय नहीं किया गया है। गत वर्ष अगस्त-सितम्बर के दौरान जम्मू व काश्मीर में हुई घटनाओं की पुनरीक्षा सामान्य रूप से सुरक्षा के प्रबन्धों में क्या सुधार आवश्यक है, यह मालूम करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप समूह में तामिल माध्यम वाले स्कूल

4032. श्री कन्डप्पन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में तमिल भाषी बच्चों की शिक्षा के लिये कितने प्राथमिक स्कूल हैं;

(ख) क्या उनकी संख्या पर्याप्त है; और

(ग) क्या तामिल माध्यम वाले कोई माध्यमिक स्कूल भी है और यदि हां, तो कितने ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पांच।

(ख) जी, हां। मौजूदा समय के लिए।

(ग) जी, नहीं। क्योंकि बच्चों की संख्या ऐसी व्यवस्था के लिए यथेष्ट नहीं है।

टेरिलीन का उत्पादन

4033. श्री दशरथ देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष टेरिलिन का कितना उत्पादन होता है;

- (ख) भारत में टेरलिन बनाने के लिये कितने कारखानों को लाइसेंस दिया गया है ;
 (ग) क्या उन कारखानों को किन्हीं विदेशी समवायों का सहयोग प्राप्त है ; और
 (घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन देशों के हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन):

- (क) 2,000 मीटरी टन
 (ख) एक

(घ) युनाइटेड किंगडम के मैसर्ज इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड।

Awards to Teachers

4034. Dr. Ram Manohar Lohia :

Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 250 on the 16th February, 1966 and state :

- (a) whether Government have received complaints that certain able teachers were not given the National award ;
 (b) whether these complaints have been forwarded to the Awards Committee for comparing the qualifications of those who have not been given award ;
 (c) if so, the findings of the said Committee ; and
 (d) if the reply to part (b) above be in the negative the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). The Ministry has received only in one case a copy of a complaint addressed to the Education Minister of a State. No action was considered necessary on this reference. In some other cases, suggestions were received that some good teachers should be considered for the award ; the persons sending the suggestions have been informed of the procedure of selection.

(c) & (d). Do not arise.

अफ्रीकी एशियाई विज्ञान विचार-गोष्ठी

4035. श्री हरि विष्णु कामत : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि भारत में हाल में एक अफ्रीकी-एशियाई विज्ञान विचार-गोष्ठी का आयोजन करने की योजना बनाई जा रही है ;
 (ख) यदि हां, तो कब और इसके प्रायोजकों और संयोजकों के क्या नाम हैं ;
 (ग) इसमें भाग लेने के लिये किन किन देशों को निमंत्रित किया गया है और किन-किन देशों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ;
 (घ) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा क्या और कितनी सहायता दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है और क्या उस पर कोई खर्च किया जा चुका है ; और
 (ङ) यदि हां, तो कितनी धन राशि व्यय की गई है और इस विचार-गोष्ठी के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपबन्धी (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) गोष्ठी 25 अप्रैल, से 2 मई 1966 तक होगी। इसका आयोजन दस वैज्ञानिकों की एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक समिति द्वारा किया गया है जिसमें श्रीलंका, फिलीपीन, सोवियत रूस, ईरान, लेबनान, ट्यूनीसिया, घाना, केनिया, संयुक्त अरब गणराज्य और भारत का एक-एक वैज्ञानिक है। गोष्ठी का आयोजन भारत के वैज्ञानिक कामगरों की संस्था, नई दिल्ली द्वारा किया गया है।

(ग) भाग लेने के लिए जिन देशों को नियंत्रण भेजे गए हैं उनके संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि नियंत्रण अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक समिति द्वारा भेजे गए हैं क्योंकि किन्तु जिन देशों ने नियंत्रण स्वीकार कर लिया बताते हैं उनके नाम हैं :—अदन, अफगणिस्तान, अल्जीरिया, बरोन्डी, बर्मा, कम्बोडिया, कामरून, श्रीलंका, चड, कोंगो, दहोमी, इथियोपिया, गोबन, घाना, हांग कांग, इन्डोनेशिया, ईरान, ईराक, आइवरी कोस्ट, जापान, जार्डन, केनिया, केरिया, कूवैत, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, माडागास्कर, मलागासी, मलावी, माली, मलेशिया, मोरीशस, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, फिलीपीन, रूआन्डा उरुन्डी, सौदी अरेबिया सेनेगल, सिअेरा लियोने, सिंगापुर, सोमालिया, सुडान, दक्षिण वियतनाम, सिरिया, टांगानिका, तन्जानिया, थाइलैण्ड, टोगो, ट्यूनीसिया, तुर्की, संयुक्त अरब गणराज्य, युगान्डा, अपर वोल्टा, सोवियत रूस और जम्बिया।

(घ) और (ङ) : संगोष्ठी के आयोजन संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए भारत के वैज्ञानिक कामगरों की संस्था की सरकार द्वारा चार लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। गोष्ठी के आयोजन के बाद ही परिणामों का पता चल सकेगा।

नजरबन्द संसद् सदस्यों को परिवार भत्ता

4036. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये संसद सदस्यों को किसी राज्य में परिवार भत्ता अथवा कोई अन्य भत्ता मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) तथा (ख) : मद्रास में दो संसद सदस्यों को एक-एक सौ रुपये की दर से कुटुम्ब भत्ता स्वीकार किया गया है, केरल में दो संसद सदस्यों को 250 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, तथा पश्चिम बंगाल में एक को 90 रुपये प्रतिमास दिया जा रहा है।

शिमोगा से किसानों की बेदखली

4037. श्री वासुदेवन नायर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से 600 किसान परिवार मैसूर राज्य के शिमोगा जिले में जाकर बस गये हैं;

(ख) क्या केरल सरकार को उनसे इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें बेदखली की क्षमकी दी जा रही है;

(ग) क्या केरल सरकार इस मामले में मैसूर सरकार के साथ बातचीत कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में मैसूर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) से (घ): सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

ग्राम्य संस्थाओं का दर्जा

4038. श्री सुबोध हंसदा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि ग्राम्य संस्थाओं का दर्जा ऊंचा किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है;
- (ग) संस्थाओं का दर्जा उन्नत करने के क्या कारण हैं ; और
- (घ) कब ऐसा किया जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) तक : मंत्रालय द्वारा 1956 में प्रारम्भ की गई ग्राम उच्च शिक्षा की योजना का पुनर्विलोकन किया गया है ताकि संस्थानों का और अधिक विस्तार किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय ग्राम ग्राम शिक्षा परिषद के परामर्श से पुनर्गठन के निम्नलिखित उपायों के बारे में निर्णय किया गया है :—

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिये कदम उठाए जाएं ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय 'समझी जाने वाली' संस्थाएं घोषित किए जायें के लिए गांधीग्राम, कोयम्बतूर और बिचपुरी स्थित ग्राम संस्थानों के गठन और उनके स्तरों में सुधार करने हेतु विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त की जा सके।
2. ग्राम संस्थान, उदयपुर को उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाए।
3. जामिया ग्राम संस्थान को जामिया मिलिया इस्लामिया का एक अंग बनाया जा सकता है, जो पहले से ही विश्वविद्यालय 'समझी जाने वाली' संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।
4. अन्य ग्राम संस्थान, यदि चाहें तो अपने निकट के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो सकते हैं या वर्तमान की तरह ही कार्य करते रह सकते हैं।
5. सभी ग्राम संस्थानों को उनकी विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय से उपयुक्त सहायता मिलनी चाहिये।
6. यद्यपि उपर्युक्त कदम तत्काल उठाए जा सकते हैं, फिर भी एक राष्ट्रीय ग्राम विश्वविद्यालय स्थापित करने की सम्भावना पर विचार किया जाना चाहिये।

कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का उद्योगों में लगाया जाना

4039. श्री जसवन्त मेहता : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि को उद्योगों में लगाये जाने में उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और
- (ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : भविष्य निधि की राशि को केन्द्रीय सरकार के ऋण-पत्रों में जगाया जाता है और योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु इसे केन्द्रीय साधनों में शामिल किया जाता है । सरकार भविष्य निधि की राशि को औद्योगिक ऋण-पत्रों में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए लगाना वांछनीय नहीं समझती क्योंकि उसमें क्षतिमय है ।

मणिपुर की पुलिस चौकी पर हमला

4040. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मार्च, 1966 की रात को मणिपुर के जिरिबाम सब-डिवीजन में जिरिहाट से लगभग 20 मील दूर बोणों बेकपा में स्थित एक बाहरी पुलिस चौकी पर लगभग 100 सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने हलके मशीन गनों तथा स्वचालित हथियारों से हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का मोटा विवरण क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) : 15 मार्च, 1966 को लगभग 300 नागा विद्रोहियों ने जिरिबाम सब-डिवीजन में बोरोबेका में स्थित बाहरी पुलिस चौकी पर आक्रमण किया । उन्होंने रात के ग्यारह बजे गोली चलाना प्रारम्भ किया । पुलिस ने जवाबी गोली चलाई तथा 16 मार्च, 1966 के सुबेरे डेढ़ बजे तक दोनों दलों के बीच गोली चलती रही । जिरिबाम थाने में एक मामला दर्ज कर लिया गया है, तथा इसकी जांच हो रही है ।

आपात कालीन सहायता शाखा की स्थापना

4041. श्री विश्राम प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिप्टी कमिशनर, दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में एक आपात कालीन सहायता शाखा स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता शाखा के क्या कार्य हैं ; और

(ग) इस शाखा की स्थापना के पश्चात् क्या कोई सहायता कार्य आरम्भ किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां । सन् 1958 में ऐसी एक शाखा स्थापित की गई थी ।

(ख) प्राकृतिक आपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये तथा दिल्ली में नागरिक सुरक्षा कार्य की योजना बनाने के लिये ।

(ग) सन् 1958 तथा 1964 के दौरान इस शाखाने ने बाढ़ों तथा अन्य प्राकृतिक आपत्तियों में सहायता कार्य का संगठन किया, परन्तु सन् 1964 से यह स्टाफ होम गार्ड्स संगठन के साथ मिला दिया गया है ।

जोरहाट प्रयोगशाला में अखबारी कागज का निर्माण

4042. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाटस्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने प्रयोग में लाये गये समाचारपत्रों के कागज से स्थायी कोमिट्टी कर अखबारी कागज बनाने की एक विधि परिपूर्ण कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो देश में अखबारी कागज का निर्माण बढ़ाने के लिये इस विधि को प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्रयोगशाला स्तर पर एक प्रक्रिया (विधि) तैयार की गई है ।

(ख) औद्योगिक उत्पादन पर विचार करने से पहले प्रायोगिक संयंत्र (Pilot Plant) के परीक्षण किये जाने हैं ।

Arms and Ammunition Recovered from Jeep of Nagaland Government

4043. Shri Basumatari :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the report published in Shillong Samachar, in February, 1966, arms and ammunition in huge quantity have been recovered from a jeep of Nagaland Government ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No such report has come to our notice. However, some ammunition was recovered from some persons travelling in a jeep belonging to the Government of Nagaland on 7th March, 1966 by the Jorhat Police.

(b) A case has been registered and is under investigation.

Appointments in the Department of Rehabilitation

4044. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any rules regarding appointment and promotion of employees in the Department of Rehabilitation have been framed ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the appointments and promotions of employees in the office of the Settlement Commissioner, Lucknow, during the last ten years have been made in accordance with the rules ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) Most of the staff employed in the Secretariat of the Department of Rehabilitation belong to the All India Services. Recruitment, Promotions etc. in these services are regulated by the Rules framed by the Ministry of Home Affairs. Even in the case of isolated posts except for that of Officer on Special Duty (Industries), Recruitment Rules for Class I and Class II posts have been formulated with the approval of the Union Public Service Commission and those for the Class III

and Class IV posts, in consultation with the Ministry of Home Affairs. Recruitment to the various posts has also been made in accordance with the provisions of the Recruitment Rules.

So far as the Settlement Organisation is concerned, it is a subordinate office under the Department of Rehabilitation, and Recruitment Rules for appointments/promotions to the posts mentioned in the Annexure have been framed in consultation with the Union Public Service Commission/Ministry of Home Affairs. There are, however, certain posts for which no Recruitment Rules exist. These posts are filled up in accordance with the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time.

(c) Yes, except in a few cases in the early stages of setting up of the office.

(d) In the interest of work it was considered necessary in the initial stages of setting up of the office of Settlement Commissioner, Lucknow, to appoint some experienced staff from sources other than the normal channel of employment exchange viz. on transfer from the State Government of U.P. and from amongst retrenched hands of this organisation. All such appointments have, since been regularised by the competent authority.

ANNEXURE

Posts for which Recruitment Rules have been framed.

1. Settlement Commissioner.
2. Assistant Settlement Commissioner.
3. Settlement Officer.
4. Assistant Settlement Officer.
5. Managing Officer.
6. Assistant Custodian.
7. Accounts Officer (Sr.)
8. Accounts Officer (Jr.)
9. Superintendent.
10. Upper Division Clerk.
11. Lower Division Clerk.
12. Stenographers.
13. Judgement Writer.
14. Daftry and Jamadar.
15. Peon.

Arrest for Distilling Illicit Liquor in Delhi

4045. **Shri .Yudhvir Singh :**

Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five persons distilling illicit liquor, have been arrested alongwith their distilling equipment in J. J. Colony near Rajouri Garden in Delhi ;

- (b) since when these distilleries have been working ; and
 (c) the action taken by the police against these persons so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes.

(b) The two distilleries came to the notice of the Delhi Police when a raid was conducted in the area.

(c) Five persons responsible for illicit distillation were arrested and cases registered against them at the Punjabi Bagh Police Station. The case will be put in Court on receipt of the report of the chemical examiner.

Attack on check Posts in Ukhrul Sub-Division of Manipur

4046. Shri Yudhvair Singh :

Shri Hukam Chand Kachhawaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that from the 2nd February to the 9th March, 1966 check posts and patrol parties in Ukhrul Sub-Division of Manipur were fired at with light machine guns, mortars and rifles ;

(b) whether it is also a fact that 12 persons of the security force were injured and one armed constable of the Central Defence Council was killed ; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Fourteen personnel of the Security Forces received injuries and one CRP constable was killed.

(c) Cases have been registered and are being investigated.

उड़ीसा में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए अनुदान

4047. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा के लिए वृत्तियां देने के लिए वर्ष 1965-66 में उड़ीसा सरकार की कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इस कार्य के लिये उक्त राज्य को वर्ष 1966-67 में कितनी धन राशि देने का विचार है?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 24,128 रुपये।

(ख) 19,302 रुपये।

पारलाखेमंडी (उड़ीसा) के उपडाकघर का दर्जा बढ़ाना

4048. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंजम जिले उड़ीसा में पारलाखेमंडी के उपडाकघर का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या उड़ीसा में अपेक्षाकृत कम कारोबार वाले किसी अन्य उपडाकघर का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में पारलाखेमंडी के उपडाकघर का दर्जा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) : जो नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। पारलाखेमंडी उपडाकघर का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाना विभाग के निर्धारित मानकों की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

पारलाखेमंडी (उड़ीसा) में डाकखाने की इमारत

4049. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में पारलाखेमंडी के उपडाकघर के लिये स्थायी इमारत बनाने के लिये कोई भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : पारलाखेमंडी का डाकघर पहले से ही एक विभागीय इमारत में काम कर रहा है। चूंकि मौजूदा इमारत में पर्याप्त स्थान नहीं है और इस स्थान पर इमारत का आगे और विस्तार नहीं किया जा सकता अतः डाकघर की इमारत के निकट ही 0.75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने पर विचार किया गया। फिर भी भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई आरम्भ करने से पहले ही भूमि के मालिक ने यह भूमि स्टेट बैंक आफ इंडिया को बेच दी। नगर के बीच किसी स्थान पर दूसरी जमीन के अधिग्रहण की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में केन्द्रीय स्कूल

4050. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन किन स्थानों में इस समय केन्द्रीय स्कूल चल रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उड़ीसा राज्य में ऐसे कितने स्कूल खोलने का विचार है और कहाँ कहाँ पर ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) पुरी और सम्बलपुर ।

(ख) उड़ीसा सरकार के विचार विनिमय से भुवनेश्वर और बरहमपुर में एक-एक स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा के लिये मिट्टी का तेल

4051. श्री मोहन नायक :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा की मिट्टी के तेल की मासिक मांग कितनी थी ;

(ख) अब उस राज्य को वितरण के लिये कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल दिया गया है ; और

(ग) इस राज्य के मिट्टी के तेल के कोटाको बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अल्लगोसन) : (क) और (ख) : जून 1965 से लेकर जनवरी 1966 की अवधि में उड़ीसा को मिट्टी के तेल की औसत मासिक सप्लाई 5495 किलो लीटर हुई है । अन्य महीनों में की गई सप्लाई के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । मार्च 1966 के लिए उड़ीसा का कोटा 3200 मीटरी टन (4109 किलो लीटर) निर्धारित किया गया है ।

(ग) यह फैसला किया गया है कि उड़ीसा का कोटा 4200 मीटरी टन (5650 किलो लीटर) तक बढ़ाया जाए ।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

4052. श्री मोहन स्वर्ण : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा में यह आश्वासन दिया था कि अधिक मात्रा में बोनस दिये जाने को संरक्षण देने के हेतु बोनस समुचित उपबन्ध किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि समझौतों पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : विवरण की एक प्रती संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6099/66।

(ग) आश्वासन बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में कार्यन्वित कर दिए गए थे ।

पंजाब में एक उपकुलपति की नियुक्ति

4054. श्री हरि विष्णु कामत : क्या शिक्षा मंत्री, 16 फरवरी 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुलपति द्वारा आदेशित जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : प्रश्नाधीन उप-कुलपति को कुलपति द्वारा पहली अप्रैल, 1966 को मुअतिल कर दिया गया था और उनकी सेवा को समाप्त करने के लिये कारण बताओं नोटिस दे दिया गया था। कारण बताओं नोटिस का उत्तर, कुलपति को प्राप्त हो गया है और यह इस समय कुलपति के विचाराधीन है।

आजाद काश्मीर के मुक्त कराये गये क्षेत्र

4055. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथाकथित आजाद काश्मीर के मुक्त कराये गये क्षेत्रों की, जिन पर भारत संघ का संविधान तथा कानून लागू किये गये थे और जिन पर सितम्बर, 1965 में उनकी मुक्ति के पश्चात् संघ तथा राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया था, इस समय वही स्थिति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) : ताश्कन्द घोषणा के अधीन हमारा सेना ने यह क्षल खाली कर दिये हैं, तथा अब यह हमारे प्रशासन के अधीन नहीं है।

कोजीकोड में पुस्तकालय

4056. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

श्री केप्पन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोजीकोड में विश्वविद्यालय केन्द्र में एक पुस्तकालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को अभी तक कार्यरूप न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : केरल विश्वविद्यालय के तीसरी पंच वर्षीय आयोजना के प्रस्तावों में, जिनका केरल सरकार ने अनुमोदन कर दिया था, कोजीकोड में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की एक शाखा की व्यवस्था थी। केन्द्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्थान में परिवर्तन होने की वजह से कोजीकोड में विश्वविद्यालय केन्द्र के विकास में देरी हुई है। मूल स्थान अनुष-युक्त समझा गया तथा एक अन्य स्थान अभिग्रहण के लिए चुना गया है। भूमि उपलब्ध होने पर पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय केन्द्र के विभागों के भवनों का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा।

केरल में गैर-सरकारी कालिज

4057. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार अथवा केरल विश्वविद्यालय ने गैर-सरकारी कालिजों द्वारा प्रबन्ध-समितियां बनाने के उनके कानूनी दायित्व का उनसे पालन कराने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्री(श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : केवल कुछ ही कला/विज्ञान और व्यावसायिक कालेजों में अभी तक प्रबंध मंडलों का गठन नहीं किया है जैसा कि केरल विश्वविद्यालय संविधियों में व्यवस्था है। इन सम्बद्ध प्रिन्सिपल कालेजों के प्रबंध मंडलों के गठन को अनुमोदित करने के प्रश्न पर केरल विश्वविद्यालय विचार कर रहा है और जिन कालेजों ने अभी तक इन मंडलों का गठन नहीं किया है उनसे संविधियों के सम्बद्ध उपबंधों का पालन करने के लिए कहा जाएगा।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में उत्पादन बन्द होना

4058. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय ने मार्च, 1966 के मध्य से उत्पादन बिल्कुल बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण प्रति दिन कितनी हानि हो रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री(श्री अलगेसन) : (क) 26 फरवरी, 1966 से फैक्टरी ने अमोनिया का उत्पादन बन्द कर दिया। सुपर-फास्फेट का उत्पादन हो रहा है।

(ख) प्रति दिन उत्पादन की हानि का मूल्य लगभग 1,36,000 रुपये है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

4059. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक अभ्यावेदन मिला था कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय के कार्यों की जांच करने के लिये एक जांच समिति बनाई जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) एक जांच समिति के स्थापना करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल

4060. श्री यशपाल सिंह :

श्री रामपुरे :

श्री फिरोडिया :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शरणार्थी बस्तियों में औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों में किन किन व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ग) इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दो औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं, एक माना में और दूसरा दण्डकारण्य में। तृतीय केन्द्र के बारे में मंजूरी दे दी गई है और इसे शीघ्र ही हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जायेगा। इन तीनों केन्द्रों में स्थानों की संख्या 628 है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों में 450 विस्थापित लड़के प्रशिक्षण पा रहे हैं। दोनों प्रकार के केन्द्रों में दाखिल किये गये विस्थापित छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं।

(ख) स्टैण्डर्ड आय० टी० आय० व्यवसाय, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक (मोटर), टरनर, वेल्डर, ब्लैकस्मिथी, कार्पेन्टरी तथा शीट मेटल और सामान्य मैकेनिक आदि के प्रशिक्षण सिखाये जाते हैं।

(ग) औद्योगिक, प्रशिक्षण केन्द्रों के व्यवसायों में प्रवेश के लिये सामान्य योग्यता मैट्रिक है। तथापि विस्थापित बच्चों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जिन्होंने आठवी कक्षा पास की हो उन्हें भी प्रवेश दिया जाता है। सामान्य मैकेनिक कोर्स के लिये उम्मीदवार कम से पाँचवी कक्षा पास होने चाहिये।

इंजीनियरी के डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति

4061. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि उनके इंजीनियरी के दो-वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के बराबर माना जाये, क्योंकि उनके डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम निर्धारित योग्यता अन्य संस्थाओं से अधिक होती है ;

(ख) क्या उनको पता है कि पटना और रांची को पोलिटैक्निक संस्थाओं के विद्यार्थियों तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों ने इस मांग के समर्थन में 11 फरवरी, 1966 को हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : इंजीनियरी में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता देने के संबंध में बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, राज्य सरकार से पटना और रांची के पोलिटैक्निकों द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के ब्यौरे भेजने के लिए कहा गया था। पाठ्यक्रमों के ब्यौरे भेजते समय, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हड़ताल के बारे में भी सूचित किया। विद्यार्थियों से भी इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। मामले की विस्तारपूर्वक जांच की गई और दो वर्षीय डिप्लोमा का उपयुक्त क्षेत्रों में रोजगार के लिए इंजीनियरी के सामान्य तीन वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

4062. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी से अप्रैल, 1966 की अवधि में प्रत्येक महीने के लिये मिट्टी के तेल की कितनी सप्लाई केन्द्र से मांगी थी;

(ख) प्रत्येक महीने में वस्तुतः उनको कितनी सप्लाई की गई ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की वर्ष के शेष महीनों की आवश्यकताओं के बारे में कोई अनुमान लगाया है और क्या कोई पक्का वचन दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अल्लगेसन) : (क) मार्च 1966 से आगे के लिए राज्य सरकार ने पश्चिमी बंगाल के लिए 36,000 किलो लिटर का मासिक कोटा मांगा। इस महीने से पहले विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल के प्रेषण पर कोई नियमन नहीं था।

(ख) प्रत्येक मास में निम्न प्रकार सप्लाई की गई है :—

जनवरी 1966	23,356 किलो लीटर
फरवरी 1966	18,057 किलो लीटर
मार्च 1966	27,697 किलो लीटर

(ग) पश्चिमी बंगाल के लिए अप्रैल, 1966 का कोटा 20,500 मीटरी टन (26,300 किलो लीटर) से 23,000 मीटरी टन (29,500 किलो लीटर) तक बढ़ाया गया है। राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया कोटा पर्याप्त है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर

4063. श्री लिंग रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कितनी पूंजी लगा रखी है; और

(ख) मैसूर सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी पर कितना लाभांश दिया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की अधिकृत अंश-पूंजी 5 करोड़ रुपये है। इस कम्पनी में भारत सरकार ने 3,58,74,500 रुपये और मैसूर सरकार ने 31,25,000 रुपये की पूंजी लगा रखी है। कोई और राज्य सरकार इस कम्पनी में हिस्सेदार नहीं है।

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा मैसूर सरकार को उसके शेयरों पर 5 प्रतिशत की दर से दिया गया 1964-65 का लाभांश 1,56,250 रुपये था।

मिजो व्यक्तियों द्वारा आसाम में घुसपैठ

4064. श्री लीलाधर कटकी :

श्री यशपाल सिंह :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री किन्दर लाल :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री मधू लिमये :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने मिजो शरणार्थियों के आसाम से पूर्व पाकिस्तान में तथाकथित आने के विरुद्ध एक विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्यातिक्रिया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जो मिजो लोग सीमा पार कर के पाकिस्तान में चले गये हैं, वे शरणार्थियों के छद्म वेष में आसाम में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) : पाकिस्तान की सरकार ने अन्य बातों के साथ इस सम्बन्ध में भी विरोध प्रगट किया है कि मिजो क्षेत्र उपद्रवों की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के परिणाम

स्वरूप पाकिस्तान में शरणार्थी जाने लगे हैं। पाकिस्तान की सरकार को यह सूचना दी गई है कि मिजो विद्रोहियों के कुछ गुट जिनको उस सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में घुस जानेकी अनुमति दी है वे सामान्यतः स्विकृत शरणार्थी वर्ग के अन्तर्गत नहीं समझे जा सकते। पाकिस्तान की सरकार को यह प्रार्थना की गई है कि इन मीजों दलों को नज़रबन्द करके भारतीय अधिकारियों को वापिस सौंपा जाय ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए।

(ग) सरकार को अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

फरीदाबाद में इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट

4065. श्री महेश्वर नायक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाई०एम०सी०ए०, पश्चिमी जर्मनी के संघ सरकार और पंजाब सरकार के सहयोग से फरीदाबाद में एक इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित किया जायेगा जिसमें हर वर्ष मध्य स्तर के 480 व्यक्ति तकनीशन बनेंगे; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या व्यौरा है और धन की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) : मध्य स्तर के तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार फरीदाबाद में एक इंजीनियरी संस्थान स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप में राजी हो गई है। योजना के व्यौरों को पंजाब सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

वाई०एम०सी०ए० कितना धन देगी, इसको ध्यान में रखने के बाद, भारत सरकार और पंजाब सरकार दोनों प्रायोजना का खर्च उठाएंगी।

Exchange of Scientists with Poland

4066. Shri Rameshwaranand :

Shri Vishwa Nath Pandey :

Shri Onkar Lal Berwa :

Shri M. Rampure :

Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Shri Firodia :

Shri Brij Raj Singh :

Shri Basumatari :

Shri Kindar Lal :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement for scientific collaboration between India and Poland was concluded on the 27th March, 1966 ; and

(b) if so, the broad features thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Two agreements : (1) for scientific cooperation between the Council of Scientific and Industrial Research, India, and the Committee for Economic Cooperation with Foreign Countries of the Council of Ministers of the People's Republic of Poland ; and (2) for scientific cooperation between the Council of Scientific and Industrial Research, India, and the Polish Academy of Sciences, were signed on 26th March, 1966.

(b) The agreements envisage (i) exchange of experts, scientists and research fellows and (ii) exchange of scientific information and experience between the two organisations. The international travel expenses of the experts, scientists and fellows will be borne by the sending country while the board and lodging and other expenses such as internal travels, medical facilities, pocket allowance etc. will be provided by the receiving country. The Agreements will be in force for a period of two years.

Regional Languages as Medium Instruction

**4067. Shri Rameshwaranand : Shri Hukam Chand Kachhavaia :
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Brij Raj Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

- (a) whether Government have decided to make regional languages the medium of instruction ;
- (b) if so, the names of the States concerned and when they are likely to introduce it ; and
- (c) the main features of the scheme ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). Government have not taken any such decision. But at the school level the medium of instruction in most of the institutions is the regional language, subject to the Constitutional rights of linguistic minorities.

At the university level, the medium of instruction is decided by the Universities which are autonomous bodies. Many of them have adopted Hindi or some other modern Indian language as an alternative medium of instruction for specified courses of study.

Scholarships for Study in Residential Schools

**4068. Shri Rameshwaranand : Shri Hukam Chand Kachhavaia :
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Brij Raj Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

- (a) whether Government have called for applications for awarding scholarships for study in residential schools;
- (b) if so, the criteria of selection ; and
- (c) the last date for receiving applications therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. Mrs. Soundaram Ramachandaran) : (a) Yes, Sir.

- (b) Through an all-India competitive examination purely based on merit.
- (c) 31st May, 1966.

पनवेल में उर्वरक कारखाना

4069. श्री तुलशीदास जाधव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या महाराष्ट्र में पनवेल नामक स्थान पर एक उर्वरक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ;
- (ख) यदि हां, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और
- (ग) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : जी हां। मेसर्स महाराष्ट्र एग्रो-इन्डस्ट्रीज डिवलपमेंट कारपोरेशन लि० ने हर महीने 4000 टन सिंगल सुपर फास्फेट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र में पनवेल नामक स्थान पर एक कारखाने की स्थापना के लिये एक प्रार्थना-पत्र भेजा है। इस कारपोरेशन ने 6.2 मिलियन रुपये की पूंजी लागत बताई है जिसमें विनिर्माण पूंजी (working capital) भी शामिल है।

दिल्ली में दंगे

4070. श्री गुलशन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 मार्च, 1966 को दिल्ली के चांदनी चौक में हुए दंगों के सम्बन्ध में जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ; और

(ग) इन दंगों के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : दिल्ली प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा चुकी है, तथा मुख्यायुक्त के मन्तव्य शीघ्र ही सरकार को उपलब्ध हो जायेंगे। इस बीच दिल्ली प्रशासन द्वारा कुछ सुधारक कार्यवाहियों की गई हैं।

नाडिया में सशस्त्र पाकिस्तानीयों का आक्रमण

4071. श्री गुलशन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1966 के समाचारों के अनुसार नाडिया जिले में सशस्त्र पाकिस्तानीयों ने भारतीयों पर आक्रमण किया था और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये और कुल कितनी राशि की सम्पत्ति लटी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : पश्चिम बंगाल के उप-महा पुलिस निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार 22-23 मार्च, 1966 की रात को लगभग 2 बजे 18/20 पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमा में घुस आए तथा छतीरा के एक भारतीय नागरिक के मकान पर आक्रमण कर दिया तथा वे 4270 रु० के मूल्य के आभूषण तथा नकद राशि उठाकर ले गए। इस डकैती के दौरान डाकुओं ने अग्निअस्त्र तथा पटाखों का प्रयोग किया जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं। एक मामला चालू कर दिया गया है।

नेफा में स्कूल तथा कालेज

4072. श्री रिशांग किशिंग :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में इस समय कितने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा कालेज हैं ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में इन की संख्या कम है अथवा अधिक ;

(ग) क्या स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में सरकार ने दृढ़ निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) से (घ) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया।
देखिये संख्या एल० टी० 6100/66।]

नेफा के लिये योजना में नियत धनराशि

4073. श्री रिशांग किंशिंग : श्री जं० ब० सि० विष्ट :
श्री रामेश्वर टांटिया : श्री लीलाधर कटकी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के वास्तविक लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया है ; और

(ग) यदि उस में कोई कमी रही है, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सात सौ पन्द्रह लाख रुपये।

(ख) तथा (ग) : भौतिक लक्ष्य लगभग प्राप्त किये जा चुके हैं। यद्यपि 1965-66 के लिये व्यय के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, कोई विशेष कमी की सम्भावना नहीं है।

ROCK INSCRIPTION FOUND IN DELHI

4074. Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a rock inscription of King Asoka has been recently discovered near Lajpat Nagar in South Delhi ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan

(a) Yes, Sir.

(b) The inscription is carved on a flat but tilted rock surface of the quartzitic outcrop of the Aravelli series. It is fairly legible and records a version of the Minor Rock Edict also met with at Bairat, Ahraura, Sasaram, Gujjara, Maski, Yerraguddi with slight local variations.

तेल का उत्पादन

4075. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य तीसरी योजना अवधि के अन्त तक कहां तक पूरा किया गया था तथा उस में यदि कोई कमी रह गई थी तो वह कितनी है ; और

(ख) तेल के मामलों में भारत कब तक स्वावलम्बी हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अल्लगेसन): (क) तीसरी योजना के अन्त तक प्रति वर्ष 6.25 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य के मुकाबले में प्रति वर्ष 4.06 मिलियन मीटरी टन का वास्तविक उत्पादन प्राप्त हुआ।

(ख) चौथी योजना अवधि में आत्म निर्भर होने की सम्भावना नहीं है।

सुच्चासिंह के विरुद्ध अभियोग

4076. श्री बी० चं० शर्मा :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरों हत्याकांड के प्रमुख संदिग्ध व्यक्ति, सुच्चा सिंह के विरुद्ध चालान तैयार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) नैपाल से सुच्चा सिंह के प्रत्यर्पण पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में जांच पूरी करनी थी।

(ग) 18,479 रुपये 76 पैसे।

महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान

4077. श्री बी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायतें मिलने पर छेड़छाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध एक अभियान आरम्भ कर दिया है ;

(ख) अभियान के दौरान इस आरोप में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिये 28-3-66 से 3-4-66 तक दिल्ली पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया था।

(ख) तथा (ग) : इस अभियान के दौरान 110 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पांच को उन्मुक्त किया गया, तथा शेष 105 के मामले न्यायालयों में लम्बित हैं।

नागाओं का मिजो लोगों के साथ सहयोग

4078. श्रीमती रेणुका बडकटकी :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की गड़बड़ी में सशस्त्र नागा लोग काफी बड़ी संख्या में मिजो पहाड़ियों में घुस गये थे और उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट के लोगों की सहायता की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बर्मा सीमा पर स्थित चम्पाई की चौकी पर हुए हमले में नागा लोगों ने सक्रिय भाग लिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 6 मार्च, 1966 को 12 नागा "सैनिक अफसर" चम्पाई सड़क पर टुहचांग गये और उन्होंने वहाँ पर एक पुलिसिया को उड़ा दिया ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

दिल्ली के स्कूलों में टेलिविजन व्यवस्था

4079. श्री रामपुरे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने स्कूलों में टेलिविजन द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की जा चुकी है ;

(ख) 1966-67 में कितने स्कूलों में टेलिविजन द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी ;

(ग) क्या 1966-67 में अन्य राज्यों में भी इस प्रणाली से शिक्षा आरम्भ की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 225।

(ख), (ग) और (घ) : दिल्ली के अथवा अन्य राज्यों के नए स्कूलों में योजना का विस्तार टी० वी० सेटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और टेलिविजन विकास का क्रमिक कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। फिलहाल इस बात का पता नहीं है कि कार्यक्रम 1966-67 में भी आरम्भ किया जाएगा अथवा नहीं।

काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में पंजीकृत उम्मीदवार

4081. श्री गुलशन :

श्री किशन पटनायक :

श्री य० ह० भील :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1966 को भारत भर के काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में कुल कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज थे ;

(ख) उन में स्नातकों, गैर-स्नातकों और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) उनमें से कितने लोगों को, श्रेणीवार, रोजगार दिलाया गया है ; और

(घ) 1 मार्च, 1966 तक के केन्द्रीय सरकार के कितने विभागों और मंत्रालयों ने नियोजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशक, दिल्ली के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की है और श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

अस, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : शिक्षित तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बारे आंकड़े प्रतिवर्ष हर छः माह बाद जून और दिसम्बर में इकट्ठे किए जाते हैं । प्राप्त जानकारी नीचे दी गई है :—

उम्मीदवारों की श्रेणी	31-12-65 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में दर्ज नाम	अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जिनकी गणना स्तम्भ 2 में दी हुई है	1965 के दौरान रोजगार सहायता प्राप्त करने वाले
स्नातक (जिनमें स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले भी शामिल हैं) ।	86,058	3,254	25,213
मैट्रिकुलेट (जिनमें हायर सैकण्डरी और इन्टरमीडिएट पास उम्मीदवार भी शामिल हैं) ।	7,55,775	50,231	1,58,900
मैट्रिक से कम पढ़े लिखे	17,43,640	2,38,273	3,86,078
कुल	25,85,473	2,91,758	* 5,70,191

* अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी के अनुसार मिली नियुक्ति सहायता से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त नहीं है किन्तु ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या 5,70,191 में से 58,681 थी ।

(घ) नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों की सहायता से होती हैं ; रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से नहीं ।

केन्द्रीय जांच विभाग में सब-इन्स्पेक्टर के पद के लिये अर्हता

4082. श्री गुलशन :

श्री प० ह० भोल :

श्री किशन पटनायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच विभाग में सीधो भर्ती वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर भरती होने के लिये क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग में सब-इन्स्पेक्टर के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शिक्षा-योग्यता द्वितीय श्रेणी के स्नातक की उपाधि है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हार्दय) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6101/66/1]

(ख) जी नहीं। न्यूनतम शक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट या हायर सैकेंड्री अपेक्षित होती है। इस सम्बन्ध में विवरण के अनुबन्ध iii में भरती के नियमों की अनुसूची में उपनीरीक्षकों से संबंधित प्रविष्टि की मद 7 को देखें।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में असफलताएँ

4083. श्री गोकर्ण प्रसाद :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन चलने वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की सभी कक्षाओं के छात्रों की औसतन पास (सफलता) प्रतिशतता क्या है ;

(ख) दिल्ली प्रशासन के अधीन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1964-65 में सातवीं, नवीं तथा दसवीं कक्षाओं के कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे ;

(ग) इन में से प्रत्येक कक्षा के कितने छात्र पास हुए, कितने छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और कितने असफल रहे ; और

(घ) प्रतिवर्ष इतने बड़े पैमाने पर छात्रों के असफल रहने से मानव शक्ति की जो बरबादी होती है, उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चौकीदार की हत्या

4084. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1966 को दिल्ली में आसफ अली रोड पर स्थित एक फर्म का रात्रि को पहरा देने वाला एक युवक चौकीदार कार्यालय के तहखाने में कत्ल हुआ पाया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या व्यौरा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) आर्थिक उद्देश्य से यह कत्ल हुआ था।

(ग) पुलिस के एक गश्ती दस्ते ने इस घटना के शीघ्र ही बाद दो अभियुक्त व्यक्तियों को पकड़ा। कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में कत्ल का एक मामला दर्ज कर लिया गया है, तथा शीघ्र ही चालान किये जाने की संभावना है।

उखरूल संगसक सड़क पुल

4085. श्री जसवन्त मेहता :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में विद्रोही नागाओं ने नागालैंड में उखरूल संगसक सड़क पर लकड़ी के एक पुल को नष्ट कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) 28 मार्च, 1966 की रात को कुछ उपद्रवियों ने जिन पर नागाविद्रोही होने का सन्देह है उखरूल संगसत सड़क पर बृफलंग नुंगशंग खोंग पुल को जला दिया।

मिजो पहाड़ियों में राजनैतिक स्थिति

4086. श्री नि० रं० लारकर :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री लीलाधर कटकी :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री श० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो पहाड़ियों तथा पश्चिम बंगाल की राजनैतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये संसद सदस्यों का एक दल आसाम भेजने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Vacancies in public undertakings in Maharashtra

4087. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of vacancies in the public undertakings of the Central Government in Maharashtra State notified during the period from April, 1965 to March 1966; and

(b) the number of vacancies filled in these undertakings during this period through the various Employment Exchanges ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b). Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Study of the Constitution of India in Secondary Schools

4088. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce the study of 'Constitution of India' in secondary schools ;

(b) whether States have been consulted in this regard ; and

(c) if so, the views expressed by the State Governments ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Constitution of India is generally taught at the school stage in all States. The model syllabus for Social Studies for classes I-XI formulated by the National Council of Educational Research & Training also includes a study of the Constitution of India.

(b) & (c). The model syllabus has been sent to all State Governments and their comments are awaited.

Fertilizer Factory in Maharashtra

4089. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether Government have considered the prospect of establishing a factory of superphosphate fertilizers in Maharashtra ; and

(b) if so, whether a decision has since been taken in the matter ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri O. V. Alagesan) : (a) & (b). The Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Ltd., a Maharashtra Govt. undertaking, have submitted an application for an industrial licence to manufacture 4000 tons of superphosphate per month, in the public sector. The application is under consideration.

In the private sector, there are already four units in production and three schemes are under implementation. Besides, three applications for industrial licences for the production of superphosphate in Maharashtra are also under consideration.

केन्द्रीय भूमि सुधार संगठन

4090. श्री लिंग रेड्डी : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुनर्वासि भूमि सुधार संगठन ने अन्दमान के विकास करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में अब तक क्या काम किया है ; और

(ख) इसका चौथी पंचवर्षीय योजना में कौनसी योजनाएँ आरम्भ करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भूमि सुधार संगठन द्वारा 15 अप्रैल, 1966 तक अन्दमान में किये गये काम का व्यौरा निम्न है :—

(क) वृक्ष गिराना	1,003 एकड़
(ख) पंक्ति बनाना	1,087 एकड़
(ग) स्टम्पिंग	22 एकड़
(घ) जड़ काटना	521 एकड़
(ङ) कुरेदना	203 एकड़
(च) हैरो चलाना	1,087 एकड़

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हस्त द्वारा तथा पुनर्वासि भूमि सुधार संगठन द्वारा 45,300 एकड़ भूमि का सुधार किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

टेलीफोन केन्द्र, बबरपुर

4091. श्री नि० रं० लास्कर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) बबरपुर, आसाम में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ;
- (ख) केन्द्र स्थापित करने में देरी के कारण क्या है ; और
- (ग) यह केन्द्र अनुमानतः किस तारीख तक खुल जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : बबरपुर में एक स्वचल टेलीफोन केन्द्र हाल ही में चालू कर दिया गया है ।

कालीगंज में टेलीफोन तथा तार कार्यालय

4092. श्री नि० रं० लास्कर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीगंज, जिला कचार, आसाम के लिए टेलीफोन तथा तार कार्यालय मंजूर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) लाइन का निर्माण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) नया कार्यालय कब चालू हो जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) सितम्बर, 1964 में ।

(ग) निर्माण स्थल पर पूरे आवश्यक सामान विशेषतः तांबे और लोहे के तार के प्राप्त न होने के कारण ।

(घ) तांबे के तार के, जिसकी कमी थी और अब भी बनी हुई है, अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध होना अनिश्चित होने के कारण ठीक ठीक तारीख बताना संभव नहीं है ।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी

4093. श्री जसवन्त मेहता : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कालेजों में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की हाल ही में बढ़ रही संख्या की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कालेजों में प्रवेश पाने के लिये उत्सुक विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को बदलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है ।

(ख) विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6102/66।]

टेलीफोन तिखवण्णमलाई केन्द्र की इमारत

4094. श्री धर्मलिंगम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर अर्काट जिले में तिखवण्णमलाई का टेलीफोन केन्द्र किराये की एक इमारत में है और उसमें आवश्यकता के अनुसार स्थान नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये एक इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह टेलीफोन केन्द्र एक किराये की इमारत में काम कर रहा है। औचित्य तो 2,325 वर्ग फुट स्थान का है, लेकिन यहां 1,845 वर्ग फुट तक का ही स्थान उपलब्ध है।

(ख) एक विभागीय भवन के निर्माण के लिए जमीन के प्लॉट की तलाश की जा रही है।

(ग) निर्माण का कार्य जमीन प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही आरम्भ किया जाएगा।

तिरुवण्णमलाई में टेलीफोन केन्द्र का बोर्ड

4095. श्री धर्मलिंगम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तिरुवण्णमलाई में टेलीफोन केन्द्र का बोर्ड पुराना और जीर्ण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : इस टेलीफोन केन्द्र में स्विच बोर्ड 1957 तथा 1959 में लगाये गये थे और उन्हें जीर्ण नहीं कहा जा सकता। साथ ही वे अच्छी हालत में भी हैं। एक लम्बी प्रतीक्षा-सूची मौजूद है और इस टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर 300 लाइनों की क्षमता के स्वचल टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करके टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

तिरुवण्णमलाई में टेलीफोन

4096. श्री धर्मलिंगम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन लगवाने के कितने प्रार्थी तिरुवण्णमलाई में प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) सबसे पुराना आवेदन-पत्र किस तारीख को दिया गया था ;

(ग) अब तक टेलीफोन न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन प्रार्थियों के टेलीफोन कब दिये जायेंगे।

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 40।

(ख) 10 मार्च, 1965।

(ग) मौजूदा टेलीफोन केन्द्र की क्षमता अपर्याप्त होने के कारण।

(घ) 200 लाइनों के मौजूदा करचल टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर 300 लाइनों के स्वचल टेलीफोन केन्द्र के उपकरण की स्थापना करके इसका विस्तार किया जा रहा है। इस काम के पूरा होने के बाद शीघ्र ही अब तक की मांग पूरी की जाएगी।

गुरु गोविन्द सिंह के जीवन पर पुस्तक

4097. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "यूनेस्को" विभिन्न भाषाओं में एक पुस्तक प्रकाशित कराने के लिये विचार कर रहा है जिसमें गुरु गोविन्द सिंह के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : भारत सरकार के अनुरोध पर यूनेस्को, श्री गुरु गोविन्द सिंह के 300 वें जन्मोत्सव के अवसर पर दशम् ग्रन्थ (दि बुक आफ दि टेन्थ मास्टर, गुरु गोविन्द सिंह) से कुछ चुने हुए भजनों का एक संकलन प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गई है। इसका उद्देश्य, प्रतिनिधिक ग्रन्थों के अनुवाद के यूनेस्को-कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विदेशी भाषाओं में प्रस्तावित संग्रह निकालना है।

Clandestine Maps of India

4098. Shri N. R. Laskar : Shri Hukam Chand Kachhavaia :
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Lila Dhar Kotaki :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have initiated efforts to unearth a gang which published maps showing Kashmir as a part of Pakistan and NEFA as a part of China ; and

(b) if so, the number of arrests made so far in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Rajasthan Government brought to the notice of Government of India a map of Africa, Europe and Asia styled "Islami Duniya". This map shows parts of India as outside boundaries. Government of India brought this to the notice of Governments of all States (other than Rajasthan) and of Union Territories.

(b) According to information available so far four arrests have been made in Rajasthan where the investigation is in progress. Four charge-sheets have been filed in Andhra Pradesh.

New College for Narela Area (Delhi)

4099. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Narela area (Delhi), there are about 25 Higher Secondary Schools but not a single College ;

(b) whether it is also a fact that various parties have been repeatedly demanding that a College should be opened in this area ;

(c) the number of new colleges opened in Delhi during 1964-65 and 1965-66 ;

(d) whether Government propose to open a College in Narela in July-August, 1966 ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) There are about 20 schools in the Narela area but no college.

(b) Yes.

(c) Five in 1964-65 and two in 1965-66.

(d) No, but a proposal to start a college in this area in 1968 is under consideration of Delhi Administration.

(e) The number of local students is not adequate for a college in the area.

दिल्ली में अध्यापकों के वेतन की देय बकाया राशि

4100. श्री शिवचरण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में अध्यापकों के वेतन की देय बकाया राशि से सम्बन्धित कितने मामले छः महीने, एक वर्ष तथा दो वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) जिन भाषाई अध्यापकों को 1961 में 100-250 रुपये के स्थान पर 180-350 रुपये पुनरीक्षित वेतन क्रम मंजूर किये गये थे, उनके वेतन की देय बकाया राशि से सम्बन्धित कितने मामले हैं ।

(ग) भुगतान करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) इन देय बकाया राशियों को चुकाने तथा भविष्य में अध्यापकों का देय बकाया राशियों के तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Pay Commission for Agricultural Labour

4101. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to appoint a Pay Commission for agricultural labour ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) There is no such proposal.

(b) The employment in agriculture is a scheduled employment under the Minimum Wages Act, 1948 and mainly falls in the state sphere. It is the statutory responsibility of the appropriate Governments to carry out the periodical revision of the wages in accordance with the provisions of the Act.

विद्रोही मिजो द्वारा एक भूतपूर्व विधान-सभा सदस्य का अपहरण

4102. श्रीमती रेणुका बडकटकी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो ने एक भूतपूर्व विधान-सभा सदस्य श्री लाल मोरिया का अपहरण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो श्री लाल मोरिया का पता लगाने और उन्हें छुड़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा सेना अपहृत या गुम हुए व्यक्तियों की लगातार खोज कर रही है।

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली की विकास योजना

4103. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री पद्मा लाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने कोटला मुबारकपुर क्षेत्र की पुनर्विकास योजना को अब अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन की 2 दिसम्बर, 1963 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ० 4 (63)/62-एल एंड एच में उल्लिखित यह बात, कि "भूमि की (जिसमें त्रिलोकी कालोनी की भूमि भी शामिल है) लोक कार्य के लिये, अर्थात् दिल्ली (कोटला मुबारकपुर) के योजनाबद्ध विकास के लिये, सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा ली जाती है ; वास्तव में सही है, जबकि कोटला मुबारकपुर, दिल्ली की पुनर्विकास योजना अभी तक तैयार भी नहीं की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना तैयार कर ली गई है तथा दिल्ली विकास अधिकरण और दिल्ली नगर निगम को भेज दी गई है। इसको अन्तिम रूप देने के लिये कोई अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है। दिल्ली विकास अधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को शीघ्र निर्णय करने की प्रार्थना की गई है।

(ग) त्रिलोकी कालोनी दिल्ली प्रशासन के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1963 को प्रकाशित भूमि अधिग्रहण अधिनियम (अधिसूचना संख्या एफ० 4/63/62-एल० एन्ड एच०, दिनांक 2-12-1963) की धारा 4 के अधीन एक अधिसूचना में आती है। कोटला मुबारकपुर का दिल्ली पुनर्विकास के नियोजित विकास का एक भाग है। कोटला मुबारकपुर के पुनर्विकास की योजना को सम्बन्धित क्षेत्र के अधिग्रहण की अधिसूचना देने के पश्चात् अन्तिम रूप दिया जाना था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रधान मंत्री तथा छिपे नागा नेताओं के बीच हुई बातचीत का परिणाम

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं वैदेशिक कार्य-मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"प्रधान मंत्री तथा छिपे हुए नागा नेताओं के बीच हुई बातचीत का परिणाम।"

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : छिपे हुए नागा नेताओं का प्रतिनिधि मण्डल 9 अप्रैल को प्रधान मंत्री से मिला था। इसके पश्चात् प्रतिनिधि मण्डल के नेता आगे बातचीत के लिये प्रधान मंत्री से दो बार मिले। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य नागा नेताओं के दिमाग से गलतफहमियों तथा शंकाओं को दूर करना था और आगे बातचीत के लिये उचित वातावरण उत्पन्न करना था।

सरकार का यह पक्का विश्वास है कि नागा समस्या का कोई समाधान भारत संघ के भीतर रहकर ही ढूँढ लिया जायगा। इस बुनियादी स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार नागालैण्ड के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव पर ईमानदारी से तथा गम्भीरता के साथ विचार करेगी। वास्तव में, सरकार सच्चे दिल से यह चाहती है कि नागाओं के अपने सांस्कृतिक, आर्थिक अथवा अन्य विकास के कार्यों पर, जो उनका अपनी प्रकृति और उनके रहने के क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हों, वह अधिक से अधिक जो कर सकती है, करे।

यह जो बातचीत हुई है, उससे कुछ अपसी सूझ-बूझ और विश्वास उत्पन्न हुआ है जो इस प्रकार की कठिन समस्या को संतोषजनक ढंग से हल करने के लिये बहुत आवश्यक है। इस बातचीत से नागालैण्ड में शान्ति बनाये रखने के वर्तमान प्रबन्धों को अधिक सुदृढ़ करने में भी सहायता मिली है।

इस घरेलू प्रश्न को लेकर विदेशी सरकारों तथा अधिकारियों को पत्र लिखने के श्री स्काट के आचरण के बारे में हमने अपना विरोध प्रकट कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस घरेलू मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के लिये इस प्रकार के प्रयत्नों को सरकार सहन नहीं करेगी। हमें बताया गया है कि श्री स्काट ने ऐसा जो कुछ भी किया है वह शान्ति मिशन के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगतरूप से किया है। उन्होंने अपने इस आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का यत्न किया और इस पर खेद भी व्यक्त किया है। उन्होंने जो सफाई दी है और जो आश्वासन दिये हैं उन्हें देखते हुए सरकार ने उनके इनर-लाइन परमिट का अवधि एक महीने के लिये बढ़ाना स्वीकार कर लिया है।

आशा है कि हाल ही में जो बातचीत हुई है, उससे और भविष्य में इस बारे में जो बातचीत होगी उससे एक नया वातावरण उत्पन्न होगा। इससे वर्तमान शान्ति को स्थायी बनाने में तथा इसे स्थिर करने में सहायता मिलेगी। इससे प्रशासन अपना ध्यान और साधन पूर्णरूप से नागालैण्ड के राज्य के आर्थिक विकास और उनकी समृद्ध बनाने में लगाये जा सकेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रधान मंत्री तथा छिपे नागा नेताओं के बीच सीधी बातचीत तथा वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को देखते हुए क्या नागा नेताओं के साथ श्री स्काट की शान्तिमिशन के सदस्य के रूप में उपयोगिता तथा शान्ति मिशन की उपयोगिता के बारे में विचार किया है और क्या शान्ति मिशन भंग किया जाने वाला है?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि प्रधान मंत्री तथा नागा नेताओं के बीच सीधी बातचीत होने से शान्ति मिशन का कार्य तथा महत्व कम हो गया है। श्री स्काट द्वारा खेद प्रकट करने के कारण हमने उनको एक महीना और भारत में रहने की अनुमति दी है।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas) : Keeping in view the anti-Indian activities of Shri Scott may I know the reason for which he has been permitted to stay for one month more?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने वक्तव्य तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में श्री स्काट को भारत से चले जाने के लिए एक महीने का समय देने के कारण बता दिये हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या सरकार का ध्यान तथाकथित नागा फ़ेडरल सरकार के तथाकथित प्रधान मंत्री द्वारा डबल हवाई अड्डे पर दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका भारत के संविधान से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनका अपना संविधान है ? इसको ध्यान में रखते हुए सरकार छिपे नागाओं को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता देती कि जब तक वे भारत संघ में रह कर कोई समझौता करने का आश्वासन न दें उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने इस सभा में जो कुछ कहा है माननीय सदस्य ने लगभग उसी को दोहराया है । हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि नागा समस्या का कोई भी हल भारत संघ के अन्दर रह कर ही हो सकता है । हमने अपनी स्थिति उन पर कई बार स्पष्ट कर दी है । जहां तक नाम का सम्बन्ध है वे कोई भी नाम रख सकते हैं परन्तु नागलैण्ड का वास्तविक सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य सरकार के वहां पर कार्य करने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या छिपे नागाओं ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि वे इस स्थिति को स्वीकार कर लेते तो फिर बातचीत समाप्त हो जाती । हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि वे इस स्थिति को स्वीकार कर लें । इसी लिये हम बातचीत जारी रखे हुए हैं ताकि हम उनको अपनी स्थिति पर सहमत कर सकें ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने छिपे नागाओं को अपनी स्थिति के बारे में बता दिया है और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि बातचीत ठीक ढंग से चल रही है । इस अवस्था में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री प्र० च० बरुआ (शिवसागर) : क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं ने मि० स्काट के सुझाव पर यह प्रस्ताव रखा है कि इस मिशन के स्थान पर ऐसा शान्ति मिशन बनाया जाये जिसमें भारत के बाहर के लोग हों । यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसे किसी शान्ति मिशन की आवश्यकता नहीं है । ऐसे किसी सुझाव को स्वीकार करने का हमारा इरादा नहीं है ।

श्रीमती रेणुका बडकटकी (बारपेटा) : क्या यह सच है कि यदि एक बार छिपे नागा अपनी पृथक्करण की मांग को छोड़ दें तो उनको स्वायत्तता सुनिश्चित करने के हेतु कदम उठाने के लिये सुझाव देने के लिये संसदीय समिति अथवा आयोग नियुक्त करने के एक प्रस्ताव पर भी बातचीत हुई है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : न तो मैंने ही कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है और न उन्होंने ही कोई सुझाव दिया है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि भविष्य में होने वाली बातचीत में नागलैण्ड को निर्वाचित तथा सांविधिक सरकार का विश्वास प्राप्त किया जाये ताकि कोई गलतफहमी पैदा न हो ?

श्री स्वर्ण सिंह : छिपे नागा नेताओं से बातचीत के बारे में नागलैण्ड सरकार से संपर्क रखा जाता है । बातचीत आरम्भ होने से दोतीन दिन पूर्व ही नागलैण्ड के मुख्यमंत्री श्री शिलू आओ यहां पर आये थे तथा उनसे सारी बातचीत की गई थी ।

Shri R. S. Pandey (Guna) : May I know whether Government have made any concrete suggestions to the underground Nagas and whether they have agreed to consider them ? If so, the nature of the suggestions and whether it is desirable to keep Mr. Scott in the talks ?

श्री स्वर्ण सिंह : मि० स्काट के बारे में कोई भी निर्णय छिपे नागाओं के परामर्श से नहीं किया जायेगा। दूसरे प्रश्न के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है हमें उसी को स्वीकार करना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : क्या जिन छिपे नागाओं से बातचीत हो रही है वे छिपे नागाओं के संगठन के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय नागालैण्ड में आतंरिक पर शान्ति है और यह शान्ति उनके साथ चल रही बातचीत के फलस्वरूप ही स्थापित हुई है। इस लिये हमें यह मानना है कि वे नेता उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने नागालैण्ड राज्य का वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। वे इस बात का दावा भी करते हैं कि वे सभी भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnot) : I would like to know whether the Prime Minister during her talks with the underground Naga delegation conveyed to them that we were contemplating to transfer this Nagaland affairs to the Home Ministry ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस बात का निर्णय प्रधानमंत्री को करना है कि वह इस मामले को किसको सौंपे, गृह-कार्य मंत्रों को अथवा वैदेशिक-कार्य मंत्री को।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : I would like to draw the attention of the hon. Minister to his statement wherein he has stated that Mr. Scott has expressed regret for his behaviour. I would like to say in his interview to the Indian Newspapers Mr. Scott has not expressed any such regret for his behaviour. I therefore, request you Sir, that, a writing to this effect may be taken from the hon. Minister which might have been given to him by Mr. Scott.

श्री स्वर्ण सिंह : हमने कहा है कि मि० स्काट ने खेद प्रकट किया है। यह मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है। परन्तु उन्होंने लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है इसलिये मैं भी लिखित रूप में सभा के सम्मुख कुछ नहीं रख सकता।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : In the speech on the 24th March, the Prime Minister has stated that there was violence in the far away Mizo Hills. I would like to know whether the Prime Minister would make use of the sentences carefully ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक मिजो हिल्स का सम्बन्ध है मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि वे हमारे विचारों तथा सरकार के दृष्टिकोण से बहुत दूर हैं। मेरा कहने का अर्थ यह था कि जिस प्रकार चण्डीगढ़ दिल्ली से निकट है उस तरह मिजो हिल्स जरा दूर हैं। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है इस लिये उसके बहुत से भाग दिल्ली से दूर हैं।

मैं एक अन्य बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैंने यह नहीं कहा है कि नागा समस्या का कोई हल शीघ्र ही होने वाला है। मैंने केवल यही कहा है कि बातचीत ठीक ढंग से चल रही है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्शी व्यवस्था

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्शी व्यवस्था तथा अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6076/60।]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने विवरण सभा पटल पर रख दिया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्शी व्यवस्था तथा अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। इससे पूर्व कि इस योजना को अन्तिम रूप दिया जाये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार किया है अथवा उनको स्वीकार किया है?

श्री नन्दा : मेरा विश्वास है कि हमने ऐसा ही किया है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री हाथी ने आल इन्डिया रेलवेमेन फेडरेशन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि वे जो स्पष्टीकरण अथवा संशोधन चाहते हैं उनको योजना में शामिल किया जायेगा। परन्तु हम यह देख कर चकित रह गये हैं कि योजना को अन्तिम रूप में सभा पटल पर रखा गया है। मैं श्री हाथी से यह जानना चाहता हूँ कि इस योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व इन आश्वासनों को क्रियान्वित किया गया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : उन्होंने जो भी सुझाव दिये थे उनको शामिल किया गया है। अन्तर्बाधा।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : हमने श्री हाथी से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे परन्तु उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया था और कहा था कि हम अपने सुझाव पुनः रख सकते हैं और हमें जुलाई तक का समय दिया जाता है। 14 अप्रैल को प्रधान मंत्री के साथ हुई बातचीत में हमने संयुक्त परामर्शी व्यवस्था का विरोध किया था और कहा था कि रेलवे में पहले ही स्थायी रूप से ऐसी व्यवस्था है इसलिये इस नई व्यवस्था को हम पर न लादा जाये। प्रधान मंत्री ने कहा था कि उनको एक महीने का समय चाहिये ताकि वह सम्बन्धित मंत्रियों से विचार विमर्श कर ले। परन्तु मैं नहीं जानता कि गृह-कार्य मंत्रालय ने अचानक यह योजना कसे लागू कर दी है। क्या वह इसको स्थगित नहीं कर सकते? प्रधान मंत्री को बताना चाहिये कि यह ठीक है या नहीं।

श्री हाथी : कहा यह गया था कि कर्मचारियों के लगभग दूसरे सभी संघ इस व्यवस्था के लिये सहमत हो गये हैं। मैंने कहा था कि जो संघ सहमत नहीं हुए हैं हमें आशा है कि वे भी इस योजना के लिये सहमत हो जायेंगे।

श्री प्रिय गुप्त : नहीं आपने यह नहीं कहा था। आपने कहा था कि.....

अध्यक्ष महोदय : जब गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी तब इस विषय पर भी चर्चा की जा सकती है।

मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : महोदय, मैं तीसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(i) अनुपूरक विवरण संख्या 1	चौदहवां सत्र, 1966
(ii) अनुपूरक विवरण संख्या 3	तेरहवां सत्र, 1965
(iii) अनुपूरक विवरण संख्या 6	बारहवां सत्र, 1965
(iv) अनुपूरक विवरण संख्या 10	ग्यारहवां सत्र, 1965
(v) अनुपूरक विवरण संख्या 13	दसवां सत्र, 1964
(vi) अनुपूरक विवरण संख्या 15	नवां सत्र, 1964
(vii) अनुपूरक विवरण संख्या 20	सातवां सत्र, 1964
(viii) अनुपूरक विवरण संख्या 18	छठा सत्र, 1963

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या क्रमशः एल० टी० 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083 तथा 6084/66।]

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : One of the papers is a letter from Mizo leader Lal Denda addressed to President Sukarno. There should be some discussion on that too.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, मैं आपको यह याद दिला दूँ कि आपने कहा था कि इस मामले की सदन की ही एक समिति जांच कर रही है और उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा। नियम संख्या 323 के अनुसार संसदीय समिति इस मामले को दो प्रकार से जांचेगी। एक तो यह कि यह आश्वासन आदि किस हद तक कार्यान्वित किये जा चुके हैं और दूसरे यह कि निर्धारित समय में ही कार्यान्वित किये गये थे। अभी तक समिति की रिपोर्ट नहीं आई है।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अभी कुछ दिन पूर्व संसद-कार्य विभाग की मांगों पर चर्चा के समय मेरे मित्र ने यह प्रश्न उठाया था और मैंने उसके बारे में उस समय बता दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अभी कुछ दिन पूर्व मैं ने यह सूचना मांगी थी कि कुछ उद्योग-पतियोंको चिकित्सा के लिये विदेशी मुद्रा दी थी विशेषकर पंजाब के एक उद्योगपति को 10,000 पौंड दिये गये जब कि अध्यक्ष महोदय आपको स्वयं 10 पौंड ही मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विदेशी मुद्रा के आवंटन के बारे में इसी सत्र में विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ने मेरा जिक्र किया है। मुझे वित्त मंत्री ने बताया है कि मुझे 10 पौंड एक संसद सदस्य के नाते दिये गये थे। यदि मैं इस पर आपत्ति उठाता तो मुझे अधिक विदेशी मुद्रा मिल जाती। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है।

सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : महोदय, मैं सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-6085/66।]

**व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के
अन्तर्गत अधिसूचनाएँ**

रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—
 - (i) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) दूसरा संशोधन योजना, 1966 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1120 में प्रकाशित हुई थी।
 - (ii) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) दूसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1121 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6085 तथा 6086/60।]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING

अट्ठाईसवां और उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :—

- (i) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रधान कार्यालय, रांची, के बारे में 28 वां प्रतिवेदन।
- (ii) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में 29 वां प्रतिवेदन।

गुजरात के पंचमहल जिले में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

STATEMENT RE : POLICE FIRING ON ADIVASIS IN PANCHMAHAL DISTRICT
OF GUJARAT

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महोदय, गुजरात सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार घरला और कोली समुदायों के लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने रविवार, 17 अप्रैल, 1966 को दोपहर बाद 3 बजे पंचमहल जिले के शेहरा गांव में डाका डालने और आग लगाने की कोशिश की। राज्य सरकार ने इस डाके की कोशिश के बारे में पहले जानकारी मिल गई थी और उन्होंने 17 तारीख को प्रातः एक सशस्त्र पुलिस दल शेहरा गांव भेज दिया था। जब डंडों की मार और अश्रु गस का भीड़ पर कोई प्रभाव

[श्री नन्दा]

नहीं पड़ा तो तालुका मजिस्ट्रेट के आदेश से जो उस समय वहाँ मौजूद थे गोली चलानी पड़ी। भीड़ के 3 आदमी गोली से घायल हो गये जिन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। आशंका है कि दो और आदमी जखमी हो गये जिनको उनके साथी अपने साथ ले गए। भीड़ के हाथों 22 व्यक्ति घायल हुए जिनमें 3 पुलिस अधिकारी और 17 पुलिसमैन थे। 2 पुलिस अधिकारी बहुत सख्त घायल हुए।

गोलीकांड की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं। राज्य सरकार से मालूम कर लिया गया है कि यह दुर्घटना अन्न के अभाव, बरोजगारी या अन्न की मांग के कारण नहीं हुई बल्कि डाका डालने के इरादे से की गई।

लाल डेंगा द्वारा राष्ट्रपति सुकर्णो को लिखे गये कथित पत्र के बारे में

RE : ALLEGED LETTER FROM LAL DENGGA TO PRESIDENT SUKARNO

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I am reading a line of what Lal Denga wrote to President Sukarno :

“Historians claim that we, the Mizo people, are the Mongoloids originated from time immemorial from the Southern part of China and migrated towards the present habitat between India and Burma through the Shan State of Burma in about fifteenth century”.

He has attributed a sentence to late Pandit Nehru. I think Pt. Nehru would not have at least gone to that level to say that. About Pandit Nehru the letter says :

Their top leader and spokesman, late Pandit Jawaharlal Nehru released a press statement on the 9th August 1946 and stated,

“The tribal areas are defined as being “those along the frontiers of India, which are neither part of India, nor of Burma, nor of an Indian State, nor of any foreign power”.

Mr. Speaker : Please tell me, what do you want now ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I want that this matter should be discussed at once.

Mr. Speaker : For discussion, please give notice what Hon. Minister is to say in this regard.

श्री नन्दा : यह पत्र तलाशी लेने समय पकड़ा गया था और उसके कारण वहाँ जो एक विद्रोह होने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। जब गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी तो इस बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हम उसका उत्तर देंगे। हम इसका खंडन करते हैं और इस पर पूरी तरह कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : यह कहने से काम नहीं चलेगा कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने कभी ऐसा नहीं कहा। जो भी खबर 9 अगस्त 1946 को समाचार पत्र के दी गई वह छापी जाये और देश के सामने प्रस्तुत की जाये।

दूसरी बात यह है कि मिजो पहाड़ियों के बारे में अलग चर्चा होनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : जब श्री नेहरू ने यह वक्तव्य दिया तो वह भारत के प्रधान मंत्री नहीं थे। फिर भी मैं गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पत्र के बारे में हमें बतायें ताकि हमें भी पता चले कि इसमें क्या है।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

“कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2(क) के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(i) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

“कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2(क) के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(i) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।”

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.]

अनुदानों की मांगें—(जारी)

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : इस मंत्रालय की मांगों के लिए 4 घंटे 25 मिनट शेष हैं। श्री दिगम्बर सिंह चौधरी अपना भाषण जारी रखे।

Shri D. S. Chaudhuri (Mathura) : I hope the hon. Prime Minister realises that the food problem is a prime problem before the country.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

We imported 45,56,000 tons of food grains in 1963 and 62,65,000 tons in 1964 and 74,62,000 tons in 1965. There are certain things which are not being attended to.

[Shri D. S. Chaudhuri]

First of all the price of potatoes was expected to be atleast Rs. 14 to 15 per maund. But in fact they were sold at the rate of Rs. 6 per maund only. The same applies to other commodities also.

It is clear if the Kisan is not getting his due, why should he labour hard to produce more. But the same potato when it is sold to army after keeping it in cold storage for few days is sold for Rs. 12 per maund. Why should our jawans be looted like that by charging such high price for them. Unless and until you give a guarantee for higher prices for this produce, the kisans will not produce more. Are the Kisans also to launch an agitation on the line of Delhi Band that they should not produce more.

The second thing which I want is that irrigation facilities should be improved. You talk of fertiliser and of scientific methods of agriculture but first preference should be given to irrigation facilities.

The Government gives facilities for so many things e.g. production of car. But they have stopped importing of Russian tractors and their prices have been increased. Big tractors are not being imported now. I suggest that if you want higher production you will have to open factories for the manufacture of implements of agriculture.

I want to say something about Cooperative farming. This is a very important matter. But both private sector and public sector are against this movement. The private sector is against it as they are the capitalists whereas their sons are employed in government and they do not let this programme prosper. Again the Reserve Bank of India seems to be deadly against it. I am saying this on the basis of my knowledge as Managing Director of a District Corporation Bank in U. P. I therefore request that our rupee should be taken out of the Reserve Bank so that the Corporation movement may flourish.

श्री कसथिरमण (गोबीचेट्टि पलयम) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा समवाय मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

मैं खाद्य मंत्री के साहस की बड़ाई करूंगा कि वह जटिल खाद्य समस्या का सामना कर रहे हैं ।

एक किसान के नाते मैं कह सकता हूँ कि जो अनुसंधान कार्य हमारे देश में हो रहा है, उसके कारण हम खाद्य के मामले में अपने लक्ष्यों पर पहुँच गये हैं ।

कृषि विभाग को घटिया विभाग समझा जाता है । केवल वित्त विभाग तथा अन्य विभाग को ही अच्छा विभाग समझा जाता है । अब जब कि हमारे ऊपर खाद्य समस्या आई तो हम कृषि के बारे में सोच रहे हैं । पहले तो कृषक के बारे में कोई सोचता भी नहीं था । उसका कोई मान नहीं करता था, कोई उसके बारे में रोता नहीं था और उसके बारे में गाता नहीं था । इस लिये मैं तो यही कहूंगा कि यह खाद्यान्न की कमी बनी रहे ताकि किसान के बारे में कोई सोचे तो सही ।

हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान कार्य करने वाले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । जो "हाईब्रिड" बीज उन्होंने उत्पन्न किया है, बहुत अच्छे हैं । इस लिये हमारी सरकार तथा जनता का यह कर्तव्य है कि अपने वैज्ञानिकों को अच्छा कार्य करने के बारे में प्रोत्साहित करें । मैं तो कहता हूँ कि बिना उर्वरक प्रयोग किये मैं 60 मन उत्पन्न कर सकता हूँ । जब रासायनिक खाद्य का मामला आता है तो बहुत से सदस्य उसका समर्थन नहीं करते । परन्तु देश के वातावरण में उर्वरकों का प्रयोग बहुत आवश्यक है । पिछली तीन पंच वर्षीय योजनाओं में हमारे नियोजक उद्योग के हक में रहे तथा शहरों के हक में रहे ।

उन्होंने कृषि तथा गांवों के बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया। यदि अनाज के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा उर्वरक कारखानों की स्थापना पर खर्च की जाती तो अनाज की समस्या अब तक हल हो गई होती। तीसरी योजना के अन्त में जब उर्वरक कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता समझी गई तो विदेशी मुद्रा की समस्या सामने आ खड़ी हुई। उर्वरकों का प्रयोग करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इसके लिये मिट्टी की जांच तथा अन्य बातों का किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

बोजों और उर्वरकों के अतिरिक्त अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधाओं का होना भी बहुत जरूरी है। छोटे सिंचाई कार्यों तथा भूमिगत पानी को रोकने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

सब से महत्वपूर्ण बात कृषि उपज के लिये किसानों को प्राप्त होने वाला मूल्य है। हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकों की बजाय उपभोक्ताओं का अधिक खयाल रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज का मूल्य सरकारी अधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाता है न कि किसान द्वारा। जहां कहीं भी उपभोक्ताओं को अधिक लाभ पहुंचाने की नीतियां अपनाई जायेंगी वहां पर किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय सरकार को वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार कार्य करना चाहिये और अन्य वस्तुओं के मूल्यों को विशेषतया उन वस्तुओं के मूल्यों को जिनकी किसान को आवश्यकता होती है ध्यान में रखा जाना चाहिये।

अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यदि उनकी वस्तुएं खुले बाजार में न जा सकें तो उस प्रयोजन के लिये वसूलों की कोई राष्ट्रीय प्रणाली होनी चाहिये ताकि उन्हें अधिक मूल्य प्राप्त हो सके।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : हमारी आयोजन प्रणाली के बारे में यह बात बहुत ही खेदजनक है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी कृषि की दशा ऐसी है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान औसत वार्षिक उत्पादन दूसरी योजना अवधि से कम होने की सम्भावना है। यह ठीक है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि अधिक भूमि में काश्त करके की गई है न कि प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप। जब तक कृषि में वृद्धि केवल उत्पादन क्षेत्र बढ़ा कर की जायेगी तब तक खाद्यान्न की समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि जन संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारे सारे प्रयत्न निष्फल हो जायेंगे। वास्तव में यह समस्या प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करके ही हल की जा सकती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कारगर कार्यवाही नहीं की है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिये कुछ कड़े उपाय करने होंगे। परम्परागत विचारों से कोई लाभ नहीं होगा।

राष्ट्रीय चरित्र तथा आत्म-बलिदान की भावना की कमी हमारे देश के लिये सब से बड़ी कठिनाई है। इससे हमारा नैतिक ढांचा दुर्बल हो गया है। राष्ट्र को विनाश से बचाने के लिये गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता है। अति निर्धनता के कारण हमारे देश के कृषक न तो कृषि के आधुनिक उपकरण खरीद सकते हैं और न ही कृषि के लिये आवश्यक विभिन्न वस्तुएं ठीक समय पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि कृषकों की आवश्यकताएं समय पर पूरी कर दी जायें तो कृषि उत्पादन 20 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। सरकार को उन्हें यथा संभव सस्ते दरों पर तथा पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिये।

यह भी बहुत जरूरी है कि किसानों को भूमि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त आय हो क्यों कि उनके लिये केवल खेती पर ही अपना जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये।

[श्री सुरेन्द्रपाल सिंह]

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिये जिससे उनके लड़के नगर के लड़कों से प्रतियोगिता कर सकें और उनको अच्छे रोजगार मिल सकें।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में एक 'सवाई' प्रणाली प्रचलित है। इसके अन्तर्गत किसानों को सितम्बर या अक्तूबर अर्थात् रबी के मौसम में बीज दिये जाते हैं और अप्रैल अर्थात् फसल की कटाई के समय उनसे उपज का 25 प्रतिशत भाग ले लिया जाता है। यह सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई सबसे बुरी प्रथा है। इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिये।

श्री बिरें दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा के लोगों तथा उनकी आवश्यकताओं विशेषकर अनाज की आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस से वहाँ के लोग बहुत चिंतित हैं। पूर्वी पाकिस्तान से लोगों के आ जाने के कारण त्रिपुरा की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। इस वर्ष वहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है। इस समय जबकि उसे बाहर से अनाज दिया जाना बहुत जरूरी है केन्द्रीय सरकार ने अनाज की मात्रा आधा कर दी है। त्रिपुरा को अब तक चावल बिल्कुल भी नहीं दिया गया है।

सरकार ने अगरतला नगर तथा इसके आसपास रहने वाले एक लाख व्यक्तियों के लिये उचित मूल्य की 35 दुकानें खोली हैं। परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ स्थिति बहुत ही बिकट है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग भूखे मर रहे हैं और वे उन क्षेत्रों को छोड़ कर मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई सहायता कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैंने जब मुख्य मंत्री से यह पूछा कि सहायता की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चावल बिल्कुल भी नहीं है। केन्द्रीय सरकार को वहाँ पर तुरन्त अनाज भेजना चाहिये। यदि चावल मानसून आरम्भ होने से पहले नहीं भजा जायगा तो वहाँ पर बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

वर्तमान खाद्य संकट सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार अनाज जमा करने वालों तथा मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रही है। सरकार को अनाज की वसूली तथा वितरण के कार्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। यह बहुत ही खेद की बात है कि ऐसा करने की बजाय सरकार अमरीका के आगे झुक रही है। उर्वरक करार राष्ट्र के आत्म-सम्मान के विरुद्ध है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : अनिश्चित समय तक विदेशी सहायता पर निर्भर रहने से यह कहीं अधिक अच्छा है कि हम खाद्यान्न के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लें। इस लिये पी०एल० 480 को खाद्यान्न की कमी को पूरा करने का एक अस्थायी उपाय ही समझा जाना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य से यह स्थायी रूप अख्तियार करता जा रहा है और इसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनाज के कारण देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न की ओर से हमारा ध्यान ही हटता जा रहा है।

एशिया में जापान तथा फार्मूसा जैसे देशों में अमरीकी सहायता से उद्योग तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में ही बहुत अधिक प्रगति हुई है। हमारे असफल रहने का कारण यह है कि हम सहायता का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के अन्तिम लक्ष्य को बिल्कुल भूल गये हैं। विश्व बैंक के एक ढल ने कृषि क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति न होने के लिये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को दोषी ठहराया है।

नर्मदा परियोजना को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिये और मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी।

घाटी भूमि को कृषियोग्य बनाने का कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये गये हैं। गुजरात में भी ऐसी लगभग 10 लाख एकड़ भूमि है।

वर्तमान खाद्य संकट से यह बात प्रकाश में आई है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अभाव है और नीति सम्बन्धी निर्णयों तथा उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों को कारगर ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस समस्या का स्थायी हल यह है कि ऐसी दीर्घकालिक राष्ट्रीय खाद्य नीति अपनाई जाय जिससे देश में अनाज का अधिकतम उत्पादन किया जा सके और उपलब्ध अनाज का समूच देश में युक्तिसंगत ढंग से वितरण किया जा सके।

किसानों को उर्वरक, खाद, ऋण, पोषी की रक्षा करने वाली दवाइयां तथा अच्छे बीज दिये जाने चाहिये। किसानों को वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसे उपाय किये जाने चाहिये जिससे वे ऐसी फसलें उगाने के लिये प्रेरित न हों। सिंचाई तथा पानी की अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिये और किसानों को भिन्न भिन्न फसलें उगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

एक फसल बीमा योजना बनाई जानी चाहिये।

कोई ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये जिससे किसी खास प्रतिशत से अधिक भूमि में वाणिज्यिक फसलें न उगाई जा सकें। उस कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये।

कृषि देश का सब से बड़ा उद्योग है। इसलिये एक मजबूत भारत सेवक समाज अथवा कोई अन्य संगठन स्थापित किया जाना चाहिये ताकि देश में किसानों की आवाज सुनी जा सके।

श्री रंगा राव (चोपुरपल्ली) : खाद्य समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। हमें सब से पहले ऐसे कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिये जिन से तुरन्त परिणाम प्राप्त हो सके। परन्तु साथ ही साथ हमें लम्बी अवधि के कार्यक्रमों पर भी विचार करना चाहिये। मूल स्तरों पर साधनों के अधिक उदारता से तथा सधन उपयोग के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

कृषि के विकास के लिये छोटे कृषकों को औजार, सिंचाई की सुविधाएं, रासायनिक खाद तथा ऋण दिये जाने चाहिये। वे इतने गरीब हैं कि वे आधुनिक औजार नहीं खरीद सकते और उन्हें उनका प्रयोग करने का ज्ञान भी नहीं होता है। ऐसा समझा जाता था कि सहकारी खेती से कृषकों को सभी आधुनिक औजार उपलब्ध हो जायेंगे जो कृषि के विकास के लिये आवश्यक हैं। परन्तु इस दिशा में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है क्योंकि छोटे कृषकों को यह डर है कि सहकारी खेती से भूमि पर उनके मूल स्वामित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसका हल यही है कि सारे देश में सेवा सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिये। जो कृषकों को सभी स्तरों पर विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकें। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसा करने से हमारे कृषि के तरीकों में क्रान्ति आ जायेगी। इस लिये सरकार को इस सुझाव पर गम्भीर से विचार करना चाहिये। प्रश्न केवल धन की कठिनाई का है और इन सेवा सहकारी समितियों को धन उपलब्ध करने के लिये व्यक्तिगत आधार पर किसानों को दिया जाने वाला ऋण बन्द किया जा सकता है क्योंकि इस से अधिक किसानों को फायदा पहुंचेगा।

सिंचाई प्रयोजनों के लिये नदियों के तल पर 'फिल्टर' प्वाइंट' बनाए जाने चाहिये। मैंने स्वयं ऐसा किया है और मुझे काफी सफलता मिली है। सिंचाई के लिये सब से सस्ता तरीका नदियों के तल पर 'फिल्टर प्वाइंट' लगाने का है। इस में बहुत कम लागत आती है। इनको छोटे नालों तथा नदियों के किनारों पर लगाया जा सकता है।

निर्धन किसानों को सहकारी समितियों तथा अन्य समितियों द्वारा जाने वाला ऋण नहीं मिलता है। सम्बन्धित क्षेत्र के धनी तथा प्रभावशाली लोग ट्रैक्टर तथा पम्प आदि खरीदने के लिये ऋण ले लेते हैं। सरकार को इस बारे में आवश्यक तथा उचित कार्यवाही करनी चाहिये जिससे निर्धन कृषकों को ऋण मिल सके।

श्री केप्पन (मुवानुपुजा) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि खाद्यान्नों सम्बन्धी क्षेत्रों को बड़ा बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि चावलों के बारे में क्षेत्रों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायेगा। खेद की बात है तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इतना अधिक धन व्यय करने के पश्चात् भी हम खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। इसका क्या कारण है? हमारी योजनाएं तो बहुत अच्छी थीं परन्तु उन्हें ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें बताये कि नये कार्यक्रमों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था तथा विस्तार सम्बन्धी अभिकरणों का किस प्रकार पुनर्गठन किया गया है।

भूमि सर्वेक्षण, भूमि परीक्षा तथा पत्तों आदि की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिये। सभी स्थानों पर सभी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। जब एक बार फसल के लिये ठीक भूमि मिल जाये तो वहाँ की मिट्टी का विश्लेषण करना होता है और यह पता लगाना होता है कि उस भूमि में किन किन तत्वों की कमी है ताकि इस त्रुटि को दूर किया जा सके। भारत में नारियल के उत्पादन में कमी होती जा रही है। इसके उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रयत्न करने से नारियल के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। हमारे देश में विशेषतः केरल राज्य में नारियल का उत्पादन बहुत कम है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार को इस कार्य के लिये ऋण देना चाहिये। केरल में मछली पालने के काम को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। यदि सरकार इस काम के लिये 9 करोड़ रुपया दे दे तो मछली का उत्पादन तीन गुना किया जा सकता है।

Shri Baswant (Thana) : Sir I support these demands. The Dairy farming has got very important place in our country. Government has spent about Rs. 40 crores on this during the three five year plans. I have come to the conclusion that our production of cow milk has increased considerably whereas the buffalo milk has not become popular. We should make the buffalo milk also 'popular'. The milk producers should be given good prices. More loans should be given to keep milk cattle. Cooperative societies of milk producers should be given encouragement. These societies should be given adequate quantity of fodder for their cattle. The Dairy Farms Department should see that green fodder is provided to the cattle owners.

The cattle that have completed their lactation period are sent to slaughter houses in Madras and Bombay. It is not good. These cattle should not be slaughtered after they cease giving milk. The Maharashtra Government has formulated a scheme in this regard. It should be adopted by other states also. This Ministry should also take up this matter.

There is great difference in the present price of paddy in various states. It should be rationalised.

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप) : भूमि के कटाव की समस्या बहुत खतरनाक समस्या है। हमें इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये। प्राचीन काल में विश्व की कई महान तथा सुस्थापित सभ्यताएं नष्ट हो गई थीं। व भूमि कटाव को नहीं रोक पाये थे। हमारे देश के समक्ष भी यह समस्या खड़ी रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारे देश ने लगभग 2410 करोड़ रुपया नदी घाटी परियोजनाओं पर व्यय किया है परन्तु अब इनकी जल क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। दामोदर घाटी परियोजना इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। मैं विभिन्न परियोजनाओं के क्षेत्रों का दौरा किया है और मुझे बताया गया है कि हमारी परियोजनाओं की देखभाल का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में प्रशासनिक अड़चने नहीं खड़ी की जानी चाहिये। हमें अपनी वर्तमान परियोजनाओं की देखभाल का काम अच्छी तरह से करना चाहिये। नई परियोजनाओं से का लाभ होगा यदि हम पहली परियोजनाओं की ओर ही पर्याप्त ध्यान नहीं देते।

वनों के बारे में हमारी नीति यह है कि भूमि का तीसरा भाग वनों के लिये रखा जाये। परन्तु राज्य सरकारों को भी इसमें रुचि लेनी चाहिये और सहायता करनी चाहिये। वनों का विषय संविधान का समवती सूचि में शामिल किया जाना चाहिये।

Shri Yogendra Jha (Madhubani) : There has been considerable increase in the agricultural production of our country but even then we have not been able to achieve self sufficiency. I fear that we would not be able to achieve this even in the Fourth Plan. We should take revolutionary steps to achieve this end. The tillers of land should be made the owners of land.

[श्री सोनवने पीठासीन हुए ।
[Shri SONAWNE in the Chair.]

Government should introduce land reforms. Uneconomic land should be exempted from revenue. Credit facilities should be provided to farmers. Irrigation facilities should be utilized fully. Good quality seeds should be distributed in time. Statutory rationing should be introduced in all cities that have one lakh or more population. The foodgrains trade should be taken over by Government. Effective steps should be taken to control population. Pesticide should be distributed on a larger scale.

श्री शिव मूर्ति स्वामी (कोप्पल) : श्रीमानजी, इस बजट में कृषि के लिये बहुत कम धन रखा गया है। इसके लिये अधिक धन का उपबन्ध करना चाहिये क्योंकि यह हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है। कृषि के लिये आवश्यक का 50 प्रतिशत रखा जाना चाहिये।

हमारे बजट में विकास तथा सामाजिक सेवाओं के लिये केवल 5 प्रतिशत धन रखा गया है। इसमें सम्बन्धित सेवाओं पर होने वाला व्यय भी शामिल है। यह राशि बहुत कम है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृषि के विकास के लिये अधिक धन की व्यवस्था करायें।

मेरे क्षेत्र में कुछ परियोजनाएँ सरकार ने अपने हाथ में ली हैं। तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत लगभग 1,25,000 एकड़ भूमि गन्ने की खेती के लिये रखी गई है। परन्तु उस क्षेत्र में गन्ने के पेरने के लिये केवल दो फैक्ट्रियाँ हैं। 1960 में वहाँ के लोगों ने चीनी के कारखाने बनाये जाने के लिये सहकारी समितियाँ बनायी थी और कारखाने के लिये लाइसेंस की मांग की थी परन्तु खेद की बात है कि सरकार ने उनका मांग पूरी नहीं की है। वहाँ कम से कम चार कारखानों की आवश्यकता है। खाद्य मंत्री वहाँ आने का वायदा किया था। मैं नहीं जानता वह वहाँ पर कब आयेंगे। हम चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। अतः हमें अधिकाधिक संख्या में चीनी कारखाने लगाये चाहिये।

श्री महेश दत्त मिश्र (खंडवा) : श्रीमानजी, उत्पादन और वितरण की समस्याएँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इस बारे में माननीय सदस्यों ने परस्पर विरोधी राय व्यक्त की हैं। मुख्य बात तो यह है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी ने ठोक प्रकार से कार्य नहीं किया है। इसी प्रकार कानूनों को भी ठोक प्रकार से लागू नहीं किया गया है। कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमें योजनाओं का कार्यान्विति के कार्य को ठोक करना होगा। आज भी अनाज की कमी नहीं है, केवल आपको मुह मांगे दाम देने पड़ते हैं। हम इस देश की समस्याओं को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि हम प्रशासन का विकेन्द्रीकरण नहीं करते। जब तक कि जनता के प्रतिनिधी देश के कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य नहीं करते तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। अब ऐसी अवस्था आ गई है जब प्रशासन को राजनीतिज्ञों में विश्वास नहीं है और राजनीतिज्ञों को प्रशासन में विश्वास नहीं है और जनता को दोनों में विश्वास नहीं है। अतः देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। जनता को स्वयं योजना बनानी चाहिये।

[श्री महेश दत्त मिश्रा]

यदि हम किसी योजना पर धन व्यय करना चाहते हैं तो हमें वह धन सीधे जनता को देना चाहिये और जनता को स्वयं योजना का व्यौरा तैयार करने देना चाहिये। जनता के प्रतिनिधि उनके इतने निकट हैं कि वे लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं और उनका कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं और अपने उद्देश्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः अब समय आ गया है कि प्रशासन की व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत किया जाये।

उर्वरकों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा। अब जब वे अमरीका जायें तो पेनसिलवानिया में एक हमिश नामक कबीले में अवश्य जायें। उनका प्रति एकड़ औसत उत्पादन अमरीका से अधिक है क्योंकि वे उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है हमें छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को ओर ही ध्यान देना चाहिये। ऐसे क्षेत्र में जहां सिंचाई व्यवस्था नहीं है, प्रत्येक किसान को, जिसके पास 20 एकड़ से कम भूमि है, एक कुआँ दिया जाना चाहिये और आप देखेंगे कि दो वर्ष में आपकी खाद्य समस्या हल हो जायेगी। अब इसके व्यौरे में तो नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं यह जानता हूँ कि किसान को पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है और वह कुएं का उपयोग अवश्य करेगा। और यदि गरीब से गरीब किसान जो 75 या 80 प्रतिशत हैं, ने भी 3 या 4 एकड़ भूमि में सिंचाई कर ली तो कम से कम समय में हम उत्पादन बढ़ा सकेंगे। हमें उर्वरकों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये।

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : The Agriculture Ministry is being very much discussed these days. If we see the increase in the production of food during the last 15-20 years there is nothing to be ashamed of. Our misfortune is that while the land under cultivation in India is 285 million acres, the production of foodgrains is 88 million tons, and in America the land under cultivation is 200 million acres, the production of food grains is 225 million tons. The main cause for this under production is money is not being invested in agriculture, as the average farmer is a poor person. Secondly the average farmer is uneducated.

Our Co-operative Societies are also financially very weak, especially in Bihar, Bengal, Orissa, Assam and Rajasthan. The Government should set up an Agricultural Credit Corporation which should advance loans through these Co-operative Societies. Therefore more funds should be placed at the disposal of these societies.

The Ministry is launching a new High Holdings Variety Intensive Programme. For this purpose a loan of two hundred crores of rupees is required. In other words, by the end of the Fourth Plan, we would need a total loan of one thousand crores. A meeting of the officers of the Co-operative Societies was held recently. They felt that the rules of the Reserve Bank in this respect are very restricted. The Reserve Bank should relax its rules for granting loans to the Society. To say that Co-operative societies are running with Government money is wrong. 45 % of the deposits with these societies is Government money and 55% is public money.

There are more than 2 lakhs credit Societies. Most of the Societies are very poor and do not have the capacity to pay even for a Secretary to manage its affairs. Therefore these Societies should be merged into 1 lakh or 1 lakh 25 lakh societies, so that they become viable units and provide loans to the farmers.

The interest being charged by the Societies now is very high *i.e.* 6 to 9 per cent. But the Societies are also helpless, they get only 45% of their finances from Reserve Bank which 2% is less than the market rate. The rest 55% they get from deposits or loans *i.e.* at a rate of 6 to 7%. There are three structures of Co-operatives. It has been suggested that one of the structure should be done away with. But perhaps, you have not realised the practical and administrative difficulties involved. The problem facing the farmers is not the high rate of interest but that they should get the loans in time and should receive sufficient loans. And I am happy to announce that most of the States have agreed to see to it that loans are provided well in time and to the requirement of the farmers; they have also agreed to provide crop loans. This loan is provided in the security of the crop. This loan is provided irrespective of the fact whether the farmer is an owner or tenant. Last year 360 crores of rupees were spent for providing loans to the farmers. In 1970-71 12,00 crores of rupees would be needed for providing loans.

We also hope to provide one Anand and one Mehsana in each district. I am also sorry to state that much progress has not been made in Co-operative farming. In this connection I want to quote from Gadgil Committee which was set up to study this question.

“The data thrown up by the survey and the experience of four years in the Third Plan suggest that, as a result of the pilot projects (in co-operative farming) certain areas or clusters of potential growth have developed. These include the districts of Dhulia in Maharashtra, Sambalpur in Orissa, Bhavnagar in Gujarat and Jullundur in Punjab. In these areas, favourable conditions have been created and a leadership exists which is interested in the programme and has a fair understanding of its essential features and problems. Besides these areas, there are certain pilot projects like Meetut, Meerut District, Uttar Pradesh where, with careful nursing, the programme of co-operative farming is likely to develop encouragingly. In addition, there are isolated societies which have also progressed well. Taking the country as a whole, however, cooperative farming has not yet taken roots. Here it is necessary to emphasize that the programme is still in its infancy. Even so, in the areas mentioned above, study leads to the conclusion that the programme has demonstrated its capacity to step up production and create the potential for future development. In other areas, the programme is yet to develop”.

During the fourth Five Year Plan we propose to set up 10,000 Societies.

These credit Societies have played a vital role in non-agricultural field also. The sale through these Co-operative societies during this year has been to the tune of 125 crores. We propose to set up Co-operative Societies in towns of population more than 10 thousands. We have already reached the target for the Third Five Year Plan.

I am sorry to state that because of drought conditions, the farmers this year may not be in a position to return the loans. We would need about 20-22 crores of rupees. Reserve Bank has promised 7-8 crores of rupees, the State have promised 4-5 crores. of rupees. For the rest of the amount we are approaching the Ministry of Finance.

Some of the Members have alleged that we are depending too much on inorganic manures and chemical fertilizers and that it won't help in the production of food-grains. I do not know how the Member have drawn this inference. Some Members have stressed that we should lay more emphasis on irrigation. I may inform the Members that we are laying as much emphasis on irrigation as on inputs.

[Shri Shyam Dhar Mishra]

The Irrigation and Power Ministry is expected to provide irrigational facilities for about 60 million acres of land in 1970-71, through minor irrigation schemes only. That means a net addition of ten million acres, as now this figure stands at 50 millions. Another fact that I want to bring to your notice is that, we spent about 1800 crores of rupees in all kinds of irrigation schemes during the last fifteen years and during the Fourth Plan we propose to spend about Rs. 1500 crores on them.

श्री नाथ पाई : यह तो मैं मानता हूँ कि आपने लक्ष्यों के अनुसार धन खर्च किया है। प्रश्न तो लक्ष्यों की प्राप्ति का है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha : You said that 50 million acres of land is being irrigated. That is not so. Let us know about U.P. only.

Shri Shyam Dhar Mishra : I can tell about U.P. also.

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : Instead of giving us these figures, you kindly tell us the time by which you would be able to solve food problem.

Shri Shyam Dhar Mishra : I was explaining that water potential created has been utilised to the extent of 75 per cent this year. We propose to instal about seven lakh pumping sets during the ensuing four-five years to utilise underground water. Regarding manures I want to state that we will have at our disposal about 150 million tons of both the green manure and rural compost in 1966-67. We are trying to keep a balance between these two and then to increase production.

Regarding import of foodgrains I would submit that no doubt we have been importing large quantities of foodgrains, but at the same time another factor should not be lost sight of, viz. that during the last 10 or 15 years we have earned foreign exchange worth about 5000 Crores of rupees from, the agricultural sector. Besides, our industrial sector utilised agricultural products worth 1200 to 1400 crores of rupees annually. That shows our industrial sector is to a large extent dependent on our agricultural sector. Regarding tractors, there is no doubt that we are short of them and that a large number of tractors are lying idle. We have already made arrangements for the import of spare parts.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

There is no doubt that we are yet unable to fulfil our needs. The main reason for this is shortage of resources. In order to make use of all our water resources we require 5000 crores of rupees which we have not got. It will take us ten to fifteen years to attain our goal. But due emphasis is being given on the production of cash crops and foodgrains. We are also trying to increase our per acre yield.

श्री नाथ पाई (राजापूर) : इस वर्ष जो संकट पैदा हुआ है उस से सिद्ध हो जाता है कि पिछले 18 वर्षों से सरकार की खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी नीतियाँ असफल रही हैं। यह समस्या 1943 से हमारे सामने है। प्रोफेसर लिडब्लोम ने हमारी त्रुटियाँ बताते हुए कहा है कि हमारे बीज घटिया किस्म के हैं, जमीन उत्पादन योग्य नहीं रही है, कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, औज़ार पुराने ढंग के हैं, किसान अनभिज्ञ हैं, आदि आदि। यही कारण हैं कि हम इस विषय में असफल रहे हैं।

हमारी असफलता का एक कारण यह भी है कि सरकार की नीतियां समय समय पर बदलती रहती हैं। 1947 में नियंत्रण लागू थे परन्तु प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा चेतावनी दिये जाने पर भी नियंत्रण हटा लिये गये उसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ गई। असफलता का दूसरा कारण यह है कि हम लक्ष्य निर्धारित करना ही काफी समझते हैं, चाहे वे प्राप्त हो या न हों। यही कारण है कि प्रत्येक योजना में 18-26 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

1959 में फोर्ड फाउंडेशन विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि 1965 और 1966 में सम्भरण तथा मांग में लगभग 280 लाख टन का अन्तर रहेगा। इसलिये उस स्थिति को पैदा न होने देने के लिए तीसरी योजना में 1100 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिये। तभी भूख और देश में हो सकने वाली आन्तरिक गड़बड़ को रोका जा सकेगा। उस समिति का कथन बिल्कुल सही सिद्ध हुआ है। उन्होंने ठीक अनुमान लगाया था।

सरकार की असफलता का एक कारण यह भी है कि केन्द्र की शक्ति बहुत कम हो गई है। आज केन्द्र इस स्थिति में नहीं है कि वह तथाकथित मुख्य मंत्रियों पर अनुशासन रख सके। वे केन्द्र का सहारा मात्र बन गये हैं। परन्तु यह बात नहीं भुलानी चाहिये कि मुख्य मंत्रियों के अपने द्रष्टृ हैं, उन के अपने अपने सोमित हित हैं। यह बात राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। श्री सुब्रह्मण्यम अमरीका से अनाज तो ले सकते हैं परन्तु वह श्री राम किशन को इस के लिए तयार नहीं कर सकते कि वह गेहूँ दें। वह बर्मा से चावल तो प्राप्त कर सकते हैं परन्तु श्री ब्रम्हानन्द रेड्डी को नहीं कह सकते कि वह महाराष्ट्र, गुजरात या केरल को चावल दे। यह एक राजनीतिक मामला है जिस का आर्थिक क्षेत्र में दखल होता जा रहा है। मैं जानता हूँ कि श्री सुब्रह्मण्यम ने ठीक नीतियाँ बनाई परन्तु उसके बाद उन में जो राजनीतिज्ञ था वह चेत हुआ। एक अनुभवी प्रशासक के नाते वह जानते थे कि उस का हल क्या है परन्तु उनमें जो कार्यपटु राजनीतिज्ञ था वह क्या करता? उन्हें अपने प्रदेश के सहयोगियों को भी अपने साथ रखना है। परन्तु मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, खाद्य समस्या हल नहीं होगी।

ज्ञान समाप्त करने के लिए हमें इसलिये कहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इन से क्या खतरे पैदा होते हैं। आज जो कुछ हो रहा है राष्ट्रीय एकता को खतम करने के लिए हो रहा है। कल ही मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कलकत्ता में भीषण परिस्थिति पैदा होने के कारण ही वहाँ का राशन बढ़ाया गया और उस की मात्रा देश के अन्य किसी भी भाग की अपेक्षा अधिक है। उस का अर्थ यह हुआ कि वह दबाव में आ कर ही ठीक मार्ग पर चलेंगे।

श्री सुब्रह्मण्यम : मैंने यह नहीं कहा था कि वहाँ के राशन की मात्रा अधिक है। मैंने तो यह कहा था कि बंगाल के आन्तरिक उत्पादन और बाहर से किये जाने वाले सम्भरण की दृष्टि से वहाँ अधिक अनाज उपलब्ध है।

श्री नाथ पाई : मैं यह बताना चाहूँगा कि पश्चिमी बंगाल प्रति व्यक्ति चावल की उपलब्धता देश के अन्य किसी भी भाग की अपेक्षा अधिक है। मूल बात यही है कि आप अभी कार्यवाही करते हैं जब भीषण परिस्थिति पैदा हो जाती है। अनाज की समस्या बहुत बिकट है। परन्तु हम में आत्म-तुष्टि की भावना पैदा हो रही है जो चिन्ता का विषय है।

खाद्य क्षेत्रों से राष्ट्र की एकता को हानि हुई है। इन क्षेत्रों को समाप्त कर देना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपत निधि के विशेषज्ञ श्री डोनाल्ड के० फार्स ने कहा है कि भारत में इस वर्ष मृत्यु दर सामान्य से अधिक होगी ऐसा अकाल तथा कुपोषण के कारण है और विशेषकर उन क्षेत्रों में मृत्यु अधिक होगी जोकि अकाल की स्थिति बहुत बुरी तरह प्रभावित है।

[श्री नाथ पाई]

मैसूर राज्य का एक संस्थाने बहुत ही चिन्ताजनक आंकड़े बताये हैं कि देश का 25 प्रतिशत के लगभग खाद्यान्न चूहों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मुझे ठीक आंकड़ा नहीं है। इससे पता लगता है कि चूहों की संख्या को नियन्त्रण में करने की कितनी अधिक आवश्यकता है।

कई समितियों ने सिफारिश की है कि देश में पर्याप्त भण्डार बनाये जाने चाहिये परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। हमें इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये।

अनाज के आयात से खाद्य समस्या हल नहीं की जा सकती। अमरीका अथवा अन्य कोई देश हमें अनिश्चित काल के लिये अनाज नहीं दे सकता। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अच्छे बीजों, उर्वरक तथा सिंचाई की अन्य सुविधाओं से इस समस्या को बहुत हद तक हल किया जा सकता है। हम उपायों से परिचित हैं, हमारे पास निपुणता भी है परन्तु इस समस्या को हल करने में हम दृढ़ता से काम नहीं ले रहे हैं।

खाद्य निगम बनाया गया था। श्री पाई को उसमें नियुक्त किया गया था परन्तु उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि निगम को स्वतन्त्रता से कार्य करने नहीं दिया जाता था। इस बातों से स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता से कार्य नहीं कर रही है।

ऐसा लगता है कि सरकार घबराई गई है या फिर उसमें आत्मतुष्टि आ गई है। सरकार को चाहिये कि इस समस्या को हल करने के लिये गम्भीरता से कार्य करे।

Shri T. Ram (Sonbarsa) : Even being a agriculturist country India could not solve its agricultural problems during the last eighteen years. Unless some radical changes are made in our agricultural policy and also in our land policy, land problem cannot be solved on permanent basis.

Though land reform legislation was enacted and land ceilings fixed, yet the practical results were almost nil. In spite of this legislation and ceilings of land, not an inch of land has been given to landless farmers in Bihar. Unless the actual tiller is given the ownership of the land, there would not be any increase in our agricultural production. The Government did not practise what it professed and the results are nil. Government must change its attitude otherwise there is no hope for the future.

At the time of the Pakistan attack many of our leaders including the then Prime Minister appealed to the people to grow more vegetables. Some M. Ps. definitely acted on that advice. But no official has gone to the village to advice the farmers to do like that such is the pitiable condition in our country.

[श्री श्यामलाल सराफ पिठासीन हुए ।]
[SHRI SHAMLAL SARAF in the Chair.]

In the Co-operative movement also, we have failed. Unless we have a team of social workers who are dedicated to the Co-operative movement, we cannot achieve any success in that field. The cooperative movement will never become successful if it remains in the hands of bureaucratic machinery. There is a need to have direct association with the farmers in every field. Corruption is also prevailing in the Co-operative Sector. We must eradicate this evil if we want to achieve success in this field.

श्री स० ब० पाटील (बीजापुर-दक्षिण) : कृषि के लिये अधिक भूमि उपलब्ध करना बहुत कठिन है। हम पहले ही बहुत अधिक भूमि पर खेती कर रहे हैं। चूंकि भारत में खेती योग्य भूमि सीमित है। अतः देश की खाद्य समस्याओं को हल करने के लिये अथवा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक ही तरीका है और वह तरीका यह है कि हम प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाये।

यह सच है कि गत तीन योजनाओं में हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, परन्तु फिर भी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों तथा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके।

क्षेत्र-वार तथा ग्रामस्तर पर क्रमबद्ध और विस्तृत आयोजन के अभाव के कारण ही हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को पाने में असफल रहे हैं। निर्धारित लक्ष्यों को पाने में असफल रहने के कारण हमारा आर्थिक संकट बढ़ रहा है।

खेती के नये तरीके अपनाकर अधिक अच्छा संगठन तथा प्रशिक्षणद्वारा सिंचाई को उपलब्ध सुविधाओं से पूर्ण लाभ उठाकर तथा उर्वरक और कीट नियन्त्रण द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने की पर्याप्त सम्भावना है। ऐसे बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किये जाने चाहिये जिनसे उत्पादन उतना अधिक होता है जितना अधिक उर्वरक डाला जाये। किसानों को ऋण समयपर दिया जाना चाहिये।

भारत में लगभग 78 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि का कार्य करते हैं परन्तु वे अपना ही पेट भरने के लिये पर्याप्त उत्पादन करने में असफल हैं। विशेषज्ञों का विचार है कि भूमि में अधिक मात्रा में उर्वरक डालने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसलिये हमें किसानों को अधिक मात्रा में उपलब्ध देना चाहिये।

हमारा उद्देश्य सीमित साधनों के साथ ही अनाज में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का होना चाहिये।

पी० एल० 480 पर निर्भर रहना न केवल हमारे आर्थिक विकास के लिये ही हानिकारक है अपितु इससे हमारा आत्म-विश्वास भी कम होता है। हमें अपने पाव पर खड़ा होने चाहिये और इसके लिये हमें अभी से कार्य आरम्भ कर देना चाहिये।

देश में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से लगभग 8 प्रतिशत कम होता है। इस कमी को हम आपात द्वारा पूरा करते हैं। यदि सरकार गम्भीरता से प्रयत्न करे तो इस कमी को पूरा किया जा सकता है अर्थात् देश में ही इतना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

देश में 6.2 करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जहां सिंचाई की अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यदि अपेक्षित उर्वरक आदि उपलब्ध किये जायें तो वहां पर कमसे कम प्रति एकड़ दो टन अनाज का उत्पादन किया जा सकता है।

मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूँ कि सरकार उत्पादक के स्तर पर ही विभिन्न राज्यों में मूल्य निर्धारित कर दिये हैं। किसानों के लिये कम मूल्य निश्चित करने से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। इस लिये किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य दिये जाने चाहिये।

खाद्य समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझा जाना चाहिये और इसके लिये समस्त राष्ट्र को एक ही क्षेत्र समझा जाना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas) : Food problem in our country has attained serious proportions and it is all due to the wrong policies pursued by Government. Too much emphasis should not be laid on the chemical fertilizers because it reduces the fertility of the soil after two or three years. It has already been proved in America. We should provide to the farmers compost manures, better quality of seeds and other irrigation facilities. By providing all these facilities we can increase our agricultural output.

[Shri Hukam Chand Kachhavaia]

The hon. Minister has stated that they are going to form a zone of Punjab, Delhi, and Uttar Pradesh for the coarse grains. Some Members have also advocated for the formation of a rice zone comprising of all the four States of South. I would like to suggest that all this is not in the interest of the action. We must abolish the zonal system without any further delay. Political considerations should not be allowed to come in the way of abolition of these zones. Centre should act boldly and it should not act on the advice of the Chief Ministers.

I think that instead of selecting few areas for package programmes, it will be better if the maximum cultivable land is brought under these programmes, and steps are taken to increase the production in the entire country.

The small cultivation cannot purchase tractors; they should be provided good bullocks. It is regrettable that no attention is being paid to the preservation and improvement of the cattle wealth in the country. Cow slaughter should be banned by law.

If we want to increase our agricultural production we must assured the farmers of remunerative prices. This is very important and Government should pay its full attention to this matter.

So far as rationing is considered, I will suggest the Government that manual labour should be given little more than what the intellectual workers are getting. At least 3400 grams per head per week ration should be given in the areas where rationing has already been introduced.

Loans should be provided to the farmers at cheaper rates of interest. Banks should be asked to open more branches in the villages as cooperative societies cannot provide the necessary funds. Maximum land should be brought under cultivation. There is a need to make drastical changes in the cultivation.

If necessary facilities such as water, seeds and manures are made available to the farmers and incentive is given to them, I don't think there will be any difficulty in increasing the agricultural production in the country. In Rajasthan also production can be increased and more land can be brought under cultivation if water is made available to them through pipe lines.

श्री राजेश्वर पटेल (हाजीपुर) : श्री हुकम चन्द कछवाय ने ठीक ही कहा की यदि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों में जल व्यवस्था कर दें तो हम खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

खाद्य समस्या के बारे में लगभग प्रत्येक सत्र में चर्चा होती है और मैंने इसे समझने का बहुत प्रयत्न किया है। कुछ समय पहले श्री सुब्रह्मण्यम ने कोयम्बतूर में भाषण देते हुए ठीक ही कहा था कि वर्तमान खाद्य संकट अन्तिम चेतावनी है और यदि यह फिर उत्पन्न हो गया तो देश में गड़बड़ी और अशान्ति फैल जायेगी। अतः श्री नाथपाई को यह पता होना चाहिये कि यदि खाद्य संकट फिर हो गया तो अवश्य गड़बड़ी फैल जायेगी।

हम अणु बम बनाने के स्वप्न ले रहे हैं परन्तु भारत जैसे कृषि-प्रधान देश को अपने लोगों की बनियादी आवश्यकताओं के बारे में तो अवश्य सोचना चाहिये।

हमारी समझ में नहीं आता कि यदि हम 9 करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई कर सकते हैं, उतनी व्यवस्था हमने की हुई है तो उत्पादन इतना कम क्यों हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात बताना चाहता हूँ और वह यह है कि हम बहुत खर्चीली तथा बहुत देर के बाद पूरी होने वाली नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे हैं और तालाबों, कुओं जैसे साधनों की बिल्कुल उपेक्षा करते रहे हैं जो भारत में पहले ही थे।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि कृषि का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये क्योंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस मामले में बिल्कुल असफल रही हैं। मेरे विचार से तो इससे समस्या का हल नहीं निकल सकता है। खाद्य समस्या तब हल हो सकती है यदि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें किसानों को जिन्हें सरकारी अधिकारियों से निश्चय ही अधिक जानकारी होती है, हिदायते आदि देना बन्द कर दें और इसके स्थान पर उन्हें साधन उपलब्ध करे और अपनी सहायता आप करने दें। हम कारखानों आदि को तो वित्तपोषित करते हैं परन्तु किसानों को ऋण नहीं दिया जाता है। जो ऋण दिया भी जाता है वह उनको दिया जाता है जिनको उसकी आवश्यकता नहीं होती है।

भारत में वास्तविक प्रश्न उर्वकों आदि का नहीं है परन्तु प्रश्न तो उन देहाती लोगों को मान्यता देने का है जिनकी इतने समय से उपेक्षा की गई है। नगरों को सुन्दर बनाने में तो बहुतसा रुपया खर्च किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हमारे श्री मेहेर चन्द खन्ना ने कहा था कि सरकार ने दिल्ली को सुन्दर बनाने का निश्चय किया है और झुगिया आदि सब हटा दी जायेंगी। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में तो अत्यावश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। हमें यह विचार करना चाहिये कि इन नगरों को सुन्दर कौन बनाता। इन नगरों को सुन्दर बनाने वाले तो वे ग्रामीण लोग ही हैं जो बेरोजगारी के कारण अपने गांव छोड़कर नगरों में आकर और इन झुगियों में रह कर इन्हें सुन्दर बनाने का काम करने लग गये हैं और जिनकी इस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है।

अतः मैं अपील करता हूँ कि इन ग्रामीण लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिये। यदि हमें गांधीजी के स्वप्न को पूरा करना है कि स्वराज्य का तभी कुछ अर्थ हो सकता है यदि देहाती लोग खुशहाल हो तो हमें उनके लिये अवश्य कुछ करना चाहिये। यदि हमें उन्हें पर्याप्त ऋण नहीं दे सकते हैं तो हमें उनसे कुछ भी आशा नहीं रखनी चाहिये।

Shri Sumat Prasad (Muzaffarnagar) : Our Minister of Food and Agriculture had given a statement in this House in which he had said that he wanted that the prices of foodgrains should be such as are remunerative to the produce and also within the means of the consumer. But according to me it is a difficult thing to be achieved. The difficulty in it is that these are the days of inflation. Due to inflation and fall in the rupee value, which is falling every day, the prices which were remunerative to the farmer a few months ago are not so today. Hence this problem should be achieved before the food problem is solved.

Our production last year was to the tune of 88 million tons and if I am not mistaken our import was also to the tune of 7.3 million tons. In spite of that there was shortage of food in this country. The demands of the States were not met. I think the difficulty today is not of the shortage of foodgrains but the cultivator is not prepared to part with his produce at the price which Government wants to pay him. He wants that the price of his produce should be increased with the increased prices of other commodities. So, all that we should do is to see that there is a minimum price support for the farmers.

[Shri Sumat Prasad]

The community development work has also been brought now under the Ministry of Food and Agriculture. Hence the Ministry should see that the programmes of community development are carried out effectively. The responsibility of executing these programmes should be fixed otherwise the authorities at the various levels will not be answerable for the job entrusted to them. In case one fails to do his duty stern action should be taken against him and those who do their duty honestly their work should be appreciated.

Once our Food Minister had said a very good thing. He had said that the majority of cultivators in our country is of those who own two or three acres of land so how can they increase their production. Therefore it is the duty of our Government to see that necessary facilities are provided to those who have small holdings. They should be provided with seeds, implements, loans etc. In case these facilities are provided to them, they will certainly achieve good results.

As far as planning is concerned, the district should be treated as unit and within the district block should be the unit. The village level workers, block development workers and agricultural officers should know the difficulties of the villagers in their areas and should do their best to solve those difficulties.

The late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri had appealed to the cultivators to increase their production. They are very responsive to that appeal but they have to face certain difficulties. If those difficulties are removed, if they are provided with necessary resources they are bound to increase production. Unless we are selfsufficient in the matter of food none of our planning can be successful.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सरकार खाद्य समस्या पर कितने ही समय से विचार करती आ रही है परन्तु यह समस्या इतनी गम्भीर है कि वह इसको हल न कर सकी। जितनी गम्भीर यह समस्या है सरकार उतने ही बहाने करके इस सभा को दिखाती रही है। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे खाद्य मंत्रीजी ने यह महसूस किया है कि कृषि सम्बन्धी पुराने नीति से अब काम नहीं चल सकता है।

देश में भौतिक तथा तकनीकी दोनों प्रकार के संसाधनों की बहुत कमी है। प्रति एकड़ पोषक तत्वों की औसत मात्रा तीस पाँच से अधिक नहीं है। परन्तु फिर भी अन्न की फसलों के लिये शायद ही कुछ बन पाता है क्योंकि इसमें से अधिकांश का प्रयोग व्यापारिक फसलों के लिये किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बहुत ही अन्याय हुआ है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिये।

उर्वरकों के बारे में हमारा अनुभव यह रहा है कि वे समय पर तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य एक सेकेण्ड के लिये बैठ जायें। मेरे इस कुर्सी पर बैठने से पहले उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से पूछा था कि क्या वे कुछ अधिक समय के लिये बैठना चाहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

सभापति महोदय : मैं देख रहा हूँ कि इस विषय पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। इस समय यह स्थिति है कि 6 बजे यह चर्चा समाप्त हो जायेगी। यदि माननीय सदस्य कुछ अधिक समय तक बैठने के लिये तैयार हैं तो यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सकेगा।

कुछ माननीय सदस्य : हा।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं। यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

Shri Braj Bihari Mehrotra : We do not get any opportunity to speak. I, walk out in protest.

(श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा सभा भवन से उठकर चले गये।)
(Shri Braj Bihari Mehrotra left the House)

Shri N. P. Yadav : We are prepare to sit upto 8 p.m.

श्री डा० ना० तिवारी : यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सदस्य प्रत्येक मांग पर बोले। उन्हीं को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये जिन्हें अबतक किसी मांग पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

डा० लक्ष्मीलाल सिधवी : मैं उन सहकारी समितियों के बारे में कह रहा था जो काफी मामलों में केवल संरक्षण प्राप्त होने पर अथवा काले बाजार में उर्वरकों का वितरण करने के लिये दोषी पाई गई हैं। मुझे इन दोनों प्रकार के मामलों को जानकारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सहकारी समितियों को बड़ी मात्रा में धन राशियां देने के लिये उत्सुक है परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि इन रकमों का ठीक तरह से उपयोग किया जाता है अथवा नहीं। जब तक सरकार यह आश्वासन नहीं देगी सहकारी समितियों के विरुद्ध आवाजें उठती रहेंगी। सिंचाई के बारे में अब तक जो कुछ किया गया है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। भारतीय अर्थशास्त्र के एक विद्वानों के अध्ययन के अनुसार भारत में "सिंचाई के अन्तर्गत" शब्दों का अर्थ केवल यही है कि पानी देने का कोई निश्चित समय नहीं है और पानी इतनी अधिक मात्रा में नहीं दिया जायेगा जिससे उत्पादन बढ़ सके और यह तो केवल वर्षा के अभाव के समय उत्पादन को बहुत अधिक गिरने में रोकने का एक उपाय मात्र है। स्वयं माननीय मंत्री ने एक बार कहा था कि सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं में काफी बड़ी पूंजी लगाई है और इस बारे में आम शिकायत है कि मुख्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप सुखे के समय सिंचाई सुविधा देने का उद्देश्य भी ठीक तरह पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि सिंचाई परियोजनाओं से उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और कुल मिला कर उनसे उत्पादन की वृद्धि के रास्ते में रुकावट ही उत्पन्न हुई है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक सिंचाई के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जब तक सिंचाई कार्यक्रम बनाते समय जल निकासी प्रणाली पर विचार नहीं किया जायेगा तथा जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जायेगा कि सिंचाई परियोजनाओं से उनपर खर्च की गई राशि के अनुपात में लाभ पहुंचेगा तब तक यही समझा जायेगा कि समूची योजना ठीक प्रकार से नहीं बनाई गई है।

बढ़ते हुए भूमि कटाव को रोकने के लिये जो योजना बनाई गई है उसके बारे में हमें जानकारी दी जानी चाहिये। कृषि उद्योगों को तथा उन उद्योगों को जिनसे कृषि के विकास में सहायता मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

भूमि के उपयोग तथा जल संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी परियोजनाओं के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघबी]

उत्पादन में 15 वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु इस अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि 15 प्रतिशत से भी कम रही है और इसका कारण जनसंख्या में हुई वृद्धि है। इस लिये बड़े पैमाने पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन में दिये गये कार्यक्रमों से अधिक व्यापक होने चाहिये। इस मद पर दी जाने वाली राशी में पर्याप्त रूप से कमी कर दी गई है। इस परियोजना में अधिकतम संसाधन लगाये जाने चाहिये।

बीज फार्मों तथा अच्छी प्रकार के बीज के सम्बन्ध में सरकार के सैद्धान्तिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाने की सम्भावना है। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता की अनुमति देनी चाहिये क्योंकि इस से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

मुख्य मंत्रियों को देश को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने नहीं देना चाहिये। सरकार को राष्ट्रीय नीतियां स्वयं बनानी चाहिये और मुख्य मंत्रियों के संकीर्ण विचारों को नहीं चलने देना चाहिये।

Shri Mohammad Tahir (Kishanjung) : It is very necessary for this country to have a feeling of producing food situation in such a way that we do not have to bow before any other power in this matter. According to the report of the Ministry, the production of food grains in the current year was 88.4 million tonnes and we have to import 7.5 million tonnes from other countries. If a compulsory ten per cent grain levy is imposed on the farmers, the Government will be able to collect about 8.8 million tonnes, which is more than the quantity we are importing.

Unfortunately the cultivators have a tendency to bring their produce to the market at the time of high prices. That is very bad. They should keep food grains for their needs and send the rest to the market. The farmer should be made to feel that he produces food for the whole nation. The Government should also see that it does not allow the businessmen to purchase the marketable surplus of the farmers, otherwise the problem will remain as it is.

The land, irrigation facilities and fertilizers etc. should be provided to the farmers by the Government. If the money spent on family planning and cultural activities is diverted for agricultural purposes, there would be no shortage of food in the country. Crores of Rupees are spent on cultural programmes. This money should be given to the farmers for irrigation etc. This will result in increase in production.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : The statement of the Food Minister regarding changes in food zones does not go too far. Almost everybody raised his voice in this matter in the All-India Congress Committee. Similarly voices were also raised in this House during food discussion. It appears that some chief Ministers stood in the way of the Minister which is very proper. The food policy should not be determined by the States. It should be determined by the Centre and it should try to evolve a national policy and the State Chief Ministers or Food Ministers should not be allowed to stand in the way.

The Deputy Food Minister has said that we have received Rupees five thousand crores in foreign exchange from the agricultural sector. I would like to know how much of it has been spent for increasing production of foodgrains. We are spending substantial amount in foreign exchange on the purchase of foodgrains but enough money has not been spent on development of foodgrains?

It appears that the Minister proposes a complete change in policy. A beginning has been made in the matter of wheat zones and it is hoped that it will be followed in the case of rice zones also. In the matter of establishment of seed farms, I favour the idea of state ownership with minority participation of the private sector with regard to technical know how. Land to set up such farms need not be leased to private parties as has been done in Punjab where land has been leased to the Birlas.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

86 वां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगडा) : श्रीमान, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 86 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अनुसूचित जातियों को अनुसूची से निकाले जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : DESCHEDULING OF SCHEDULED CASTES

सभापति महोदय : सभा में अब आधे घंटे की चर्चा होगी।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I am thankful to you for giving me an opportunity to raise discussion regarding descheduling of Scheduled Castes. The Minister has tried to solve this matter as soon as possible but the lists prepared are statewide lists. There are certain states like Assam, Maharashtra, Kerala, Madhya Pradesh and Vidarbha where the lists of Scheduled Casts and Scheduled Tribes are prepared on the basis of scheduled and not scheduled areas. Those living in scheduled areas are recognised as Scheduled Tribes or Adivasis and those living outside such areas are not recognised as Scheduled Tribes. As a result of this, people of the same caste and even of the same family living outside such areas are not recognised as scheduled tribes or adivasis. They are deprived of the benefits of welfare schemes in this way.

There are certain castes which are not untouchables but they are included in the list of Scheduled Castes. They are included in denotified areas in some areas, in certain areas they are included amongst scheduled castes and in certain other areas they are included amongst scheduled tribes. As a result of distinction between the scheduled and non-scheduled areas, in Vidarbha, only 2,35,000 persons out of a total population of 14,00,000 of adivasis are getting benefit from welfare schemes. The restriction of area should be put an end to and necessary legislation should be introduced for that purpose as early as possible.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इस बात का डर है कि उनमें से कुछ जातियों को सूची से निकाला जा रहा है। उदाहरणार्थ धोबियों तथा चमारों के सूची से निकाले जाने की संभावना है। माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि लोकसभा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप किसी जाती को सूची से निकाला नहीं जायेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री सोनावणे (पंढरपुर) : लोकुर समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर कब रखा जायेगा ? क्या सरकार का विचार ऐसी जातियों को अनुसूची से निकालने का है जो अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जातियां नहीं हैं और क्या ऐसी जातियां सूची में शामिल की जायेंगी जो अस्पृश्यता तथा सामाजिक नियोगिता से प्रभावित हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas) : Will the Government be pleased to state whether there was any lack of cooperation on the part of State Governments in the efforts to improve the conditions of backward classes, or is there anything wrong with the methods of the Government.

श्री स० च० सामन्त (तामलुक) : क्या यह सच नहीं है कि अनुसूचित जातियों के लोग स्वयं यह चाहते हैं कि वे उच्च जातियों के समान हों ? यदि हाँ, तो क्या लोकुर समिति ने उचित निर्णय करने के लिए देश में अनुसूचित जातियों के संगठनों के साथ परामर्श नहीं किया ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : माननीय सदस्य श्री पाटिल ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की अनुसूचि के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हैं तथा वर्तमान अनुसूची में अनियमितताएँ हैं । मैंने कई बार इस बारे में प्रश्नों के उत्तर दिये हैं । अनुसूचित जातियों के संसद सदस्यों और मंत्रियों के साथ 9 तथा 10 दिसम्बर को हुई बैठकों में प्रादेशिक प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में आम सहमति थी । प्रादेशिक प्रतिबन्धों के साथ साथ वर्तमान सूची में कुछ अन्य त्रुटियाँ भी हैं जिनको दूर किया जायेगा । ऐसा सूची के पुनरीक्षण में ही किया जा सकता है ।

जैसा कि सदस्यों को विदित है, हम सभी राज्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं । हमने सूची लगभग पूरी कर ली है । केवल केरल, जम्मू तथा काश्मीर और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के सदस्यों से परामर्श करना बाकी है । बातचीत के समय मतभेद के कुछ प्रश्न उत्पन्न हुये थे और हमने वे बातें विभिन्न राज्य सरकारों के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजी हैं । स्पष्टीकरण हो जाने पर हम विधि बना सकेंगे । हम वास्तव में इस बात के इच्छुक हैं कि यथासम्भव शीघ्र विधि बनाये ताकि उन लोगों को, जो सूची में शामिल नहीं हो सके तथा जिनको प्रादेशिक प्रतिबन्धों के कारण हानि हुई है, लाभ हो सके ।

श्री बनर्जी ने प्रश्न उठाया है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के धोबी अनुसूचित जातियों में शामिल हैं, इसलिये सभी धोबी अनुसूचित जातियों में शामिल किये जाने चाहिये । किसी भी जाति को सूची में सम्मिलित करने का आधार यह है कि क्या उस जाति के लिये अस्पृश्यता है । यदि किसी राज्य में धोबियों के किसी विशेष वर्ग को अस्पृश्य माना जाता है तो हम निश्चय ही ऐसी जातियों को सूची में सम्मिलित करेंगे ।

सदस्यों को यह आशंका नहीं करनी चाहिये कि हम कुछ समुदायों को अनुसूची से हटाने के इच्छुक हैं । हम राज्यवार बैठकें कर रहे हैं ताकि कुछ समुदायों को अनुसूचि से हटाने के विषय में सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें और मतभेद किसी प्रकार दूर किये जायें ।

लोकुर समिति का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखा जायेगा और जो सदस्य इस का अध्ययन करना चाहें, कर सकते हैं । प्रतिवेदन तीन मास के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा । समिति के पास समय कम होने के कारण वह सभी प्रतिनिधियों से नहीं मिल सकी है । उन्होंने संस्थाओं के साथ बातचीत की है ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 21 अप्रैल, 1966/1 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, April 21, 1966/Vaisakha 1, 1888 Saka.
